# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 50वां दिवस संख्या 18

बृहस्पतिवार,

दिनांक 7 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, आयुर्वेद, सहकारी जन-स्वास्थ्य, यातायात, नियुक्ति, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, गृह, जल-प्रदाय व सामान्य प्रशासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री शंकरलाल !

### रायपुर एवं जैतारण तहसीलों में सड़क निर्माण कार्य

497. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की रायपुर और जैतारण तहसीलों में चालू वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के क्या क्या कार्य हुए हैं ?

(2) ब्यावर से बाबरा की अधूरी सडक को पूरा कराने का कार्य बन्द क्यों पड़ा है ?

(3) बर से रायपुर के बीच सार्वजनिक मन्दिर शंकर महाराज की कुटिया तक स्वीकृति की सूचना भेजने के पश्चात् भी अभी तक कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या उपरोक्त दोनों कार्य चालू वर्ष में समाप्त कर दिये जावेंगे ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : (1) रायपुर तहसील में रायपुर से हरीपुर रेल्वे स्टेशन रोड पर कार्य हुआ है तथा जैतारण तहसील में कोई कार्य नहीं हुआ है।

(2) अर्थाभाव के कारण।

(3) स्वीकृति विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

श्री शंकरलाल : ब्यावर से बाबरा के अन्दर सडक है इसके लिए आपने बताया कि अर्थाभाव के कारण नहीं हो सका। क्या 1968-69 में इस कार्य को ले लिया जायगा ?

श्री माधोसिंह : अर्थाभाव के कारण कुछ नहीं कह सकता कि लिया जायगा या नहीं।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि क्या सरकार की नीति है कि जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको पहले लिया जाय और बाकी काम

# Page No. 2



(श्री शंकरलाल)
बाद में चालू किये जायं, तो क्या 1961 से जो अधूरे पड़े हैं उनको प्राथमिकता दे दी जायगी ?

**श्री माधोसिंह** : जैसे जैसे पैसा मिलेगा वैसे वैसे काम चालू किये जायेंगे, जो जरूरी होंगे और आवश्यक होंगे उनको पहले लेंगे और जो इसके बाहर होंगे वह बाद में लिये जायेंगे ।

**श्री शंकरलाल** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार की नीति है कि सडक के निर्माण कार्य के अन्दर अधूरे काम पहले लिये जावें और नये काम बाद में लिये जायें ?

**श्री माधोसिंह** : ऐसा कोई खास रूल नहीं है कि अधूरे काम ही पहले लिये जायं । जहां तक हो, जो अधूरे काम हैं वह पूरे कर दिये जायं । यह कोई स्पष्ट रूप से तय नहीं कर लिया है कि नये काम नहीं लिये जायें । जिसकी बारी आयेगी उसको लिया जायगा ।

**श्री शंकरलाल** : बर से ब्यावर की सडक है, क्या यह सही है कि 1961 में मंजूर हुई थी और 1961 में इसका काम चालू कराया गया था ?

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ): आपने फर्माया कि बारी आयेगी तो बारी से क्या समझें ?

**श्री माधोसिंह** : जी हां । इसके अन्दर कुछ काम की 1961 के अन्दर मंजूरी हुई थी ।

**श्री शंकरलाल** : उसके बाद में कब से बन्द पडा है ।

**श्री अध्यक्ष** : जितना काम हो चुका इसके बाद ही यह बन्द हुआ ।

**श्री माधोसिंह** : 3-61 को मंजूरी हुई और एक सेक्शन 62 में हुई । उसके बाद जो कर दिया गया वह हो गया । एक से पांच मील का काम 1964-65 में हुआ, छः से नौ मील का काम 1965-66 में हुआ, 10 और [illegible] का 1966-67 में हुआ ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नाथूदास ।

**आयुर्वेदिक औषधालय ग्राम फलासिया**

498. **श्री नाथूदास** (फलासिया सु.) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा फलासिया ग्राम, जिला उदयपुर में कोई औषधालय संचालित होता है ? यदि हां तो, इस औषधालय के लिए भवन की क्या व्यवस्था है ?

(2) इस औषधालय की व्यवस्था के लिए वार्षिक प्रावधान कितने रुपयों का है ? क्या सरकार इसे क्रमोन्नत करने का विचार नहीं रखती ? यदि नहीं रखती है तो क्यों, और यदि रखती है, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार इस औषधालय में मौजूदा स्टाफ जो है उसमें वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**आयुर्वेद मंत्री** (श्री अमृतलाल यादव) : (1) जी हां । इस औषधालय की भवन व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा है ।

(2) इस औषधालय का वार्षिक प्रावधान 1000 (हजार) रुपये का है ।

(श्री अमृतलाल यादव)
औषधालय फलासिया की पदोन्नति का कोई प्रस्ताव अभी धनाभाव के कारण विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : फलासिया एक पिछडा हुआ इलाका है, इस पिछडे हुए इलाके को देखते हुए और उसके आस पास के शफाखाने की व्यवस्था को देखते हुए फलासिया आयुर्वेद औषधालय को क्रमोन्नत नहीं करने का क्या कारण है ? क्या यह वहां की जनता के लिए आवश्यक नहीं समझते कि उसकी उन्नति की जाय ?

श्री अमृतलाल यादव : आदिवासी एरिया है, वहां पर औषधालय खोला गया है वह इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। उसको पदोन्नत करने का जहां तक सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि यह सम्भव नहीं है धनाभाव के कारण।

श्री पृथ्वीसिंह : यह इलाका बहुत पिछडा हुआ है और आबादी बहुत ज्यादा है, वहां नजदीक हास्पिटल की व्यवस्था नहीं है–इन कारणों को देखते हुए उस इलाके में कोई व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते ? और कोई कारण नहीं है तो धनाभाव के कारण उस इलाके को पिछडा हुआ रखना चाहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : धनाभाव का मुख्य कारण है।

श्री पृथ्वीसिंह : धनाभाव के कारण केवल उस ही इलाके में औषधालयों को क्रमोन्नत नहीं किया जाकर, दूसरे इलाकों में जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं, उनको बराबर क्रमोन्नत किया जा रहा है इसका क्या कारण है ? केवल इस इलाके के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल जयपुर): क्या यह सही है कि जितने रोगी वहां आते हैं, उनको औषधि आदि देने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : इस इलाके की जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से वहां इस औषधालय को क्रमोन्नत न किया जाता है, और पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बाफना।

**किसानों को ऊंची दर में बीज**

499. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को बाजार भाव से बहुत ऊंची दरों से बीज दिया जाता है, जैसे सिरियारी (जिला पाली) क्षेत्र में बाजार में जौ के बीज का भाव 40 किलो का 28) रु. था परन्तु सहकारी समिति ने भाव 40 किलो का 36) रु. लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, सहकारी विभाग (श्री रामदेवसिंह) : जी नहीं। सिरियारी (जिला पाली) क्षेत्र में सहकारी समिति ने जौ का बीज पंचायत समिति, खारची के एजेन्ट के

(श्री रामदेवसिंह)
रूप में कमीशन के आधार पर 90 रु.–20 पैसा प्रति क्विन्टल की दर से बेचा जिसमें सैल्स टैक्स, खाली बारदाने की कीमत, गोदाम किराया, ट्रक भाडा व मजदूरी का खर्चा सम्मिलित था। इन दिनों इस क्षेत्र में जौ का बाजार भाव 65) रु. से 90) रु. प्रति क्विन्टल था।

श्री फूलचन्द बाफना : बराबर सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : थोडा बहुत तो सुना होगा।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि यह शिकायत हमेशा रहती है कि सुना नहीं अतः आप प्रारम्भ से ही जरा ठीक तरह से बोलें।

(श्री रामदेवसिंह ने उपरोक्त उत्तर दुबारा पढा)

श्री फूलचन्द बाफना : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इसमें मुनाफाखोरी नहीं की क्या ?

श्री रामदेवसिंह : इसमें सरकार का सवाल नहीं, पंचायत समिति खारची का बीज था उसे सहकारी समिति को एजेंट के रूप म बेचा है।

श्री फूलचन्द बाफना : बाजार में उस समय क्या भाव थे ?

श्री रामदेवसिंह : उस वक्त 65 से 90 के भाव थे।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : यह आप किस डेट के भाव बता रहे हैं, जरा डेट, बता दीजिये, 90 के भाव से तो जौ कभी बिका ही नहीं।

श्री रामदेवसिंह : नवम्बर-दिसम्बर, 67 के भाव हैं।

श्री गोरधन सोनी : जौ का भाव 90 रुपया प्रति क्विन्टल का आज तक कभी हुआ ही नहीं।

श्री रामदेवसिंह : जो हमारे पास वहां से रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बताया है।

श्री गोरधन सोनी : इस समय खपत की जितनी मंडियां हैं, उनमें जौ का 75) रु. प्रति क्विन्टल से ज्यादा भाव नहीं था। 90 का भाव तो जौ का आज तक कभी रहा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : 9 की जगह कहीं 6 तो नहीं है, यह देख लें।

श्री गोरधन सोनी : बाजार में तो कहीं भी इस प्रकार का जौ का भाव था नहीं।

श्री फूलचन्द बाफना : 65 से 90 तक का जौ का भाव बताया है इससे साफ जाहिर है कि इसमें गबन हुआ है।

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं, इसमें सरकार का तो कुछ लेना देना नहीं है। सहकारी समिति के पास ज्यादा प्रोफिट गया, ज्यादा प्रोफिट कमा कर प्रोफिट को इधर उधर कर दिया जाय, जो जौ 90 रु. 20 पैसा प्रति क्विन्टल के भाव से बेचा, उसमें यदि यह साबित हो जाय कि ज्यादा प्रोफिट कमा कर प्रोफिट को इधर उधर किया है तो फिर तो यह एन्क्वायरी का विषय हो जाता है। दूसरा सवाल आता है सस्ते दामों पर परचेज किया और ज्यादा दाम पर बेचा तो मैं समझता हूं सहकारी समितियों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अमुक भाव पर ही बेचें, मार्केट रेट पर जिस भाव में बिक सकता

(श्री शोभाराम)
है, उस भाव पर उनको बेचने का अधिकार है। उन पर इस तरह का कोई कन्ट्रोल नहीं है।

**श्री फूलचन्द बाफना** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियां किसानों के लाभ के लिये हैं या किसानों के शोषण के लिये ?

**श्री शोभाराम** : जो ट्रेडिंग कोमोडिटीज में डील करते हैं वे एक दो महीने के चित्र को नहीं लेती हैं, साल भर के चित्र को सामने रखती हैं। मैं ऐसी सहकारी समितियां बता सकता हूँ जिनको कुछ आइटम्स में हजारों रुपयों का घाटा हुआ है, एक आइटम पर 40 परसेंट से नीचे तक प्राइसेज चली जाती हैं। तो ऐसी हालत में जब एक आइटम में इतना घाटा उन्हें हो जाता है तो दूसरे आइटम्स से उस घाटे को कम्पेन्सेट करने की कोशिश करती हैं। बिजनैस का जिन कोमोडिटीज में स्कोप है, उन सब कोमोडिटीज में वे डील करती हैं, एक आइटम में यदि उन्हें घाटा होता है तो दूसरे किसी आइटम में उस घाटे को कवर करने की कोशिश करती हैं। ऐसी पिक्चर उनके सामने रहती है, साल भर के मुनाफे की ऐसी पिक्चर उनके सामने रहती है।

**श्री फूलचन्द बाफना** : सहकारी समितियों में खरीद का काम होता है, बाजार में ज्यादा भाव का बिल बना देते हैं, इस तरह बिल में भाव महंगा होता है वास्तव में महंगा नहीं होता है और जो व्यक्ति खरीद करते हैं वे बीच का पैसा व्यक्तिगत रूप से खा जाते हैं।

**श्री शोभाराम** : इस प्रकार के उदाहरण कि इस प्रकार 420 की है, रखे जायं तो जांच बैठाई जा सकती है।

**श्री फूलचन्द बाफना** : बाजार में कहीं भी 90 रुपया जौ का भाव नहीं था।

**श्री गोवर्धन सोनी** : यह तो सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार का भी सहकार है। जहां किसानों को सस्ते भाव से माल मिलना चाहिये वहां बाजार से इतना अधिक महंगा दिया जाता है।

**श्री शोभाराम** : यह जो बीज का सवाल है यह पंचायत समिति खारची का था, उसने कमीशन पर बिकवाया। बीज की क्वालिटी के बारे में मैं इस समय नहीं कह सकता पर सहकारी समिति को बीज का कोटा पंचायत समिति ने कमीशन बेसिस पर दिया, उसी बेसिस पर उसने किसानों को दे दिया। अगर यह खराब था तो पंचायत समिति को नहीं बिकवाना चाहिये था।

**श्री नेमसिंह सिंघवी** : क्या यह नहीं है कि इस प्रकार सरकार की नीयत अधिक मुनाफा कमाने की रही है, दूसरे व्यापारी मुनाफा कमाते हैं तो सरकार कहती है कि मुनाफाखोर हैं, और खुद मुनाफाखोरी करती है।

**श्री अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

**श्री फूलचन्द बाफना** : सहकारी समिति घोटाला करती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसमें जांच करवा कर कार्यवाही करे। इसमें और गवाही की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं बाजार के भाव ही गवाह हैं। बाजार के भाव उस समय क्या थे यह मालूम करके आप जांच कर सकते हैं।

**श्री बिरदीचन्द (बाडमेर)** : बड़ा महत्वपूर्ण बीज था।

**श्री शोभाराम** : जहां बिलों में इस प्रकार की गडबड़ की गई है, जैसा कि आपने पहले फरमाया है, इस प्रकार की बात है तो मुझे बतायें, उसकी जांच की जायगी और गड़बड़ी पाई गई तो कार्यवाही की जायगी।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : मन्त्री महोदय इसे गम्भीरता से लें, जहां बाजार में जौ का भाव 70 हो और किसानों से सहकारी समितियों द्वारा 90 रु. 20 पैसा लिया जाय, 20–20 रुपये का फर्क बीज जैसी चीज में तो यह तो वही हुआ मरने वाले से उसकी दवा का मन माना पैसा मांगा जाय, तो क्या यह आप पाप नहीं मानते ?

**श्री शोभाराम** : मैंने दो बातें कहीं प्राइस फिक्सेशन के बारे में खारची पंचायत समिति से बीज ले कर सहकारी समिति द्वारा बांटा गया, पंचायत समिति ने कमीशन बेसिस पर बीज बांटने के लिये सहकारी समिति को दिया क्या कमीशन तय किया यह पंचायत समिति और सहकारी समिति के बीच तय करने का था, जो कमीशन तय किया गया उसके आधार पर बीज बिकवाया गया, इसलिये यहां पर प्राइस का सवाल उतना खतरनाक नहीं है। सहकारी समिति बीज खरीद कर ज्यादा कमीशन के आधार पर बेचती है तो वह प्रोफिट मेकिंग मोटिव निश्चित तौर से खराब होता है। पर इस पर्टीक्यूलर केस में खारची पंचायत समिति ने कमीशन बेसिस पर बीज बिकवाया। इसके बाद प्रश्न पैदा होता है कि कमीशन में कौन कौन से आइटम शामिल हैं, यह सब डिटेल्स की बात है, अगर आप चाहें कि कौन कौन से आइटम्स थे तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : इस कमीशन में प्रोफिट का परसेंट कितना है ?

**श्री शोभाराम** : मैंने कहा कि कमीशन दो प्रकार का होता है, एक तो परचेज प्राइस ज्यों की त्यों····

**श्री भैरोंसिंह** : कमीशन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह तो हम जानते हैं, इस पर्टीक्यूलर पोइन्ट में नेट प्राफिट का प्रति क्विन्टल क्या परसेंटेज है ?

**श्री शोभाराम** : अपना खर्चा काटने के बाद बेचा, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि नेट प्रोफिट पर क्विन्टल क्या था····

**श्री भैरोंसिंह** : तो क्या यह माना जाय कि सारे फीगर्स को वर्क आउट किये बिना ही कमीशन फिक्स किया है ?

**श्री शोभाराम** : हमने सोसायटी से यह सूचना चाही थी, पर यह सूचना नहीं आई है।

**श्री भैरोंसिंह** : उप मंत्री महोदय ने कहा कि कमीशन पर दिया है। क्या राज्य सरकार ने सहकारी समिति को अपनी एजेंसी बना कर कमीशन कितना तय किया जाय इसका कोई निर्धारण नहीं किया है ?

**श्री शोभाराम** : अभी भरतपुर में बाढ जब आई थी तो नई वितरण व्यवस्था के बारे में····

**श्री दौलतराम सारण** : भरतपुर की बाढ का सवाल नहीं है, राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के मारफत बीज वितरण के लिए कितना कमीशन देना तय किया है ?

# Page No. 7



**श्री शोभाराम:** पंचायत समिति ने क्या कमीशन देना तय किया, वह सूचना कल शाम तक हमारे पास नहीं आई।

**श्री दौलतराम सारण:** पंचायत समिति से कुछ नहीं आना है, राज्य सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है जो बीज सहकारी समितियों के मार्फत बांटे जायेंगे उनके अन्दर क्या कमीशन देना तय किया है, सीधा सवाल है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता:** क्या हर पंचायत समिति अलग अलग तय करती है?

**श्री दौलतराम सारण:** दूसरी बात··

**श्री अध्यक्ष** प्रश्नकर्त्ता

**श्री फूलचन्द बाफना:** क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि इस प्रश्न की जांच करके फिर बतायेंगे?

**श्री शोभाराम:** ठीक है। इस प्रश्न के अलावा जो और प्रश्न मेरे सामने रखे गए उनकी पूरी जानकारी करके मैं माननीय सदस्यों को सूचना दूंगा।

**श्री दौलतराम सारण:** मैंने जो प्रश्न किया उसका जानकारी करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। नीति से संबंध है। राज्य सरकार की नीति यह है कि बीज और खाद सहकारी समितियों के मारफत वितरित किए जायं और किए जा रहे हैं तो बीज पर किस प्रतिशत से कमीशन देना सहकारी समितियों ने तय किया है? दूसरी बात, जो बीज सहकारी समितियों को कमीशन बेसिस पर पंचायतों को दिया है वितरण करने के लिए, उस समय राज्य सरकार ने क्या बीजों के भाव तय नहीं कर रखे थे कि इतना बीज के हिसाब से भाव है?

**श्री शोभाराम:** मैंने निवेदन किया उस समय क्या भाव था जिस समय पंचायत समिति ने वितरित किया, वह सूचना मेरे पास नहीं आई है इसलिए जो कमीशन उन्होंने चार्ज किया, वह सूचना नहीं है क्योंकि वह जो प्रश्न है उससे अन्दाजा नहीं लगा कि राज्य सरकार ने उस समय क्या भाव तय कर रखे यह रिलेवेन्ट प्रश्न प्रतीत नहीं होता था, जानकारी करके बताऊंगा कि आया उस समय राज्य सरकार ने इस प्रकार के भाव बीज वितरण के लिए कमीशन के तय कर रखे थे या नहीं और कर रखे थे तो क्या तय कर रखे थे?

**श्री भैरोंसिंह:** इसको स्थगित कर दें।

**श्री फूलचन्द बाफणा:** राजस्थान में किसी बाजार में यह भाव नहीं था?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह:** मैं यह भी निवेदन करूंगा अगली बार जब स्थगित प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय दें तो यह भी संकेत करें कि बीज वितरण की व्यवस्था सरकार के हित के लिए प्राथमकिता देकर है या प्राथमकिता जनहित को दी जाती है। जनहित और सरकार हित, दोनों हित यहां पर बिल्कुल अलग हैं। इसमें आप प्राथमकिता एक तरफ दे रहे हैं। समाजवाद का सिद्धांत क्या कहता है और आप भ्रष्ट ब्लैक मार्केटियर बनकर जनता का शोषण कर रहे हैं।

**श्री शोभाराम:** विरोधी दल के माननीय नेता से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जहां तक नीति का सवाल है, सहकारी समितियों के माध्यम से बीज वितरण करना··

Page No. 8



**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : यह सहकारिता नहीं है, स्वार्थ सिद्धि है। व्हाट कोओपरेशन इज दिस ?

**श्री शोभाराम** : अगर कोई सहकारी समिति गलती करती है तो उसको ठीक करना, उसके विरुद्ध कार्यवाही करना, सरकार का फर्ज हो जाता है। लेकिन मैं मानने से इन्कार करता हूं कि जो सहकारी समितियों के जरिए जो कुछ काम होता है वह गलत है और समाजवाद की रूपरेखा के प्रतिकूल है।

**श्री अध्यक्ष** : कृषि मंत्री ने कहा था कि बीज वितरण के संबंध में और भी कोई योजना उनके मस्तिष्क में है, जो तैयार कर रहे हैं जो भी हो, इससे संबंधित और जो प्रश्न उठाये गए हैं उनका स्पष्टीकरण करने की दृष्टि से इसको स्थगित करता हूं।

प्रश्न संख्या 500।

श्री मजलिस खां। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

**श्री** चुन्नीलाल इन्दलिया।

**ग्राम जसरासर के हरिजनों के मोहल्लों में पानी की व्यवस्था**

501. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जसरासर तहसील नोखा में जल प्रदाय योजना चालू की गई है ? यदि हां, तो किस तारीख से ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम में अभी तक हरिजनों के चार मोहल्लों में पाइप स्टेन्ड व शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जसरासर गांव में पिछडी जाति के कितने परिवार हैं और वो आजकल किस जगह से पानी भर रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि हरिजनों को जहां से पशु पानी पीते हैं वहां से पानी लेना पड रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या सोच रही है ?

**राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य** (श्रीमती सुमित्रासिंह): (1) जी हां, अप्रेल, 1965 से।

(2) शुद्ध जल की व्यवस्था कर दी गई है। गांव में चार कोठे बने हुये हैं और उनमें ही पानी का कनेक्शन लगाकर सार्वजनिक नल के द्वारा पानी वितरण किया जा रहा है। इन चार कोठों में से एक कोठे से हरिजन बस्ती के लोग ही पानी भरते हैं।

(3) लगभग 100 परिवार हैं। गांव में बने हुए एक कोठे से पानी लेते हैं।

(4) जी नहीं जानवरों के लिए अलग से खेली है। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **चुन्नी लाल** : मेरे प्रश्न 2 के उत्तर में बताया गया कि हरिजन वहां शुद्ध पानी पी रहे हैं। क्या सरकार हरिजनों को शुद्ध पानी देने की व्यवस्था करेगी ? इस समय वह नहीं पी रहे हैं।

श्रीमती **सुमित्रा सिंह** : व्यवस्था है। जैसा मैंने निवेदन किया 4 कोठे हैं, एक कोठा क्योंकि हरिजन बस्ती में स्थित है इसलिये उनकी सुविधा के दृष्टिकोण से वहां पर नल लगा दिया है, वहां से वे पानी लेते हैं।

# Page No. 9



श्री चुन्नीलाल : आप जो पाइप स्टैंड बता रही हैं, उसको देखने के लिए मौके पर चलने के लिए तैयार हैं ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : जरूर, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है ?

श्री चुन्नीलाल : चलेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह: हां हां क्यों नहीं !

श्री चुन्नीलाल : हरिजन बस्ती में कोई होज नहीं है और पाइप स्टैंड के बारे में आपने गलत जवाब दिया है। कल भी मैंने यह प्रश्न उठाया, गलत जवाब दिया गया है, न पाइप स्टैंड है न हरिजन पानी पी रहे हैं, पशुओं के साथ पानी पी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब तो यह प्रश्न समाप्त हो गया।

श्री केदारनाथ।

**बीकानेर से पोकरण सीधी बस सर्विस**

502. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बीकानेर-बाप रूट को पोकरण तक कर दिया था तथा उसके अनुसार बीकानेर के ए. आर. टी. ओ. ने परमिट भी जारी कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उसे बीच में रोक दिया गया और यात्रियों की सीधी यात्रा की सुविधा समाप्त कर दी गई ?

(3) जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है जिससे बीकानेर से पोकरण तक सीधी बस सर्विस चल सके ?

यातायात मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) (1) जी हां। बीकानेर-बाप मार्ग को आर. टी. ओ. बीकानेर ने पोकरण तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया और उसके आधार परमिटों पर भी इंद्राज कर दिया गया।

(2) जी हां। आर. टी. ए. जोधपुर के प्रतिहस्ताक्षर न होने के कारण अभी पूरे रूट पर वाहनें नहीं चलाई जा रही हैं क्योंकि कानूनन उस पर आर.टी.ए. जोधपुर के प्रतिहस्ताक्षर होने जरूरी थे।

(3) जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से ही बीकानेर आर. टी. ए. ने बीकानेर पोकरण तक बस सर्विस बढाने के प्रस्ताव स्वीकृत किए थे। जोधपुर आर. टी. ए. के प्रतिहस्ताक्षर परमिटों पर होते ही पूरे मार्ग पर बस चलाने की कार्यवाही होगी।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि एक्सटेन्शन केसेज में परमिट्स पर आर.टी.ए. की काऊंटर सिग्नेचर्स के लिए मीटिंग बुलाना जरूरी है ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सर्क्यूलेशन से क्यों नहीं कराया ?

श्री अमृतलाल यादव: मीटिंग बुलाई थी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल।

**सेना से सेवा मुक्त इमर्जेन्सी कमीशन्ड आफिसरों की राज्य सेवा में नियुक्ति**

503. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने सेना से सेवा मुक्त इमर्जेन्सी

Page No. 10



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कमीशन्ड ग्राफिसरों को नौकरी देने के लिए 20 प्रतिशत आर.ए.एस. के खाली स्थानों तथा 30 प्रतिशत पुलिस सेवाओं के खाली स्थानों पर नियुक्ति के लिए रिजर्व्ड रखा है ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास ऐसे लोगों के नियुक्ति के लिए कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? इनमें से कितने लोगों की राज्य सरकार ने नियुक्ति की है और किन किन सेवाओं में ?

(3) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश एवं बिहार में प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं जैसे शिक्षा विभाग, सहकारी विभाग आदि में भी ऐसे सेवा मुक्त अफसरों के लिए स्थान रिजर्व्ड किये हैं ? क्या राज्य सरकार भी इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

**उप-मंत्री भू. सैनिक विभाग (श्री खेतसिंह) :**—(1) जी हां ।

(2) जी हां । 36 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। चूंकि इनके नियुक्ति संबंधी नियम सरकार के विचाराधीन हैं, अतः कोई नियुक्ति नहीं की गई।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार ने आर.ए.एस. तथा पुलिस सेवाओं के अतिरिक्त अन्य स्टेट सर्विसेज तथा सबोर्डिनेट सर्विसेज के खाली स्थानों पर सेना से सेवा मुक्त इमर्जेन्सी कमीशन्ड अफसरों की नियुक्ति के लिए 20–20 प्रतिशत स्थान रिजर्व्ड रखे जाने के लिए दिनांक 28 अक्टूबर, 1967 को आदेश जारी कर दिए हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल:** यह जो 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने का आपने बताया है, क्या ये लगभग उसी वेतन ग्रेड के हैं जिन ग्रेड्स में वे लोग सेना में थे ?

**श्री खेतसिंह :** वहां गजेटेड ऑफिसर्स थे और ये पोस्ट्स भी गजेटेड ऑफिसर्स की हैं

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** क्या सरकार ने तमाम जितने भी गजेटेड अधिकारी इमर्जेन्सी में नियुक्त थे और सेवा से मुक्त होकर आ रहे हैं, क्या सरकार आश्वासन देगी कि उन तमाम को सर्विसेज में लगभग पेरेलल पदों पर रखा जायगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) :** इसमें आश्वासन देकर नहीं चला जा सकता।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि आर.ए.एस. और आर.पी.एस की नई भर्ती नहीं हो रही है, इस कारण आपने जो इसमें रिजर्वेशन रखा है, वह केवल नाम मात्र है?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** अभी नई भर्ती के बारे में सरकार विचार कर रही है। आर.ए.एस. के बारे में तो अब मैं नहीं कह सकता लेकिन आर.पी.एस. की भर्ती चालू करने का विचार कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह :** जब तक विचार नहीं होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उस समय तक इस इमर्जेन्सी से निकलने वाले अधिकारियों को एब्जार्ब करने के लिए और कोई उपाय आप बना रहे हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट्स जितनी खाली हैं उसके लिहाज से विचार करके इमर्जेन्सी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं जिससे उनको अरली ग्रपारचूनिटी मिले।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार विचार करेगी कि जितनी स्टेचूटरी कार्पोरेशन्स हैं, या सरकार की खुद की अंडरटेकिंग्स हैं या जिनमें सरकार के शेयर्स हैं ऐसी फर्म्स और कंपनीज के अन्दर भी इन लोगों को एब्जार्ब करने के लिए अधिकारियों को सलाह देकर इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिन कम्पनीज में गवर्नमेंट के केवल शेयर्स हैं उनको तो हम डाइरेक्शन्स नहीं दे सकते कि कितनों को और किस प्रकार से अपोइंट करें, लेकिन जो कार्पोरेशन्स हैं उनकी आवश्यक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अगर कोई योजनाएं रखता है तो उसको लक्ष्य में रखते हुये ध्यान रखा जायेगा।

श्री रामानंद अग्रवाल: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले नान-गजेटेड सर्विस में थे और एमर्जेन्सी में उनको कमीशन मिल गया। अब जब उनको वापिस सेवा मुक्त करते हैं तो उनको पहले वाली नान-गजेटेड पोस्ट पर ही रिवर्ट किया जाता है। क्या गवर्नमेंट उनको मिलिटरी में जो उनकी रेंक थी उसके पैरेलल पोस्ट, बराबर की पोस्ट देगी ऐसा आश्वासन दे सकते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अगर उनका किसी पोस्ट पर लीयन रहा होगा तब तो वह उसी पोस्ट पर आ सकता है। उनको वहां की बराबर की पोस्ट देना सम्भव नहीं होगा अनलेस वे किसी काम्पिटीटिव टेस्ट में आ जाते हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल: क्या सरकार यह नहीं समझती कि इस प्रकार से जो लोग देश रक्षा के लिये आगे आये उनको प्रेरणा देना चाहिये? इस प्रकार की सरकार की नीति से जो लोग कैप्टेन और लेफ्टीनेन्ट रहे हुए हैं उनको वापिस नान गजेटेड पोस्ट पर क्लर्क की पोस्ट पर लेते हैं तो इससे उनको प्रोत्साहन मिलने के बजाय वे निरुत्साहित होते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह रिजर्वेशन इसलिये ही किया गया है कि ऐसे आदमियों को प्रोत्साहन मिल सके।

मेजर श्री फतेहसिंह : क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान के निवासियों में से जो एमर्जेन्सी कमीशन में गये थे, कितने सेवा मुक्त होकर के आये हैं और कितने आने वाले हैं?

उप-मंत्री, भू. सैनिक (श्री खेतसिंह): जी हां, 50 आदमियों की लिस्ट डाइरेक्टर आफ रीसेटलमेंट, मिनिस्ट्री आफ डिफेंस से राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। दूसरी बैच की लिस्ट मार्च में आयेगी।

मेजर श्री फतेहसिंह : इनमें से कितने एम्प्लायड हो गये और कितने बेकार हैं?

श्री खेतसिंह: 36 जनों के प्रार्थना-पत्र आये हैं कि वे नौकरी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री डागा।

श्री विजयसिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंटरी और है।

Page No. 12



श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पचास आदमी वापिस आये हैं उनको आप लगायेंगे यू.डी.सी. और एल.डी.सी. के पदों पर। जब एमर्जेन्सी में इनको लिया गया था तो इन लोगों को देश की रक्षा के लिये बॉर्डर पर भेजा गया और वहां मिलिटरी में वे लेफ्टीनेन्ट, कैप्टेन और एक्टिंग मेजर के पद तक पहुंच गये अब वे जब वापिस आते हैं तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि हम उनको जहां उनका लीयन होगा उन पोस्ट्स पर लेंगे। तो उनको बराबर की पोस्ट्स पर नहीं लिया जा सकता?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। यह प्रश्न पूछा गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने बताया कि हमने सर्विसेज में रिजर्वेशन कर रखा है इन आदमियों के लिये, वे अगर काम्पीट करके इन पोस्ट्स पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

**नगरपालिका पाली की एग्जीक्यूटिव कमेटी**

504. **श्री मूलचन्द डागा (पाली)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वर्तमान नगरपालिका पाली में कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण कर रखा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सत्य है कि बोर्ड के सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव कमेटी को दे रखे हैं? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह भी सत्य है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय बोर्ड को मान्य है? यदि हां, तो कौन कौन से और किन नियमों के आधार पर? उन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने वर्तमान नगरपालिका की एग्जीक्यूटिव कमेटी को अवैधानिक बतलाया है? यदि हां, तो फिर भी यह एग्जीक्यूटिव कमेटी किस रूप में काम करती है?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां, दिनांक 31–12–66 से।

(2) यह सही नहीं है कि बोर्ड ने अपने सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव कमेटी को दे रखे हैं। प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव कमेटी को जिस सीमा तक अधिकार दिये हैं उस सीमा तक एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय बोर्ड का निर्णय होगा यदि बोर्ड उक्त समिति के किसी निर्णय को संशोधित या निरस्त न करे। ऐसे अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 78 के अन्तर्गत सौंपे जा सकते हैं।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप ऐसा प्रस्ताव बता सकती हैं जिस में यह लिखा हुआ हो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के

# Page No. 13



(श्री मूलचन्द डागा)
खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकती है ? अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रश्न है कि सारा बोर्ड · ·

**श्री अध्यक्ष** : वह पूछ लीजिये न अपना प्रश्न, अध्यक्ष महोदय से क्यों पूछते हैं ?

**श्री रामकिशन** : अधिक अहतियात बरतते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सारे बोर्ड के अधिकार एग्जीक्यूटिव कमेटी अपने हाथ में ले ले और बोर्ड डीफंक्ट हो जाय और सारा काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करे तो इसका मतलब यह हुआ कि बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं है।

**श्री पृथ्वीसिंह** : माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि नियमों के अन्तर्गत जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को पावर्स दिये गये हैं उनको खत्म करने के लिये मंत्री पर दबाव डाल रहे हैं।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : प्रस्ताव पास किया था उसको लॉ डिपार्टमेंट में भेजा गया है और लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी राय सरकार के पास भेजी है और वह विचाराधीन है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी-कुमारी चूंडावत।

**बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण**

505. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जब किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तब अधिकतर निजी बस वाले उसे रुकाने के लिये अदालत में पहुंच जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यवाही में कुछ खामी रह जाने के कारण कई मार्गों के राष्ट्रीयकरण समय पर नहीं किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि अधिक संख्या में मार्गों का राष्ट्रीयकरण होने से ही राजस्थान रोडवेज कार्पोरेशन आर्थिक दृष्टि से सफल और मजबूत हो सकता है ?

(4) और अधिक मार्ग सरलता से राष्ट्रीयकरण किये जा सकें और अदालतों में समय नष्ट न हो इसके लिये सरकार ने क्या तरीके सोचे हैं ?

(5) क्या सरकार के ध्यान में है कि इसी कठिनाई को दूर करने के लिये गुजरात सरकार ने एक आज्ञा प्रसारित की है जिसके अनुसार जब निजी बस मालिकों का तीन साल का परमिट समाप्त होता है और उस रूट पर वहां का कार्पोरेशन राष्ट्रीयकरण करने हेतु सरकार से परमिट मांगता है तो निजी बस के मुकाबले कार्पोरेशन की बस को प्राथमिकता दी जाती है ?

(6) क्या सरकार इस प्रकार की कोई आज्ञा निकालेगी जिससे राष्ट्रीयकरण का मार्ग सरल हो सके ?

**यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव)** : (1) जी हां, यह सत्य है कि अक्सर प्रभावित निजी बस मालिक राष्ट्रीयकृत योजनाओं को स्थगित कराने के लिये न्यायालयों में स्थगन आज्ञा, स्थगन याचिका प्रस्तुत कर प्राप्त करते हैं।

(2) जी नहीं। साधारणतया राष्ट्रीय-करण में मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के अनुसार कुछ समय लग जाना स्वाभाविक है।

(श्री अमृतलाल यादव)

(3) जी हां।

(4) इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(5) गुजरात सरकार से जानकारी की जा रही है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या आदेश निकाले हैं ?

(6) गुजरात सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि मार्गों का राष्ट्रीयकरण शीघ्र हो इसके लिये क्या तरीका अपनाया जा सकता है।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मैं पांच बरस से देख रही हूं कि जब जब भी हम सवाल करते हैं तो सरकार की तरफ से यही जवाब मिलता है कि विचार कर रहे हैं। आखिर कब तक विचार करते रहेंगे ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह मामला कब से विचाराधीन है ? गुजरात सरकार से जानकारी कब मांगी है ?

**श्री अमृतलाल यादव** : क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो रहा है इसलिये सभी प्रश्न विचाराधीन हों ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितना और अधिक राष्ट्रीयकरण किया जाये और दूसरी स्टेट्स में क्या पोजीशन है इसकी जानकारी करना स्वाभाविक है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : प्रश्न यह है कि अदालतों से जो इन्साफ मिलने में देरी होती है उसको दूर करने के लिये आप क्या उपाय ले रहे हैं। इस पर आपने कहा कि विचार कर रहे हैं।

**श्री अमृतलाल यादव** : माननीय अध्यक्ष अदालतों से अगर स्टे आ जाते हैं तो उसके लिये तो यही एक तरीका है कि उसकी पैरवी की जाय, केस को लडा जाये और स्टे हटवाने के लिये कानूनी कार्यवाही की जाय।

**श्री विजयसिंह रावत** : आपने अभी तक कहा कि गुजरात सरकार से जानकारी कर रहे हैं। जानकारी के लिये कौनसी तारीख को लेटर लिखा गया।

**श्री अमृतलाल यादव** : लेटर की तारीख तो मेरे पास नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जानकारी की जा चुकी है, मैंने कहा कि जानकारी की जा रही है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपने कहा कि गुजरात सरकार से जानकारी की जा रही है। आपके पास लेटर की तारीख नहीं, तो आपने यह कैसे एश्योर किया कि ऐसा लेटर लिखा गया है ?

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : अध्यक्ष महोदय, यह गुजरात सरकार से कब पूछा गया ? मैंने सवाल पूछा उसके पहले या उसके बाद ?

**श्री अमृतलाल यादव** : यह मैं माननीय सदस्या को बता दूंगा कि गुजरात सरकार से कब पूछा। और दूसरों से भी पूछा है।

**एक माननीय सदस्य** : हम भी जानना चाहेंगे।

**श्री अमृतलाल यादव** : सदन को बता दूंगा।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : क्या यह तब तक विचाराधीन रहेगा जब तक आप मंत्री बने रहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोटा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि अदालत में जाने का मौका इसलिये मिल जाता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अन्दर रोडवेज कार्पोरेशन को राष्ट्रीयकरण के लिये कोई प्राथमिकता दी जाय इसका कोई प्रोवीजन नहीं है। अगर गवर्नमेंट कानून को अमेंड करके इसके लिये प्रायरिटी तय करदें तो वे लोग कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। इसके बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मैंने निवेदन किया कि इन सभी प्रश्नों पर गवर्नमेंट विचार कर रही है और उसमें यह प्रश्न भी सम्मिलित है।

श्री रोशनलाल शर्मा : राज्य सरकार इस पर अपना अंतिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

श्री अमृतलाल यादव : जल्दी से जल्दी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस पर विचार किस लेवल पर हो रहा है? मंत्री लेवल पर विचार हो रहा है या कैबीनेट लेवल पर हो रहा है?

दूसरा मेरा प्रश्न था कि गुजरात सरकार ने जिस तरह परमिट देने का निर्णय कर रखा है उस पर आपने कहा कि गुजरात सरकार से पूछा जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगी कि गुजरात सरकार से पूछे बिना ही क्या आप स्वतन्त्र रूप से इस पर विचार नहीं कर सकते ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां, स्वतन्त्र रूप से विचार कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक गुजरात की मिसाल बताई है इसलिये उनसे भी पूछ रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकलता है वह डिफेक्टिव होता है, इसलिये ही वह अदालत में जाकर चैलेंज हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

नेक्स्ट। श्री विजयसिंह रावत।

**बकाया वेतन आदि का भुगतान**

506. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पी. डब्लू. डी. (बी. एन्ड आर.) सिटी डिवीजन, जयपुर में सन् 1963 में जिन 7188 सीमेन्ट की बोरियों की कमी का पता लगा था और जिस स्टोरकीपर को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया था उसकी मृत्यु के उपरान्त चार वर्ष बाद भी बकाया वेतन का भुगतान, सिक्योरिटी एलाऊन्स, छुट्टी का वेतन तथा मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को पैंशन का मामला अब तक निर्णीत नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(1) क्या सरकार उस स्टोरकीपर की सारी बकाया तथा पैन्शन का भुगतान उसके परिवार को करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : (1) कमी सीमेन्ट 890 बोरियों के लिये श्री बनवारी लाल को

(श्री माधोसिंह)
उत्तरदायी ठहराया गया है। सिक्योरिटी की रकम कमी सीमेन्ट के जुमले जप्त की गई है। भुगतान अवकाश शेष नहीं तथा 1961 के फिक्सेशन न होने के कारण पारिवारिक पैन्शन अनिर्णीत है।

(2) बकाया रकम वसूली के बाद जो रकम बाकी रहेगी, शीघ्र अदा कर दी जावेगी।

**श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : यह स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : सदन में बात हो रही है। मंत्री महोदय का दोष नहीं है वे तो बहुत बुलन्दगी से बोल रहे थे।

**श्री केशरसिंह** (हिन्डौली) : अन्त में गडबडा गये साहब।

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह)** : (1) कमी सीमेन्ट 890 बोरियों के लिये श्री बनवारी लाल को उत्तरदायी ठहराया गया है। सिक्योरिटी की रकम कमी सीमेन्ट के जुमले जप्त की गई है भुगतान अवकाश शेष नहीं तथा 1961 के फिक्सेशन न होने के कारण पारिवारिक पैन्शन अनिर्णीत है।

(2) बकाया रकम वसूली के बाद जो रकम बाकी रहेगी, शीघ्र अदा कर दी जावेगी।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): स्पष्ट नहीं है, जैसे प्राईमरी स्कूल का अध्यापक पढ रहा हो।

**श्री अध्यक्ष** : जैसे स्कूल में आप पाठ पढ रहे हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर) : आज मंत्री महोदय रीहर्सल करके नहीं आये मालूम पडते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर। ऑर्डर।

**श्री भैरोंसिंह** : बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं सुनाई दिया।

**श्री माधोसिंह** : सुनिये मैं और जोर से बोल देता हूं (1) कमी सीमेन्ट 890 बोरियों के लिये श्री बनवारी लाल को उत्तरदायी ठहराया गया है।

(सदन के विरोधी पक्ष की ओर से हैं, हैं हैं की एक साथ आवाज)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। सुनिये दूसरा वाक्य।

(विरोधी पक्ष की ओर से शोरगुल)

माननीय सदस्य, सुनिये (जोर की अवाज में) माननीय सदस्य।

माननीय मंत्री महोदय, जरा धीरे धीरे पढिये।

(सदन में विरोधी पक्ष की ओर से हंसी)

**श्री देवीदत्त** गडिया (बारां) : क्या माननीय मंत्री महोदय प्राईमरी स्कूल का पाठ पढ़ रहे हैं ?

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो कुछ उन्होंने कहा, आप पढ़कर सुना दें।

**श्री माधोसिंह** : और जोर से सुना दूं।

**श्री अध्यक्ष** : अब वापिस सुन लीजिये।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है· ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! शुरू करिये।

(सदन में एक साथ शुरू शुरू की आवाज)

ऑर्डर प्लीज.

श्री माधोसिंह : (1) कमी सीमेन्ट 890 बोरियों के लिये श्री बनवारी लाल को उत्तरदायी ठहराया गया है

(हैं, हैं, की पुनः सदन के विरोधी पक्ष की ओर से आवाजें तथा सदन में हंसी और तालियां)

श्री विजयसिंह : (मकराना) : यह तो ऐसा हुआ, जैसे राम नाम सत्य है।

श्री अध्यक्ष ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर आप तो सुना दीजिये।

श्री माधोसिंह : दुबारा पढ़ दूं। (1) कमी सीमेन्ट 890 बोरियों के लिये श्री बनवारी लाल को उत्तरदायी ठहराया गया है। सिक्योरिटी की रकम कमी सीमेन्ट के जुमले जप्त की गई है। भुगतान अवकाश शेष नहीं है तथा 1961 के फिक्सेशन न होने के कारण पारिवारिक पैन्शन अनिर्णीत है।

(2) बकाया रकम वसूली के बाद जो रकम बाकी रहेगी शीघ्र अदा कर दी जावेगी।

श्री विजयसिंह रावत : एक जानकारी करनी है अध्यक्ष महोदय, यह विधवा हो गई है, इसके बच्चों वगैरह को अभी तक पैन्शन व प्रोविडेन्ट फन्ड नहीं मिला है। क्या सरकार इसको जल्दी से जल्दी दिलाने का आश्वासन देगी ?

श्री माधोसिंह : क्या ?

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को शीघ्र प्रोविडेन्ट फन्ड दिलाने का आप आश्वासन दे सकते हैं क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय के पास सप्लीमेंटरी का जवाब· · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न है। ऑर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दे दी जाय जो मंत्री या उपमंत्री जवाब नहीं दे सकें तो उसका जवाब मुख्य मंत्री जी दें, क्योंकि यह उनकी नियुक्ति का ही फल है। इसलिये उनको बाध्य किया जाय··

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रामकिशन : यह भी तो अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अव्यवस्था हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप घबड़ाते क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न पर इतना समय माननीय सदस्यों ने ले लिया है अब शेष प्रश्न रह जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह तो माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो वाजिब होगा उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात को वाजिब और गैर वाजिब भी समझती है, जो स्पष्ट रूप से वाजिब है ? आपके पास शायद इत्तला नहीं है लेकिन माननीय उप मंत्रीजी के पास इत्तला जरूर है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरे खयाल से उनके पास भी इत्तला नहीं है । वे जवाब नहीं दे सकते हैं ।

श्री विजयसिंह रावत : यह रकम कब तक दे दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्र हो जायगा ।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इसको बहुत समय हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! नेक्स्ट । श्री सांवरमल बासोतिया ।

**नवलगढ़ में चुंगी की दरें**

507. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को यह मालूम है कि नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा लगाई गई चुंगी दरें लगभग सभी वस्तुओं पर आसपास के अन्य सभी नगरपालिकाओं द्वारा लगाई गई चुंगी दरों से काफी अधिक हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन बढ़ी हुई चुंगी दरों के कारण सन् 61 के बाद से नवलगढ़ का बाजार प्रायः चौपट हो गया है ?

(3) सन् 1959-60 में नगरपालिका नवलगढ़ में चुंगी से कितना धन प्राप्त हुआ ? तथा 1966-67 में कितना ? कृपया दोनों वर्षों की चुंगी दरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) सन् 1959-60 से अब तक नगरपालिका ने क्या निर्माण कार्य किये तथा आमदनी का अधिकांश पैसा किस कार्य में लगाया गया ?

(5) क्या सरकार नवलगढ़ नगरपालिका की चुंगी दरें कम करने पर विचार करेगी ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी नहीं । किन्हीं वस्तुओं पर कम हैं किन्हीं वस्तुओं पर ज्यादा हैं ।

(2) जी नहीं । वर्ष, 1961 में जो माल आयात नगरपालिका क्षेत्र में होता था वर्तमान में उससे ज्यादा माल आयात हो रहा है ।

(3) सन् 59-60 में चुंगी से 19,133.34 पैसे की आय हुई तथा 66-67 में 71,579.60 पैसे की आय हुई थी । दोनों वर्षों की चुंगी दरों की सूचियां सदन की मेज पर रख दी हैं ।

(4) आमदनी का अधिकांश भाग मंहगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों के वेतन चुकाने व सामान्य दैनिक कार्यों में व्यय हुआ है । निम्न निर्माण कार्य भी कराये गये हैं :—

1. बिजली विस्तार कार्य 27,545.29 पै.
2. विकास कार्यों पर व्यय 32,245.53 पै.

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

| | |
|---|---|
| 3. टाऊन हाल निर्माण | 30,070.65 पै. |
| 4. क्रीडांगण व्यय | 1,419.60 पै. |

(5) जी नहीं। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुये नगरपालिका की चुंगी दरों में कमी करने का कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

**श्री सांवरमल बासोतिया** : अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी अभी बताया गया कि 30 हजार रुपये टाऊन हाल बनाने में खर्च किये गये हैं, क्या यह टाऊन हाल नगरपालिका का नहीं है ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : नगरपालिका ने बनाया है, तो उसका ही होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : क्या सरकार चुंगी की दरों को अधिकतम कायम करके नगरपालिकाओं को देने का विचार रखती है चाहे वे लगावें या न लगावें लेकिन अधिक सीमा से ज्यादा नहीं लगावें, इसके लिये सरकार विचार करेगी ?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : सारे राजस्थान में एक ही दरें हों, इस पर विचार कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री विजयसिंह रावत** : उन्होंने क्या कहा?

**श्री अध्यक्ष** : क्या फरमाया आपने, इन्हें बता दीजिये।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : राजस्थान सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सारे राजस्थान में एक ही चुंगी की दरें हों। उस समय यह भी विचार कर लिया जायगा।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : विचार तो कर लिया जायगा लेकिन क्या आप अपने मंत्रित्व काल में कर लेंगी या अपने उत्तराधिकारियों पर छोड़ जायेंगी ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

(12 मध्यान्ह)

**श्री खेतसिंह** : श्री नन्दलाल हाजिर नहीं हैं।

**श्री केसरीसिंह** : आप नन्दलाल मत कहिये माननीय श्री नन्दलाल कहिये कुछ बोलना तो सीखिये।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : माननीय मंत्री अभी ट्रेनिंग में हैं।

**श्री विजयसिंह** (मकराना) : ये तो सुखाड़ियाजी की फैक्टरी के बाई-प्रोडक्ट्स हैं।

**एक सदस्य** : इसी लिये उनको पुरजे खुलाने पड़ गये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री नन्दलाल अनुपस्थित हैं अतः 509 लिया जाता है।

प्रश्न संख्या 508 श्री नन्दलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

### रात्रि में सड़कों पर पुलिस के सिपाही

509. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

# Page No. 20



(श्री भगवान दास शास्त्री)

(1) राज्य के नगरों में रात्रि में सड़कों पर पहरा देने के लिये पुलिस के सिपाहियों की संख्या निर्धारित करने का आधार क्या है ?

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस प्रकार घूमते रहकर पहरा देने वाले सिपाहियों की संख्या शहर के क्षेत्र को देखते हुए कम रखी जाती है ?

(3) क्या सरकार इन सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(4) राज्य के बड़े बड़े नगरों में कितने कितने सिपाही रात्रि में पहरा देने के लिये ड्यूटी पर लगाये जाते हैं ?

**उप-मंत्री, गृह** (श्री खेतसिंह) : (1) जनगणना के हित में, आवश्यकतानुसार सिपाही रात को गश्त के लिये तैनात किये जाते हैं।

(2) गश्त के लिये सिपाहियों की संख्या पुलिस अधीक्षक व सम्बन्धित स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा ही आवश्यकतानुसार तय की जाती है।

(3) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(4) यह कानून व्यवस्था की स्थिति व आवश्यकता पर निर्भर है।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : अजमेर के लिये बतलाना चाहता हूं जैसे ही पुलिस गश्त के लिये जाती है गश्त के दौरान में इतने बड़े नगर में दीवारों से प्रवेश करके चोरियें होती हैं।

**श्री खेतसिंह** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : जो पुलिस गश्त करने के लिये रखी जाती है अलग अलग बड़े बड़े नगरों में रखी जाती है वह एस. पी. द्वारा तैनात की जाती है गश्त के लिये। अपने राजस्थान में जो बड़े बड़े नगर हैं जैसे अजमेर जोधपुर कितनी पुलिस गश्त देने के लिये दी जाती है ?

**श्री खेतसिंह** : वहां के एस. पी. वहां की आवश्यकतानुसार पुलिस का इन्तजाम करते हैं। अगर एस. पी. यह देखें कि इतनी पुलिस से काम नहीं चलेगा तो वह रेन्ज से और मंगा सकते हैं इसके अलावा आर. ए. सी. भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर बड़ा जिला है वहां पुलिस की संख्या उचित है, वहां का काम ठीक चलता है तो ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : अजमेर में आर. ए. सी. के भेजने की जरूरत नहीं वहां की सभ्य जनता है। लेकिन इतनी अधिक चोरियां होती हैं, विस्थापितों के बाजार हैं, वहां का ट्राफिक बन्द कर दिया गया विश्नोईजी के समय से ही वहां ट्राफिक न होने से चोरियां ज्यादा होने लग गई। पुलिस को चाहिये कि वहां जो वन वे ट्राफिक कर रखा है उसको बन्द करें।

**श्री अध्यक्ष** : यह अलग से बात है आप लिखकर दे देवें।

**श्री श्रवणलाल** : इतनी घनी आबादी में पुलिस के गश्त लगाते हुए भी चोरियां होती हैं ?

**श्री विजयसिंह रावत** : आपने पुलिस की गश्त में कितने पुलिस वाले किस किस शहर के लिये रहेंगे इसका क्या क्राइटेरिया बना रखा है ?

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर ! मुझे दो और महत्वपूर्ण प्रश्न लेने हैं।

**श्री विजयसिंह** : हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो ये कागज खराब क्यों किये जाते हैं ? आप ऑर्डर ऑर्डर हर वक्त करते रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती गौरी पूनियां।

**डेगाना-पुष्कर सड़क पर डामर कार्य**

510. **श्रीमती गौरी पूनियां** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डेगाना से पुष्कर सडक को डामर सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक कार्य शुरू होगा ? और नहीं, तो क्यों ?

(2) इस सड़क पर अत्यधिक ट्रेफिक चलता है फिर भी अब तक राज्य सरकार ने इस सड़क को डामर रोड क्यों नहीं बनाया है ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (1) जी नहीं।

(2) डामर कार्य डेगाना से हरसोर, हरसोर से खेड़ा तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

**श्रीमती गौरी पूनियां** : आप किस प्रकार की सड़क को प्राथमिकता देते हैं ?

**श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा** : ऐसा कोई आधार निर्धारित नहीं है जो सड़क ज्यादा काम में लायी जाती है उस पर डामर करते हैं।

**श्रीमती गौरी पूनियां** : आखिर कोई विभाग के पास क्राइटेरिया तो होगा ?

**श्री गोरधन सोनी** : डेगाना क्षेत्र में डामर की सडक किस जगह है ? एक भी डेगाना क्षेत्र में ऐसी सडक नहीं जिस पर डामर हो।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री गोरधन सोनी** : अध्यक्ष महोदय, डेगाना बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है।

**श्री विजयसिंह** (मकराना) : डामर नहीं तो डामर के ढोल तो होंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री फतेहसिंह।

**ब्यावर में सुरक्षा कोष के लिए इकट्ठा किया गया धन, वस्त्र एवं सोना**

511. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह बात सही है कि सन् 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब ब्यावर शहर में भी एक सुरक्षा कोष समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उस समिति में कौन कौन सदस्य थे और उसके द्वारा कितना रुपया, सोना, अन्न और वस्त्र इकट्ठा किया गया तथा वह कब कब सरकारी कोष में जमा कराया गया ?

(श्री फतेहसिंह)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त चीनी आक्रमण के समय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिस सुरक्षा कोष समिति का निर्माण हुआ उससे ब्यावर के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने असहयोग किया और कांग्रेस की ओर से एक दूसरी समानान्तर सुरक्षा कोष समिति का गठन किया गया ? यदि हां, तो इस समिति में कौन कौन सदस्य थे और इसके संयोजक कौन थे और उन्होंने कितना रुपया और सोना इकट्ठा किया और वह सरकारी कोष में कब कब जमा कराया गया ?

(3) क्या पाकिस्तान द्वारा सन् 1965 में किये गये आक्रमण के समय भी सुरक्षा कोष के लिये ब्यावर में रुपया, सोना वस्त्र एवं अन्न इकट्ठा किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि चीनी आक्रमण के समय ब्यावर के महालक्ष्मी मिल्स के डाइरेक्टर सेठ श्री नोरतनमल जी कोठारी ने भी कांग्रेस द्वारा गठित सुरक्षा कोष समिति के संयोजक को सुरक्षा कोष के लिये एक सोने की कंठी दी जिसका वजन 28 तोला था ?

(5) क्या यह बात सही है कि चीनी आक्रमण के समय ब्यावर की कांग्रेस द्वारा गठित उपरोक्त सुरक्षा कोष समिति द्वारा इकट्ठा किया गया सोना पाकिस्तान द्वारा सन् 1965 में किये गये आक्रमण के बाद सरकारी कोष में जमा कराया गया ? यदि हां, तो यह सोना इतनी देर से क्यों जमा कराया गया, इतने लम्बे समय तक यह किसके पास पड़ा रहा और किन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर यह सोना बाहर आया ?

(6) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस द्वारा गठित उपरोक्त सुरक्षा कोष समिति को चीनी आक्रमण के समय दिया गया सोना व सोने के जेवरात वहीं थे जो पाकिस्तानी आक्रमण के बाद सन् 1965 में सरकारी कोष में जमा कराये गये ?

(7) क्या सरकार इस सारे घोटाले की जांच सतर्कता आयोग अथवा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : जी हां।** सन् 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के दिनों में ब्यावर शहर में सीमा सुरक्षा सहयोग समिति के नाम से एक समिति गठित हुई थी। उस समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त समिति द्वारा 1,18,055 रुपये 51 पैसे एवं 480.994 ग्राम सोना एकत्रित किया गया था। अन्य वस्तुयें जो एकत्रित की गई उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। उक्त धनराशि व सोना समय समय पर सुरक्षा कोष के खाते में जमा करा दिया गया।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सीमा सुरक्षा सहयोग समिति से ब्यावर के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने असहयोग नहीं किया, बल्कि वहां के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोना संग्रह कमेटी के नाम से एक कमेटी का गठन किया जिसमें निम्नांकित व्यक्ति थे :

| | |
|---|---|
| श्री बृजमोहनलाल शर्मा एडवोकेट ब्यावर | संयोजक |
| डा. ए. एम. गुप्ता ब्यावर | ट्रेजरार |
| श्री जगन्नाथ एडवोकेट, ब्यावर | सदस्य |

(श्री खेतसिंह)

श्री हरीप्रसाद एडवोकेट, ब्यावर सदस्य
श्री बजीरचन्द एडवोकेट, ब्यावर सदस्य
श्री जयनारायण गुप्ता एडवोकेट, ब्यावर सदस्य

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सोना संग्रह कमेटी ने 247 ग्राम सोने के जेवरात एकत्रित किये जो मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष में दिनांक 30-9-65 को जमा कराये गये।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है। अलबत्ता स्थानीय लक्ष्मी मिल्स के सेठ श्री नोरतनमल जी कोठारी के परिवार के सदस्यों से जो सोना प्राप्त हुआ था उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार सोना संग्रह कमेटी द्वारा एकत्रित किया गया सोना जुलाई, 1963 में उत्तर मण्डल कांग्रेस कमेटी के खजान्ची श्री ईश्वरदास फतेहपुरिया के पास जमा हुआ और तत्पश्चात् 30-9-65 को मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष के खाते में जमा हुआ।

(6) प्राप्त जानकारी के अनुसार जो जेवरात दान में प्राप्त हुये थे वही जेवरात मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष के खाते में जमा हुए हैं।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई है)

**मेजर श्री फतेहसिंह** : यह सोना सेठ नोरतनमल कोठारी के परिवार से कौनसी तारीख को प्राप्त हुआ ?

**श्री खेतसिंह** : 30-9-65 गलत है।

श्रीमती मोहनकुवर कोठारी, श्रीमती प्रेमलता कोठारी, श्रीमती कमला कुमारी कोठारी इन तीनों से 81.5 ग्राम सोना प्राप्त हुआ।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : कौनसी तारीख को प्राप्त हुआ ?

**श्री खेतसिंह** : 30-9-65 को तो जमा कराया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसकी डेट उपलब्ध नहीं हो रही है।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : यही तो बात है वह। यह सन् 62 में इकट्ठा किया गया था तो इस बीच इतने समय तक यह कहां पड़ा रहा ?

**श्री खेतसिंह** : उत्तर में बताया ईश्वरदास फतेहपुरिया के पास जमा रहा।

**श्री दुर्गालाल बादुदार** : प्रश्न यह है कि सन् 62 में यह सोना पब्लिक से रियेलाइज किया गया। यह चैरिटी परपज से लिया गया तो इसे इमीजिएटली सरकार में जमा करा दिया जाना चाहिये था। इतने अस तक अपने पास क्यों रखा। चीन का आक्रमण हुआ, इसके बाद पाकिस्तान का हुआ तो एक दूसरा युद्ध और गुजर गया-तब भी जमा नहीं कराया और इतने अस तक यह सोना मिस एप्रोप्रियेशन में रहा इसका क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह : कुल सोना इस तारीख तक जमा करा दिया गया है। अलग अलग डेट्स नहीं हैं। मैं बराबर उत्तर दे रहा हूं। यह सोना एकत्रित करने के बाद यह रिपोर्ट किसी ने दी कि सोना खाकर बैठ गये। इस पर इन्क्वायरी चली। उसमें भी साबित हुआ कि कोई सोना नहीं खाया है। कलेक्टर ने कहा कि जमा करा दीजिये तब जमा करा दिया।

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों ने इतने दिनों तक इन्क्वायरी होने तक सोना जमा नहीं कराया क्या उनके खिलाफ राज्य सरकार ने केस रजिस्टर किया ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रयत्न तो हजम करने का किया, पर वह हजम नहीं हो सका।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मामला तो गम्भीर है।

श्री खेतसिंह : मैं पढ़ देता हूं कलेक्टर का पत्र।

Inspite of my best efforts for last three months neither Seth Noratanmal produced any receipt nor agreed to identify the ornaments lying with the cashier.

खुद कलेक्टर की रिपोर्ट है। रिपोर्ट होने के बाद श्री नोरतनमल कोठारी को बुलाया गया और पूछा गया कि जो जेवर आपने दिये उनकी शनाख्त कर लो तो वह आये भी नहीं न उन्होंने आइडेन्टिफाई किया। इसके बाद कलेक्टर और शहादतों से सेटिसफाई हो गये कि यह वही सोना है तब जाकर जमा करा दिया गया।

मेजर श्री फतहसिंह : यह प्रश्न तो दूसरा है। सही बात तो यह है कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री मोहनलालजी आर्य ने 22-9-65 को अध्यक्ष उत्तर मण्डल कांग्रेस कमेटी को एक पत्र लिखा कि चीन न आक्रमण किया तब कांग्रेस की तरफ से सोना इकट्ठा किया गया था उसका दुरुपयोग किया गया है और वह सोना अभी तक जमा नहीं कराया गया है। इसके बाद में एक और कार्यकर्ता ने 25 सितम्बर, 65 को एक और पत्र लिखा कि इस मामले की सारे ब्यावर में चर्चा हो रही है कि चीनी आक्रमण के दिनों में कांग्रेस ने जो जो सोना इकट्ठा किया था वह अभी तक जमा नहीं कराया गया है। इसके बाद में जांच-पड़ताल शुरू हुई। यहां तक कि ब्यावर नगर से प्रकाशित होने वाले एक डिक्टेटर नामक पाक्षिक अखबार है उसमें और एक अन्य अखबार में सितम्बर महीने में इस बात का प्रकाशन हुआ था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जनता के धन का दुरुपयोग किया है। इसके बाद में यह सारी इन्क्वायरी शुरू हुई।

इस सब में एक प्रश्न यह भी उठता है कि ब्यावर शहर में एक सुरक्षा कोष समिति का निर्माण सरकार की तरफ से किया गया था और वह सोना और रुपया सब चीजें इकट्ठी करती थी। तब फिर यह दूसरी समिति कांग्रेस की तरफ से अलग गठित किये जाने का क्या कारण था, क्या आवश्यकता थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सोना हजम करने के लिये।

श्री खेतसिंह : यह तो जिस वक्त देश पर हमला हुआ तो राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय

(श्री खेतसिंह)

भावना से राष्ट्र की हर पार्टी कर सकती है। और फिर इसमें कांग्रेस का तो सबसे ज्यादा सहयोग रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जहां सोना है, कांग्रेस है, वहां बेईमानी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सोना संग्रह समिति को राज्य सरकार की ओर से छपी हुई रसीदें सोना व चन्दा एकत्रित करने के लिये दी थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, रसीदें दी गई थीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इसके लिये यह नीति निर्धारित कर दी थी कि कोष संग्रह के लिये एक जगह एक ही समिति हो, एक के अलावा दो समितियां न हों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, यह भी सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस समिति के हिसाब को ऑडिट कराया है और रसीदों को देखा है और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि जो सोना या धन एकत्रित किया गया था वह सारा का सारा यथा समय जमा करा दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: कलेक्टर को इसकी जांच करने का कहा था। पर उन्होंने गबन होने की बात अपनी रिपोर्ट में नहीं कही है।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैंने अपने प्रश्न में पूछा कि क्या कांग्रेस के सदस्यों ने सरकारी समिति से असहयोग किया, उत्तर में वैसे तो ना कहा पर साथ ही यह कहा कि कांग्रेस ने अपनी अलग समिति संगठित की तो इससे तो यह स्पष्ट जाहिर है कि सरकारी समिति से उन्होंने असहयोग ही किया।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें असहयोग का क्वेश्चन खड़ा नहीं होता। जो एक समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई हुई थी उसमें इकट्ठा करके जमा करा देना चाहिये था अलग समिति नहीं बनानी चाहिये थी। बाकी असहयोग का क्वेश्चन इसमें अराइज नहीं होता।

मेजर श्री फतेहसिंह : इसमें धन का मिस एप्रोप्रियेशन किया गया है। क्या सरकार इसकी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग से जांच करावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके सम्बन्ध में जो जांच करवाई गई है उससे भ्रष्टाचार की बात सामने नहीं आती। सिवाय इस बात के कि यह गलती जरूर की है कि जमा जल्दी करा देना चाहिये था। देरी की गई, यह गलती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आपकी सरकार की नीति थी कि एक स्थान पर एक ही समिति बनाई जावे दूसरी कमेटी नहीं बनाई जावे तो फिर सरकार ने ऑफिसियल कमेटी के अलावा दूसरी समिति को रिकग्नाइज करके रसीद बुकें क्यों दीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन लोगों ने काम किया और धन इकट्ठा करके लाये ऐसा बहुत सी जगह काम लोग करते थे और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
जिस स्पिरिट से उन दिनों काम हो रहा था उसको देखते हुए रसीद बुकें देने में कठिनाई नहीं हुई। यह तो बाद में शिकायत आई और जांच की गई। नहीं तो अलग अलग तरीके से इकट्ठा करना लोगों की स्पिरिट को देखते हुए रोकना सम्भव नहीं था। गवर्नमेन्ट ने सरकूलर इश्यू किया था कि एजेन्सी के थ्रू ही इकट्ठा किया जाना चाहिये।

श्री नैरोसिंह : क्या यह सही है कि इस समिति को जो रसीदें दी गई उनमें चार रसीदों की किताबें अभी तक वापस जमा नहीं कराई गई हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामकिशन : एक प्रश्न है सरकार ने एक कमेटी बुलाई थी और उस कमेटी में निर्णय हुआ था कि एक जिले में एक कमेटी होगी और उसका अध्यक्ष मोस्टली कलेक्टर होगा तो यह जो दूसरी समिति ब्यावर में बनी यह इस निर्णय से पहले बनी या बाद में?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस तारीख को हुई थी, इसका मुझे पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन : असल झगड़ा इसी बात का है। पहले भी शिकायत आई थी आपके सामने।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्री और उप मंत्री महोदय ने कहा कि जांच हुई। तीन वर्ष के बाद सोना जमा हुआ। क्या मैं यह जान सकता हूं, क्या मन्त्री महोदय इस पर कोई प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिस रूप में सोना देने वाले ने दिया था उस रूप में जमा हुआ है या उतने वजन का सोना जमा हुआ है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सोना उसी रूप में उतने ही वजन में जमा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : रिकार्ड को देखा जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एन्क्वायरी करने वाले अफसर ने साफ कहा है कि उतना ही और उसी शक्ल में जमा हुआ है। इतना और निवेदन कर दूं कि यह कमेटी के पास इतने दिनों इस खयाल से रहा कि कोई इम्पोर्टेन्ट आदमी आवे तो उसको दें। यह भी रीज़न हुआ। वह रीज़न हालांकि गलत था, सही नहीं था।

श्री दौलतराम सारण : जब कमेटी राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित नहीं थी तो राज्य सरकार ने रसीदें उसको क्यों दीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गठन उसका नहीं होना चाहिये था। पर हो गया तो उसका आधार गलत था। यहां और सवाल खड़े नहीं होते।

श्री दौलतराम सारण : जब सरकार की नीति के खिलाफ जाकर कोई समिति गठित होती है तो फिर और सवाल खड़े कैसे नहीं होते?

श्री अध्यक्ष: इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उत्तर दिया जा चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: क्या सरकार इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता की इच्छा के अनुसार प्रश्न के 7 वें भाग में पूछा है उसके अनुसार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
कोई भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच कराने की आवश्यकता महसूस करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उत्तर दे चुका हूं कि उसकी जांच की आवश्यकता नहीं है जो फैक्ट्स हैं वह सामने हैं।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नत्थीसिंह: कांग्रेसी खा जायें उसकी कोई जांच नहीं होगी।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ! एक माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार ने यह नीति बनाई थी कि एक स्थान पर एक ही आफिशियल कमेटी होगी। पहला प्रश्न यह उठता है कि उस कमेटी को जो कि उन्होंने अपने तरीके से गठित कर दी उसको सरकार ने रिकग्नाइज क्यों किया। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आपने, मान लीजिए कि इर्रेगुलर तरीके से रिकग्नाइज कर लियीं, रसीदें दीं तो वह 62 में रसीदें दीं, उन्होंने सोना वसूल किया। आपने रसीदों को वापिस क्यों नहीं मांगा और जितना उस पर सोना जमा हुआ था उसको आपने वसूल क्यों नहीं किया ? 3 वर्ष तक 62 से 65 तक उन्हीं के पास रहा, आपकी तरफ से कोई इनीशियेटिव नहीं लिया, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और उनकी भी किन्हीं व्यक्तियों ने बराबर शिकायत की है और तब जाकर उसका काग्नीजेन्स लिया गया है। फिर यह भी शिकायत है कि जितना सोना लिया गया है उतना वजन पूरा कर दिया गया है। सोने की जगह पीतल या मिलीजुली चीजें दे दी गयी हैं। जिन्होंने दान दिया था वह आइडेन्टीफाई करने के लिए नहीं आये तो यह सब डाउब्ट क्रियेट करता है। आखिर जिसने दान दिया वह आइडेन्टीफाई करने के लिए क्यों नहीं आया और आप इन्डाइरेक्टली उसको आइडेन्टीफाई कराते हैं। इस बात से साफ जाहिर है, इसके लिए जो भी दोषी हैं वह बड़े लीडर श्री बृजमोहनलालजी हैं। आप पोलीटिकल कारणों से इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते हैं, उसको आप दबाना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं इसलिए आपको इन्डिपेन्डेन्ट जुडीशियल इन्क्वायरी करानी चाहिये। इस तरीके से राष्ट्रीय हित के लिए और सुरक्षा के लिए धन एकत्रित किया जाये और उसका ऐसे दुरुपयोग किया जाये·········

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह की बातें बरदाश्त नहीं की जा सकतीं। आपको इन्डिपेन्डेन्ट जुडीशियल इन्क्वायरी करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर !

(व्यवधान)

(शोरगुल)

Page No. 28



(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया के खड़े होने पर) स्पष्टीकरण सुन लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन कर दूं कि इस समिति को गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई रसीद बुक नहीं दी गयी थीं · ·

कुछ माननीय सदस्य : यह और भी गलती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो भी फैक्ट्स हैं वह बता देता हूं और जब गवर्नमेन्ट को 65 में इसकी कम्पलेन्ट आई और गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध में इमीडियेटली इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करने के बाद सोना जिस शकल में इनको मिला था उसी शकल में वह जमा हुआ। पीतल या और तरह की चीज दी जाये तो यह आज राज्य के खजाने में नहीं है। जो भी सुरक्षा कोष के नाम से सोना आता है वह रिजर्व बैंक के पास जाता है और उनके वहां जमा किया जाता है। अगर पीतल की कोई चीज आये तो इमीडियेटली पाइन्ट आउट कर दिया जाता है कि यह पीतल की है या दूसरी। इसलिए यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सोने की जगह पीतल आगयी या वजन में कोई फर्क हो गया या जितना देना चाहिये था उसमें अन्तर रहा। जांच की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि फैक्ट्स सामने हैं। अब लेने के बाद काफी समय तक उनके पास रह गया यह फैक्ट है और इस पर कोई जांच कमीशन के बैठाने की आवश्यकता नहीं है। एम्बेजलमेन्ट कोई नहीं हुआ। सोने के बजाय पीतल नहीं गया। उस हालत में जांच किस बात की की जाय सिवाय इसके कि इतना टाइम तक नहीं रखना चाहिए था वह इर्रेगुलर मामला है। न इसमें गबन है, न सोने का चेन्ज है, न फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशन : इसमें मिस-एप्रोप्रियेशन तो हुआ ?

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्रीजी इस सदन के अन्दर तथ्यों के बारे में जांच करके नहीं कहते। पहले इन्होंने इसको स्वीकार किया कि हमने रसीदें दे दीं · ·

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कहां कहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं, यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह : हाउस में कहा है। हाउस में आपने स्वीकार किया है कि रसीदें दी गयीं, दुबारा मन्जूर किया कि रसीदें नहीं दी गयीं। अब एक बात को ले कर इन्क्वायरी की बात को लेकर महसूस नहीं करते कि श्री नटवरलाल ने जो जेवर दिये उसकी जांच कर ली और उसके बाद में कलेक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि जेवर का आइडेन्टीफिकेशन नहीं हो रहा है कि जेवर वही हैं या नहीं प्रश्न यह नहीं है कि 62 में जो सोना इकट्ठा किया, ऐसी समिति जिसको गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई रिकग्नीशन नहीं मिलना चाहिए उसने सोना इकट्ठा किया और उसके बाद में आपने जो नियम बना रखे हैं और जिस समिति में बैठकर आपने अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं उसके अनुसार जिस समय सोना 62 का इकट्ठा है उसका हिसाब जिलाधीश को तुरन्त भेज देना चाहिए। नियमों के अनुसार यदि नकद है तो वह ट्रेजरी में जमा होगा और बाकी का सामान 15 दिन के अन्दर अन्दर ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। पहले तो गलत

(श्री भैरोंसिंह)
यह की कि ट्रेजरी में जमा नहीं कराया। दूसरी इम्पोरटेन्ट बात यह है कि कलेक्टर ने आज तक इसकी जांच नहीं की है कि इस समिति की मार्फत किन किन व्यक्तियों से सोना लिया गया है, कितना कितना लिया गया, कितने कितने सोने की रसीदें दी गयीं, किस किस तारीख को लिया गया और कहां कहां उस सोने को जमा कराया गया। सरकार ने इस एक पाइन्ट पर जांच कराई है बाकी सोने का माल जो कि 400 तोला के लगभग आता है उसकी कोई जांच नहीं हुई है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वह जमा हो चुका है। इसी सोने का डिस्प्यूट था जिस की जानकारी की गयी थी। बाकी सोना सब जमा हो चुका है। जो भी शिकायत आई है या जो सरकार की कमेटी के जरिये इकट्ठा किया गया इस समय उस केस की कम्प्लेन्ट इस बात की है कि हमने जो सोना जमा कराया वह सरकार में नहीं कराया गया ऐसी कोई कम्पलेन्ट नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य जो प्रश्नकर्त्ता हैं उनकी भावनायें और माननीय सदस्य जो अलवर से आये हुए हैं उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किये वह भी मैंने सुने। मुख्य मंत्रीजी को जो भी कहना था वह मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मेरे ख्याल में मुख्य मंत्रीजी के लिए यह शोभास्पद होगा कि इधर के सदस्यों की भावनाओं को आदर देकर इस बारे में जांच भी कराई जाये तो उनके लिए और भी विशेष शोभनीय है। अगर जांच नहीं कराने के लिए वह जिद्द करके बार बार यह कहते हैं खड़े होकर कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं है तो हम लोगों के मन में यह बिल्कुल भावना होगी कि यह चार सौ बीसी है और इस 420 की भावना को मिटाना नहीं मिटाना माननीय मुख्य मंत्रीजी की मर्जी के ऊपर और उनकी दूरदर्शिता के ऊपर निर्भर है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट जिसके बारे में मैंने निवेदन किया था वह जमा करा दिया आज गवर्नमेंट के पास में उसके बारे में ऐसी कोई कम्प्लेन्ट नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि सोना उनके पास जमा कराया है वह गवर्नमेंट के पास में डिपोजिट नहीं किया गया, तो मैं कहता हूं कि एन्क्वायरी किस बात की। अगर कोई चीज सामने आये और कोई लिखकर यह चीज प्रूफ के साथ में सामने लाये कि अमुक अमुक आदमी ने सोना जमा कराया था और इस कमेटी ने वह सोना जमा नहीं कराया तो निश्चित एन्क्वायरी कराऊंगा।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्रीजी सदस्य मेजर फतेह सिंहजी को कुल कागजात इस सम्बन्ध के बताने की कृपा करेंगे और उनको संतुष्ट करने की चेष्टा करेंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अगर माननीय सदस्य मुझे इस बारे में संतोष करा देंगे कि किसी और ने सोना लिया और वह इस कमेटी में जमा हुआ और उसके पास में कच्ची रसीद है और इस समिति ने वह सोना जमा नहीं कराया तो जो कुछ कागज है वह मैं इनको दिखा दूंगा।

**श्री मदनसिंह दांता** : क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(श्री मदनसिंह दांता)
यह दो साल के अर्से तक सोना पड़ा रहा और उस पर इन्ट्रेस्ट कमाया और हूबहू वही सोना बनाकर जमा करा दिया। क्या यह जायज है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** सोने का इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है।

**श्री मदनसिंह दांता :** ऐसा भी है कि तीन साल तक इन्ट्रेस्ट लेकर फिर जमा कराया क्या इसको आप उचित समझते हैं? इसका आप जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर प्लीज ! प्रश्न कर्ता !

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** माननीय मुख्य मंत्री ....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर ! माननीय सदस्य, प्रश्न कर्ता !

**श्री मदनसिंह :** मैंने एक सवाल पूछा है....

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज !

**श्री फतेहसिंह :** क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में यह है कि जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो फिर ब्यावर के कुछ नागरिक सेठ नौरतनमलजी के पास सोने का दान लेने को पहुंचे तब उन्होंने कहा कि पिछले वाले सोने की रसीद तो मिली ही नहीं, तब यह सारी बात जनता के सामने आई और 1965 में इसका प्रकाशन हुआ "डिक्टेटर' में। क्या आपके ध्यान में यह बात है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** सेठ नौरतन मलजी ने क्या कहा था जब उनके पास सोना इकट्ठा करने गये, यह मुझे पता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न साफ है कि सोना बिना रसीद मिलता नहीं और माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि रसीद नहीं दी। कमेटी हुई है कितनी ही और आज तक पता नहीं कि अपनी निजी रसीदों से कितना इकट्ठा किया, उसकी आज तक आपको जानकारी नहीं है। एक पार्टी से सोना लेने गये और अखबारों में आया तो पता चला, इन सारी बातों की इसलिए जांच करना अत्यन्त आवश्यक है और जांच आपको कराना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर प्लीज !

**श्री विजयसिंह रावत :** अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री यह है....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया कि इसकी जांच किस चीज की करें तो इसकी यह जांच इसलिए करवाते हैं और इसलिए इन्सिस्ट करते हैं कि 62 के अन्दर सोना इकट्ठा किया और 65 में जब शिकायत हुई तब जमा किया गया तो इस दरम्यान में सोना किस इन्टेन्शन से रखा?

**श्री अध्यक्ष :** वह आ चुका है।

**श्री विजयसिंह :** इसके बारे में ही जांच करवाना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए ।

**श्री विजयसिंह** : इसकी जांच होनी चाहिए ।

**कई विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य** : इसकी जांच होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! सब एक साथ न बोलें, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह प्रश्न ऐसे समाप्त नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय· · · ·

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष**: कई माननीय सदस्यों के एक साथ लगातार बोलते रहने पर) इन सब को लिखने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : आप सुनिये· ·

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ! यह सब एक्सपन्ज किया जाय ।

( श्री देवीदत्त गाड़िया एवं अन्य कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ! यह सब एक्सपन्ज किया जाय। (पुनः कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर ) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

**श्री जयनारायण सालोदिया**: अध्यक्ष महोदय ने रिपोटिंग कराना बन्द कर दिया है

**श्री रघुनाथ विश्नोई**: तो क्या घन्टे भर तक बकवास करते रहेंगे इस पर?

(कई माननीय सदस्य निरन्तर एक साथ बोलते रहे )

**श्री जयनारायण सालोदिया**: आप इस तरह से खाते रहेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : सोना नहीं खाया जाता।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : नहीं खाने देंगे आपको सोना।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मेरा यह···

**श्री जयनारायण सालोदिया**: तुम्हारे घर का है।

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मेरी ओर मुखातिब हों। आर्डर प्लीज !

यह प्रश्न अधिक से अधिक समय ले चुका है। हाउस का बिजनेस और भी अवशेष है । माननीय सदस्यों की उद्विग्नता यह तो अवशेष है ही, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि क्या इसी प्रश्न पर सारा बिजनेस हाउस का खत्म हो जायगा और उसके साथ ही · · ·

**एक माननीय सदस्य**: कोई भाव.वेश नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो एक साथ होकर सभी बोल रहे हैं उसको रिपोर्टर लिखने में असमर्थ है और चूंकि सभी एक साथ बोल रहे हैं इसलिए मेरी भी

(श्री अध्यक्ष)
असमर्थता है कि उसको लिखवाया जाय इसलिए सदन के माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं और तथ्य प्रकट किये हैं वे पर्याप्त रूप से आ चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर माननीय सदस्य सभी एक साथ बोलते रहेंगे तो एक अजीब स्थिति तो होगी ही, लेकिन आगे का बिजनेस और यह बिजनेस सब स्तब्ध रह जायगा। न मैं यह चाहता हूं और न माननीय सदस्य चाहते हैं कि आगे का बिजनेस नहीं लिया जाय। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक यह आग्रह करूंगा कि जब इस प्रश्न ने इतना समय ले लिया है तो मैं आगे का बिजनेस लेना चाहता हूं। ऐसी विषम परिस्थिति में माननीय सदस्य स्वयं सुझाव दे सकते हैं। और क्या हथियार है कार्यवाही करने का?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक प्रश्न करना चाहता हूं और उसके साथ साथ सुझाव भी रखूंगा कि आपने कहा कि लिखकर शिकायत कर दें तो जांच करने को तैयार हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह बात जानना चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से सारे तथ्य प्रकट किये वे अपने आप में पर्याप्त समझे जायं। अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी जांच कराने को तैयार नहीं हैं तो फिर सारा मामला आप देखकर अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी असमर्थता प्रकट कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : उन्हें बोलने दें। हमें आप पर कान्फीडेन्स है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह बात तो सही है कि हर मामला अध्यक्ष को सौंपना नहीं चाहिए, लेकिन यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में है। यह मामला सत्य भी है और इस पर ज्यादा विवाद नहीं है कि सोना इकट्ठा किया कांग्रेस ने कमेटी के अन्दर··

श्री अध्यक्ष: इस विवाद में मैं नहीं पडना चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: तीन साल तक सोने को रखा। जब सेठों ने जो सोना इकट्ठा किया जमा नहीं कराया तो कलेक्टर ने जानकारी की और जानकारी के सिलसिले में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 62 में इकट्ठा हो गया···

श्री रघुनाथ विश्नोई: सोने की रसीदें····

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज!

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य से जानना चाहते हैं हाउस का प्रेसीडेन्स बने····

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रिजर्व बैंक के नाम से फार्म दिये जाते थे··

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आप यह कहना चाहते हैं··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : गुलामी करते रहे और··

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य! आर्डर प्लीज

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: मैं तो यह उम्मीद रखता था कि कांग्रेस के भी माननीय सदस्य कांग्रेस के लोगों ने जो घोटाले किये हैं उनकी निन्दा करेंगे ....

**श्री रामनारायण चौधरी**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूं......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: आप बैठ जाइये, पीछे कहें।

**श्री अध्यक्ष**: आपकी बात समाप्त होने दीजिये माननीय सदस्य।

**श्री रामनारायण चौधरी**: मैं बीच में कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: बीच में नहीं कहना चाहिये।

**श्री रामनारायण चौधरी**: अभी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। मेजर फतेहसिंह जी ने कहा कि कांग्रेस वालों ने शिकायत की। उत्तर से जाहिर है कि केवल कांग्रेस वालों की ही कमेटी नहीं बनाई गई थी। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बातों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कहना चाहिये ..

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर आर्डर प्लीज।

**श्री रामनारायण चौधरी**: जैसा कि सरकारी पक्ष से जवाब दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाई गई थी। माननीय सदस्य ने इस बात का आक्षेप लगाया कि वहां पर केवल कांग्रेस वालों की कमेटी बनाई गई थी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस वाले सभी ईमानदार हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): अध्यक्ष महोदय, इनके लिये एक सर्टिफिकेट लगादें मंडवाकर चूतड पर।

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज! आर्डर प्लीज!

**श्री रामनारायण**: इस तरह के आक्षेप लगाना और शब्द कहना उचित नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: रामनारायणजी ने बात कही कि कांग्रेसवाले ईमानदार हैं, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस वाले सेन्ट परसेन्ट बेईमान हैं। मैं समझता हूं ब्यावर के तीन कांग्रेसी ज्यादा ईमानदार हैं जिन्होंने शिकायत की सोना इकट्ठा किया, गबन किया उनकी आप प्रशंसा करते हैं, आपसे तो तीन कांग्रेसी ज्यादा अच्छे हैं जिन्होंने शिकायत की आप 108 मूक बैठे हों, आपकी जबान नहीं खुलती है, सोना इकट्ठा करके खा जायं ..

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज! आर्डर प्लीज!

(शोर गुल)

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज! माननीय सतीशचन्द्रजी आप अपने सदस्यों को रोकिये आर्डर प्लीज मुझ को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी ..

(शोर गुल)

# Page No. 34



श्री रघुनाथ विश्नोई: जन संघ में क्या बेईमान लोग नहीं हैं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप बेईमान नहीं हो तो काहे को ऐसी बातों का समर्थन करते हो ?

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने चोरियां कीं, गबन किया ...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। एक्सपन्ज किया जाय।

माननीय रोशनलालजी आर्डर प्लीज, माननीय श्री मुकुटबिहारी जी !

आर्डर प्लीज।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलते रहे)

माननीय सदस्य कृपया, एक्सपन्ज किया जाय इनकी बातों को।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस बात पर चर्चा होनी चाहिये, माननीय सदस्यों ने अपनी भावना स्पष्ट की है। रक्षा कोष का पवित्र धन है ...

(एक साथ कई मा. सदस्य बोलते रहे)

श्री रोशनलाल : कांग्रेस इसके लिये जिम्मेदार नहीं है।

(एक साथ कई मा. सदस्य बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनिट के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही 12.35 पर 15 मिनिट के लिये स्थगित हुई)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, 1.35 बजे पदासीन)

श्री अध्यक्ष : I call the House to order.

श्री मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा फण्ड के लिये सोने वाली बात को लेकर के जो यहां पर वाद-विवाद हुआ उसके बारे में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का ऐसा ख्याल है कि इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। मैं भी यह नहीं चाहता कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रान्ति रहे। अभी चेम्बर में जिस प्रकार से बातचीत की गई मैं इस सारे प्रश्न को विजीलेन्स कमीशन के पास रेफर कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब तो प्रश्न सभी समाप्त होगये।

श्री गोरधन सोनी : मेरा एक प्रश्न है जिसको स्थगित करने को कहा है ?

श्री अध्यक्ष: मैं उसको देख लूंगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैंने कल एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 1 देखिये)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### भरतपुर जिले की सड़कों की मरम्मत

500. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मजलिस खां)

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की सड़कों की मरम्मत के लिए 76000 रु. का मैटीरियल डलवाया गया है? यदि हां, तो उक्त मैटिरियल के लिए कब टेन्डर मांगे गये? और कितने आये और किस किस ठेकेदार ने टेन्डर भरे?

(2) उक्त ठेके के टेन्डर किस तारीख को खोले गये और सब से कम की बोली किस ठेकेदार की रही?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

**प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, अटरू में आइसोलेशन रूम की व्यवस्था**

508. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला अटरू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर सन् 61-62 में बना है?

(2) क्या यह सही है कि आज तक उक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में आइसोलेशन रूम (संक्रामक रोगी कक्ष) की कोई व्यवस्था नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि जहां पर दूसरी बीमारी के बीमार भरती किये जाते हैं उन्हीं के शामिल संक्रामक रोग के मरीजों को रखना पड़ता है?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। निर्माण विभाग ने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन को बनाकर चिकित्सा विभाग को 1-1-64 को सुपुर्द किया है।

(2) वैसे अलग से कोई आइसोलेशन रूम नहीं है परन्तु जब केन्द्र पर गम्भीर स्थिति में संक्रामक रोग का कोई रोगी आता है तो उसे केन्द्र के किसी और कमरे में अलग रखने का प्रबन्ध कर दिया जाता है।

(3) जी नहीं।

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**शासन सचिव, जिलाधीश तथा विभागीय निदेशक आदि के पदों पर अनुसूचित जन जाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्ति**

193. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु.): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में जिलाधीश, उप-जिलाधीश, विभागीय निदेशक अथवा शासन सचिव के पद पर कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का कोई व्यक्ति है?

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) जिलाधीश व उप जिलाधीश के पदों पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति के जो व्यक्ति हैं उनकी सूची संलग्न है। विभागीय निदेशक अथवा शासन सचिव के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का कोई व्यक्ति नहीं है।

(मुख्य मंत्री)

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभागीय निदेशक व शासन सचिव के पदों पर अधिकारी की वरिष्ठता के अनुसार ही पद स्थापना की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

**ग्राम सथाना खुर्द तथा पादू खुर्द में पोस्ट-आफिस की मांग**

194. श्रीमती गौरी पूनियां (डेगाना): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डेगाना पंचायत समिति के ग्राम सथाना खुर्द व पादू खुर्द की जनता पोस्ट आफिस की मांग कब से कर रही हैं?

(2) सरकार इन दोनों गांवों में पोस्ट ऑफिस कब तक खोल दिये जाने की व्यवस्था करवा सकेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) ग्राम पादू खुर्द में शाखा डाक घर दिनांक 15-2-68 को खोला जा चुका है। ग्राम सथाना खुर्द में डाकघर खोलने के लिये कोई भी प्रार्थना-पत्र डाकतार विभाग में प्राप्त नहीं हुआ। डाकतार विभाग ने यह जानकारी दी है कि सथाना कलां के लिये एक प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात् मालूम हुआ कि शाखा डाकघर की अनुमानित वार्षिक हानि विभागीय स्वीकृत हानि की मद से अधिक है। इस प्रकार सथाना कलां में शाखा डाकघर का प्रस्ताव आर्थिक कारणवश अस्वीकृत कर दिया गया है। उपरोक्त शाखा डाकघर विभाग द्वारा खोला जा सकता है अगर कोई इच्छुक व्यक्ति विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति हेतु नकद रकम डाकघर विभाग में जमा करा दे।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**

195. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर-सु.): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं?

(2) वर्तमान गर्भाधान केन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ गर्भाधान केन्द्र कौन कौन से माने जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष अच्छे गर्भाधान केन्द्रों में ग्राम आधार योजना आरम्भ की गई है? यदि हां, तो कहां कहां?

(4) क्या सरकार आगामी वर्ष अच्छे गर्भाधान केन्द्रों में ग्राम आधार योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां कहां?

**उत्तर**

(1) राज्य में वर्तमान में 26 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(2) जयपुर, बीकानेर एवं ब्यावर।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। धनाभाव के कारण यह संभव नहीं है।

**ऊन नीलामी केन्द्र**

196. श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से कितने ऊन नीलामी (Wool auction) केन्द्र हैं और कहां कहां ?

(2) ये ऊन नीलामी केन्द्र कब से चालू किए गये हैं ? आज तक इन केन्द्रों में कितनी ऊन खरीद करके इकट्ठी की गई और कितनी बिक्री की गई ?

(3) इस प्रकार ऊन खरीद और बिक्री करने में सरकार का कितना खर्चा हुआ है और कितना लाभ हुआ ?

(4) क्या इस व्यवस्था के लिए सरकार को विदेशी राज्य या संगठन से कोई आर्थिक या अन्य प्रकार का सहयोग मिला है ? यदि हां, तो किससे और कितना ?

(5) क्या इस कार्य के लिए कोई अलग प्रशासनिक व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी और अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं ? कितना प्रतिशत प्रशासनिक व्यय इस पर आता है ?

**उत्तर**

(1) राज्य में कुल तीन ऊन नीलामी केन्द्र हैं, जो कि जयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर में स्थापित हैं ।

(2) यह केन्द्र निम्न वर्षों में चालू किए गए हैं:--

(1) जयपुर सन् 1964-65

(2) जोधपुर सन् 1965-66

(3) बीकानेर सन् 1966-67

इन केन्द्रों पर सितम्बर, 1967 विलप तक कुल 3235420.100 किलोग्राम ऊन एकत्रित की गई और कुल 2063580 किलो ऊन नीलाम की गई ।

(3) विभाग के प्रोफोर्मा अकाउन्ट्स अभी तैयार नहीं हो पाये हैं ऐसी स्थिति में सरकार को हुए लाभ या हानि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

(4) इस व्यवसाय में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन ( एफ. ए. ओ. ) के द्वारा समय समय पर विदेशी विशेषज्ञों को राज्य में भेजा गया है जो कि अपने तकनीकी सुझाव एवं तकनीकी प्रशिक्षण देते रहे हैं । साथ ही इस संगठन ने 18413.70 डालर की कीमत के कल्पन एवं ऊन वर्गीकरण सम्बन्धी यंत्र भी सहायतार्थ प्रदान किए हैं ।

(5) जी हां । प्रत्येक वर्गीकरण केन्द्र पर एक ऊन वर्गीकरण अधिकारी, पांच विन इन्स्पेक्टर, 30 वर्गीकर्ता एक लेखा लिपिक, एक वरिष्ठ लिपिक, चार कनिष्ठ लिपिक व तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाये जाने का प्रावधान है । समय समय पर कार्य की अधिकता को देखते हुए वर्क चार्ज के आधार पर भी कार्य करने के लिए कर्मचारियों को लगाया जाता है । इस व्यवस्था पर लगभग 12 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय है ।

**रोडवेज विभाग से आये कर्मचारियों की नियुक्तियां**

197. श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(1) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अब तक राजस्थान राज्य रोडवेज विभाग के कितने कर्मचारियों को, जिन्होंने कि राज्य सेवा में आने का निर्णय लिया है, यातायात विभाग में नियुक्त किये जाने हेतु इस विभाग में भेजा है ?

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आये कितने कर्मचारियों को यातायात विभाग की सेवा में लिया जा चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि यातायात विभाग में एम. वी. एस. आई. के 10 स्थानों पर नियुक्ति हेतु सन् 64 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तथा सन् 65 में 13 स्थानों के लिए विज्ञापन दिया था परन्तु लिखित परीक्षा के पश्चात् इन्टरव्यू स्थगित कर दिया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि इसी समय रोडवेज विभाग की समाप्ति पर कुछ कर्मचारियों द्वारा राज्य सेवा में आने की इच्छा प्रकट करने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नई नियुक्तियों, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ?

(5) क्या यह सही है कि इस आदेश के पश्चात् यातायात विभाग ने अपने कुछ कर्मचारियों को अस्थाई रूप से एम. वी. एस. आई. के पदों पर नियुक्त कर दिया था ?

(6) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर आपत्ति प्रकट की तथा रोडवेज के 5 कर्मचारियों की सूची यातायात विभाग में नियुक्ति हेतु भेजी ?

(7) क्या यह सही है कि अस्थाई रूप से नियुक्त कर्मचारियों में से वरिष्ठता का ध्यान दिए बिना कुछ की अवनति की गई तथा रोडवेज के आये वरिष्ठ कर्मचारियों को विभाग में स्थान दिया ?

(8) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पुनः रोडवेज से आये 3 कर्मचारी इस विभाग में भेजे परन्तु अस्थाई रूप में पदोन्नत किये कर्मचारियों को पुनः अपने स्थान पर न भेजा जावे इस हेतु यातायात विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की इस सूची में प्रेषित नामों की नियुक्ति नहीं की ?

(9) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एब्जोरब्शन कमेटी ने इस स्थिति पर विचार कर विभाग को पुनः लिखा कि रोडवेज से आये कर्मचारियों को नियुक्त किया जावे तथा अस्थाई रूप से पदोन्नत किये गए कर्मचारियों को पुनः अपने स्थान पर भेजा जावे ?

(10) क्या यह सही है कि जून, 67 में भेजे गए 3 कर्मचारियों को तो इस विभाग में नियुक्त नहीं किया गया जब कि अगस्त, 67 के सामान्य प्रशासन से ही आये एक व्यक्ति की नियुक्ति विभाग ने कर दी है ?

(11) जिन 13 व्यक्तियों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन ने अनियमित मानी है उनकी सूची मय उनकी योग्यता एवं वरिष्ठता के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) परिवहन विभाग में अब तक इस प्रकार के कुल 12 कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेजे गये हैं।

(यातायात मंत्री)

(2) इस प्रकार भेजे गये 7 कर्मचारी लिये जा चुके हैं।

(3) परिवहन उप निरीक्षकों के 10 पदों पर सन् 1964 और 10 पदों पर 1965 में भर्ती के लिये विज्ञापन किया गया था यह सही है। यह भी सही है कि सन् 1965 में परीक्षा के बाद साक्षात्कार का काम स्थगित कर दिया गया।

(4) यह सही नहीं है। मितव्ययता के कारण प्रतिबन्ध लगाया गया।

(5) जी हां।

(6) यह सही है कि आपत्ति की गई थी लेकिन आपत्ति गलत पाई गई। यह सही है कि कुछ कर्मचारी विभाग में नियुक्ति के लिये दिसम्बर, 66 में भेजे गये।

(7) यह सही नहीं है। इन तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं हुई थी।

(8) हां यह सही है कि 1967 में कुछ कर्मचारी फिर नियुक्ति के लिये विभाग में भेजे गये। यह सही नहीं है कि यातायात विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को उन्हें न भेजने के लिये लिखा।

(9) यह सही है।

(10) यह सही है। परन्तु उस समय यह तीन कर्मचारी कार्यमुक्त होकर इस विभाग में नहीं आये थे।

सूची संलग्न है।

(11) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**पुलिस स्टेशन घाटोली से भालता लेजाने से जनता को असुविधा**

198. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम घाटोली, तहसील अकलेरा का पुलिस स्टेशन घाटोली से हटा कर भालता क्यों ले जाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि भालता ऐसा स्थान है जो पक्की सडक से दूर है व बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है व भालता टापू जैसा बन जाता है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि बरसात में जनता को भालता रिपोर्ट लिखाने जाने तक की मुश्किल आती है ?

(4) क्या सरकार पुनः भालता से घाटोली पुलिस स्टेशन बदलने की सोच रही है ?

(5) इस सम्बन्ध में एस. पी. झालावाड एवं डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस अकलेरा की क्या राय है ?

**उत्तर**

(1) प्रशासकीय सलाहकार कमेटी की राय के अनुसार जिला झालावाड में कुछ थाने व चौकियां तोड दी गई थीं तथा कुछ नये थाने व चौकियां कायम की गई थीं। इसी आधार पर घाटोली से थाना हटाया जाकर भालता थाना कायम किया गया था।

(गृह मंत्री)

(2) यह सही पाया जाता है।

(3) ऐसी कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई किन्तु बीच में नदी के कारण कठिनाई हो सकती है।

(4) वृताधिकारी अकलेरा ने जनता की सुविधा के लिए पुनः घाटोली को थाना बनाने के लिए अपने सुझाव लिख कर अधीक्षक, आरक्षी कोटा को भेजे थे, वे सुझाव अधीक्षक आरक्षी कोटा ने उप महानिरीक्षक उदयपुर-कोटा को भेजे हैं, जो विचाराधीन हैं।

(5) भालता से थाना हटाया जाकर थाना घाटोली कायम करने के लिये वृताधिकारी इकलेरा पूर्ण सहमत हैं। अधीक्षक आरक्षी झालावाड की राय प्राप्त नहीं हो सकी।

**आर.पी.एस. तथा आई.पी.एस. अधिकारियों की पदोन्नति**

199. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 जनवरी, 1967 से लेकर अब तक किन किन आर. पी. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों को कब कब पदोन्नत, अपग्रेड या स्थाई (कन्फर्म) किया गया ? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में क्या कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त प्रकार के अधिकारियों में से किन किन अधिकारियों को इस अवधि में अन्य किसी विभाग या निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1967 से अब तक आर. पी. एस. सीनियर स्केल पर 9 अधिकारियों को स्थाई किया गया है। आर. पी. एस. के सीनियर स्केल में पदोन्नत 17 अधिकारियों को किया गया और आर. पी. एस. के सीनियर स्केल में एड्हाक आधार पर 6 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। आर. पी. एस. सीनियर सेलेक्शन ग्रेड में एड्हाक आधार पर पदोन्नत एक अधिकारी को किया गया और तीन अधिकारियों को आर. पी. एस. के सेलेक्शन ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया गया।

(2) आई. पी. एस. एक उप महानिरीक्षक आई. पी. एस. का अपर महानिरीक्षक के सीनियर स्केल में उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 1 आई. पी. एस. जूनियर स्केल से सीनियर स्केल पर पदोन्नत किया गया और 1 आर. पी. एस. से आई. पी. एस. के सीनियर स्केल में पदोन्नत किए गये जिनकी लिस्ट संलग्न है। जी हां, राजस्थान पुलिस सेवा नियमों (आर. पी. एस. रूल्स) व भारतीय पुलिस सेवा नियमों (आई. पी. एस. रूल्स) के अन्तर्गत पदोन्नति होती है।

(3) श्री जे. पी. सिंधी, आई. पी. एस. का उप महानिरीक्षक पुलिस पदोन्नति

(गृह मंत्री)

करके राजस्थान गृह रक्षा दल में उप महा-आदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त किया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

**झालावाड जिले में डाका, कत्ल एवं चोरियों के मामले**

200. श्री लक्ष्मण तालीवाल (डग-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड जिले में 1 जनवरी, 1967 से 1 जनवरी, 1968 तक डाके, कत्ल, चोरियों व तस्कर व्यापार के कितने कितने मामले हुए ?

(2) उक्त मामलों में से कितने कितने मामले अदालत में प्रस्तुत किये गये और कितने कितने मामलों में सजा हुई ?

(3) किस किस मामले में माल बरामद हुआ और किस किस मामले में माल संबंधित लोगों को लौटाया गया ?

(4) कितना माल जब्त किया हुआ है और किस किस को लौटाया जाना है ? अब तक नहीं लौटाने के क्या कारण हैं ?

(5) उक्त अवधि में झालावाड नगर में डाका, कत्ल और चोरियों की कितनी कितनी घटनायें हुई हैं ? तथा इन मामलों में से कितने मामले अदालत में पेश किये गये और कितने मामलों में सजा हुई है ?

(6) झालावाड नगर की उक्त घटनाओं में से कितने मामलों में माल बरामद हुआ और कितने मामलों में माल संबंधित व्यक्तियों को लौटाया गया है ? तथा कितना जब्त माल किन किन को लौटाया जाना बाकी है और क्यों ?

**उत्तर**

(1) झालावाड जिले में सन् 1967 में कुल 4 डकैती, 25 कत्ल, 210 नकबजनी, 6 साईकिल चोरी, 4 जेब कटी, 3 मोटर के पुर्जे की चोरी तथा 120 साधारण चोरियों की घटनाएं दर्ज की गई। 69 गल्ले के तस्कर व्यापार तथा 29 अफीम के तस्करी व्यापार के मुकदमे दर्ज हुए ?

(2) यह जानकारी संलग्न सूची से विदित होगी।

(3) बरामद की गई सम्पत्ति चालान के साथ ही अदालत में जमा करा दी जाती है। जो मुकदमे अदालत में चालान हो चुके हैं उनसे सम्बन्धित सम्पत्ति अदालत में जमा हो चुकी है और वह निर्णय के पश्चात् ही अदालत के आदेशानुसार लोगों को लौटाई जावेगी।

(4) जिन जिन मामलों में चोरी गया माल बरामद एवं जब्त किया गया उस उस का ब्योरा संलग्न सूची से विदित होगा। बरामद की हुई सम्पत्ति केसेज से सम्बन्धित व्यक्तियों को अदालत द्वारा फैसले के अनुसार ही लौटाई जा सकती है।

(5) इस अवधि में झालावाड नगर में एक भी डाकेजनी की वारदात नहीं हुई। कत्ल का एक अपराध हुआ था जिसका चालान अदालत में प्रस्तुत हो चुका है जहां पर विचाराधीन है। नगर झालावाड में कुल 49 चोरियों (हर प्रकार की) के मुकदमें दर्ज हुए जिनमें से 6 मुकदमें झूठे पाये गये,

(गृह मंत्री)
20 अदम पता रहे तथा 3 मुकदमे जैर तफतीश पुलिस हैं। तथा 10 मुकदमों का चालान हुआ जिनमें से 1 सजायाब हुआ, 9 मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(6) उपरोक्त चोरियों के मुकदमें में कुल 28155.50 पैसा की सम्पत्ति चोरी गयी जिसमें से 10 मुकदमों में कुल 20465.55 पैसा की सम्पत्ति बरामद की गई जो मुकदमों के चालान के साथ ही अदालत में पेश हो चुकी है। यह सम्पत्ति न्यायालय से मुकदमों के निर्णय ज्यों ज्यों होते जावेंगे उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्पत्ति लौटाई जावेगी। झालावाड नगर पुलिस के पास कोई भी माल किसी को लौटाने के लिए जमा नहीं है। बकाया सूचना उपरोक्त पैराग्राफ में निवेदन की जा चुकी है तथा विस्तृत सभी अपराधों का विवरण साथ में संलग्न सूची में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जालौर जिले में कैटल लिफ्टिंग के मामले

201. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालौर में पिछले तीन सालों में मवेशी उठाने (केटल लिफ्टिंग) एवं खयानत के कितने मुकदमें दर्ज हुए उनमें से कितने चालान किए गए, कितनों में फाइनल रिपोर्ट दी गई एवं कितने जैर तफतीश पुलिस हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चालानशुदा मामलों में से कितनों में सजा हुई? कितने मामलों में मुलजीमान रिहा या बरी किए गए एवं किन किन कारणों से? कितने मामले जैर गौर अदालत हैं?

(3) क्या पिछले तीन सालों में उपरोक्त मामलों में माल बरामदगी एवं सजा की औसत घटी है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कितना बढ़ा है?

(4) मवेशी उठाने के मामलों को रोकने या कम करने के बारे में सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जिला जालौर में पिछली तीन सालों में मवेशी उठाने (केटल लिफ्टिंग) एवं खयानत के 165 मुकदमें दर्ज हुए। उनमें से 81 मुकदमों के चालान किये गये। 67 में फाईनल रिपोर्ट दी गई व 17 जैर तफतीश पुलिस है। तालिका संलग्न है।

(2) चालानशुदा अभियोगों में 17 में सजा व 6 अभियोगों में मुलजिमान बरी हुये। गवाहों के होस्टाइल्स हो जाने से मुलजिमान बरी हुए व 8 मुकदमात राजीनामे में खत्म हुए व 50 जर तजवीज अदालत हैं।

(3) जी नहीं।

सन् 1965 में 15 मुकदमें चालान हुए जिनमें 7 सजा व 1 जैर तजवीज अदालत है। 1966 में 27 मुकदमों के चालान हुए जिसमें 7 सजा व 15 जैर तजवीज है। सन् 1967 में 31 मुकदमों का चालान हुआ जिनमें 1 सजायाब व 29 जैर तजवीज हैं।

(गृह मंत्री)

सन् 1965 में सजा का प्रतिशत 66 था। सन् 1966 में 87.5 प्रतिशत हुआ तथा सन् 1967 में फिर 66 प्रतिशत हो गया। अतः प्रतिशत में घटा-बढ़ी नहीं हुई। बरामदगी सन् 65 में 71 प्रतिशत थी, 1966 में 89 प्रतिशत तथा 1967 में 60 प्रतिशत रही। 17 जैर तफतीश मुकदमों में भी बरामदगी के प्रयास जारी हैं। इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि बरामदगी का प्रतिशत घटा ही है।

(4) गश्त में बढ़ोतरी और सन्दिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी देखरेख तथा चोरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले मार्गों पर नाके बन्दी आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

**गंगापुर में वाटर सप्लाई का कार्य**

202. श्री रिद्धि चन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंगापुर में अभी तक वाटर सप्लाई का कार्य आरम्भ क्यों नहीं किया गया है?

(2) ट्यूब वैल कितने तैयार हो चुके हैं तथा बाकी कब तक तैयार होंगे व देरी का क्या कारण है?

(3) क्या यह सच है कि जब से सवाई माधोपुर में सहायक अभियन्ता, जल विभाग का कार्यालय स्थापित हुआ है, काम बिल्कुल बन्द सा हो गया है?

(4) क्या हरिजन बस्ती में पाइप लाइन डाली गई है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) योजना का कार्य निर्माणाधीन है।

(2) 4 नल कूप तैयार हो चुके हैं बाकी के 3 नल कूप मार्च, 68 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। नल कूप निर्माण का कार्य राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। देरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं यह, सच नहीं है।

(4) योजना में हरिजन बस्ती में केवल सार्वजनिक नल लगाने का ही प्रावधान है जिसके लिए पाइप लाइन डाली जावेगी।

**नगरपालिका रतनगढ़ के स्थाई जमादार को नौकरी से हटाने का मामला**

203. श्री [illegible] वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या नगरपालिका रतनगढ़ में किसी स्थाई जमादार को हटाया गया? अगर हां, तो उस पर क्या आरोप थे? क्या उसे चार्जशीट दी गई? अगर नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वैध रूप से नियुक्त किसी स्थाई जमादार को नहीं हटाया गया है।

**ग्राम रिडी की जल प्रदाय योजना**

204. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु.): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील श्री डूंगरगढ के ग्राम रिडी में सरकार द्वारा जल प्रदाय योजना लागू की गई है ?

(2) क्या यह गांव जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो अभी तक इस गांव में कार्य की क्या प्रगति हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि इस गांव में पानी बहुतायत से प्राप्त है और कुए भी काफी हैं ? यदि हां, तो कितने कुए हैं ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) मास्टर प्लान के अनुसार यह गांव पम्प व टैंक जल प्रदाय योजना के अन्दर आता है योजना ग्राम पंचायत के नियमानुसार प्रस्ताव एवं जिलाधीश के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बनाई जावेगी।

(3) जी हां, चार कुए हैं।

**बिलाडा के पास रायपुर नदी पर पुलिया का निर्माण**

205. **श्री कालूराम आर्य** (बिलाडा-सु): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत-बिलाडा सड़क पर बिलाडा के पास रायपुर नदी जो नहर के रूप में बहती है, वर्षा में यातायात रुक जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहर पर पुलिया हेतु कई बार मांग की गई है जो सार्वजनिक हित में अति आवश्यक है ?

(3) क्या सरकार उक्त पुलिया को बनवाने की आवश्यकता को महसूस करके यह आश्वासन देगी कि इसे वर्ष 1968–69 में बनवा दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) नहर पर पुलिया निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग से संबंधित है।

(3) प्रश्न नहीं उठता

**छींपा बडोद तहसील में डाक बंगला**

206. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा)**: क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के छींपा बडोद तहसील में डाक बंगला (रेस्ट हाउस) है ? अगर हां, तो किस जगह और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरकार इस तहसील के हैड क्वार्टर कस्बा छींपा बडोद में रेस्ट हाउस बनावाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) कोई डाक बंगला अथवा रेस्ट हाउस नहीं है।

(2) जी नहीं, यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं है।

मुण्डारा-नाणा सड़क निर्माण कार्य

207. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कि मुण्डारा से नाणा, जिला पाली को मिलाने वाली सड़क निर्माण करने की योजना बनाई गयी थी ?

(2) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ?

(3) क्या इस निर्माण कार्य को चालू किया गया था ? अगर हां, तो कितना कार्य पूरा हुआ एवं कितनी राशि खर्च हुई ?

(4) अब यह कार्य बंद क्यों पड़ा हुआ है ?

(5) अब यह कार्य पुनः कब तक चालू किया जावेगा और कब तक पूरा किया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 2,39,000 रु. तृतीय योजना में खर्च करने को प्रस्तावित थे।

(3) सिरोही जिले में 6 मील तथा पाली जिले में 4 मील ग्रेवल रोड निर्माण हुआ है 11,19,900 रु. व्यय हुआ है ।

(4) अर्थाभाव के कारण कार्य बंद है।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित् नहीं कहा जा सकता ।

स्थगित प्रश्न

(29-2-68)

गंगापुर भाड़ोती सड़क की मरम्मत

123. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर से भाडोती रोड की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) इस सड़क पर पिछले दस साल में कितना रुपया कब कब खर्च हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सड़क में रोड़ी वगैहरा ऊपर आई हुई है जो मनुष्यों, पशुओं एवं वाहनों के सडक पर चलने में भारी रुकावट है ?

(4) क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत की व्यवस्था शीघ्र करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सड़क की दशा अधिक अच्छी नहीं है।

(2) निम्न धन राशि निम्न वर्षों में व्यय हुई है।

| | |
|---|---|
| 1960-61 | 761933 |
| 1961-62 | 81857 |
| 1962-63 | 60000 |
| 1963-64 | 34417 |
| 1964-65 | 22775 |
| 1965-66 | 10318 |
| 1966-67 | 13241 |
| 1967-68 | 388 |

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां, विभागीय गैंग द्वारा सड़क ठीक कराई जा रही है।

(4) अर्थाभाव के कारण सम्पूर्ण सड़क की विशेष मरम्मत एक साथ किया जाना संभव नहीं है, ज्यों ज्यों धनराशि प्राप्त होगी मरम्मत आगामी वर्ष से आरंभ करादी जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(29–2–68)

**सरदारशहर भादासर होकर जाने वाली डिफेंस रोड में व्याप्त की गई भूमि का मुआवजा**

125. **श्री रावतराम** (छापर-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरदार शहर (जिला चूरू) से ग्राम सुवाई छोटी, बड़ी बन्नाऊ व भादासर होकर जो डिफेन्स रोड जाती है उसके नीचे उक्त तीनों गांवों के किन किन किसानों के कितने कितने बीघा खेत आये हैं? कृपया किसानों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों के खेत सड़क के नीचे आये हैं उनको जमीन का मुआवजा चुका दिया है? यदि हां, तो कितना कितना मुआवजा किन किन को चुका दिया है? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अब कब तक निश्चित तौर से चुका दिया जायेगा?

(3) उक्त डिफेंस रोड के आस पास दोनों ओर सड़क कितने फुट चौडी बनाई गई है? कुल मिलाकर चौड़ाई में कितने फुट जमीन कवर की गई है?

**उत्तर**

(1) सूची संलग्न है।

(2) अभी मुआवजा नहीं चुकाया गया है कार्यवाही चल रही है।

(3) दोनों तरफ 59–59 फीट जमीन खाली रक्खी गई है, 12 फीट चौड़ा सडक का गोला है और दोनों तरफ 5–5 फीट सोल्डर तथा 5–5 फीट श्रम से बनाये गये हैं इस तरह कुल भूमि 150 फीट कर दी गई है

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

(1.40 म.प.)

**उदयपुर पोलीटेकनिक के छात्रों एवं अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज सम्बन्धित मामले पर उप मन्त्री, गृह–श्री खेतसिंह का वक्तव्य**

**श्री अध्यक्ष** : गृह मंत्री पोलीटैकनिक के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री उपाध्यक्ष**: उप मंत्री, गृह, श्री खेतसिंह।

**श्री खेतसिंह** (उप मंत्री गृह): माननीय श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा पोलीटैक्निक उदयपुर के विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

(श्री खेतसिंह)

माननीय श्री भैरोंसिंह ने भी एक स्थगन प्रस्ताव उदयपुर की स्थिति के बारे में पेश किया है।

इस विषय में सूचना प्राप्त की गई है। यह पाया जाता है कि दिनांक 29–2–68 को सवेरे कालेज खुलने के समय लगभग 11 बजे पोलीटेक्निक उदयपुर के कुछ विद्यार्थियों ने हड़ताल पर रहने की घोषणा की और विद्यार्थियों को, जो कालेज में जाना चाहते थे जबरन रोकने की कार्यवाही प्रारम्भ की। पोलीटेक्निक के हडताली विद्यार्थियों के साथ विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट के कुछ विद्यार्थी भी सम्मिलित थे। पोलीटेक्निक के प्रिन्सिपल ने जिलाधीश को लगभग 11.30 बजे विद्यार्थियों की इस हरकत की सूचना दी और यह भी व्यक्त किया कि उन्हें शान्ति भंग होने का अन्देशा है। अतः उचित प्रबन्ध किया जाय। इस सूचना के आधार पर जिलाधीश ने तुरन्त सम्बन्धित एस.डी.एम. को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिये। पुलिस मौके पर पहुंची किन्तु हड़ताली विद्यार्थियों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया। बिगड़ती हुई स्थिति की सूचना मिलने पर जिलाधीश व एडीशनल सुपरिन्टेण्डेन्ट पुलिस भी पोलीटेक्निक पर पहुंचे किन्तु वहां लगभग 400 विद्यार्थियों ने जिनके हाथों में लाठियां, हाकी स्टिक, बांस व भाले थे उन्हें घेर लिया व जीप को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। जिलाधीश के भी दाहिनी जांघ में कांच लगने से चोट आई व जीप के ड्राइवर को बुरी तरह पीटा गया। इस प्रकार की स्थिति को देखकर एस.डी.एम. ने मामूली बल प्रयोग के लिये आदेश दिये। उपद्रवकारियों ने इसी बीच कालेज के टेलीफोन के तार भी काट दिये। कुछ समय बाद जब सिटी मजिस्ट्रेट उदयपुर मौके पर पहुंचे तो उनकी जीप को भी लगभग 150 उपद्रवकारियों ने घेर लिया, जीप को भारी नुकसान पहुंचाया और बैठने वालों पर हमला किया, जिससे उनके चोटें आई।

पोलीटेक्निक के उपद्रवी विद्यार्थियों का रवैया बेहद गैर-कानूनी था। यह सूचना मिलने पर कि होस्टल में उन्होंने लाठियां आदि छुपा रखी हैं पुलिस द्वारा प्रिन्सिपल की सहमति से होस्टल के कमरों में तलाशी ली गई जहां से काफी तादाद में लाठियां वगैरह बरामद हुई। विद्यार्थियों द्वारा कालेज की लगभग 3330 रुपये की सम्पत्ति का भी नुकसान पाया जाता है।

इस घटना के फलस्वरूप दो केसेज ह.द. 147, 149, 307, 332, 333 व 440 ता. हि. क्रिमिनल केसेज दर्ज होकर तफ्तीश जारी है। कुल 43 विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से 31 जमानत पर आजाद हो चुके हैं। एक विद्यार्थी के गम्भीर चोट व चार के साधारण चोटें पहुंचीं। एक विद्यार्थी के जो गम्भीर चोट आई है वह भागते वक्त नाले में कूदने से आई है। पुलिस के 17 कर्मचारियों के व 2 मजिस्ट्रेट व 2 ड्राइवरों को साधारण चोटें पहुंची व 3 सरकारी गाडियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया।

प्रिन्सिपल महोदय को मजबूर होकर पोलीटेक्निक को अनिश्चित काल के लिये बन्द करना पड़ा और विद्यार्थियों को भी होस्टल खाली करने के आदेश दिये गये थे।

(श्री खेतसिंह)

दिनांक 5-3-68 को आई टी.आई. के विद्यार्थियों ने इस भ्रमात्मक समाचार पर कि एक विद्यार्थी जिसके 21-2-68 को चोटें पहुंची हैं, मर गया है, कक्षाओं से बाहर आकर हड़ताल करने का तय किया। विद्यार्थी की मृत्यु के समाचार निराधार थे और पी. आर. ओ. द्वारा खण्डन भी सूचना केन्द्र से कर दिया गया था फिर भी विद्यार्थी कल 6-3-68 को सूरजपोल के बाहर काफी संख्या में एकत्रित हुए और गिरफ्तार विद्यार्थियों को बिना शर्त के आजाद करने की मांग की वरना हिंसात्मक रवैया अपनाने की धमकी दी। स्थिति को देखते हुए नगर में धारा 144 के अन्तर्गत आदेश सात दिन के लिए लागू किया गया और पुलिस का भी उपयुक्त प्रबन्ध किया गया। जब कृषि कालेज के पास की एक भीड को मुन्तसिर करने के लिए पुलिस पहुंची तो भीड ने पुलिस पर पथराव किया और एक पुलिस सिपाही को पकड़ कर ले गये व उसे खूब पीटा जिसे पुलिस ने काफी संघर्ष के बाद छुड़ाया। इस घटना बाबत एक केस दफा 148।332।353 आई. पी. सी. दर्ज होकर तफतीश जारी है।

नगर में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जो भी कार्यवाही जिला प्रशासन ने की है वह ठीक ही पायी जाती है। पुलिस द्वारा ज्यादती करने की बात निराधार है। आज स्थिति सामान्य हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, उप गृह मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है पोलीटैक्निक की हड़ताल के सम्बन्ध में वह तथ्यों से काफी परे है।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि जब विद्यार्थी हडताल पर थे तो बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से हड़ताल चल रही थी। यह बात सही है कि जब भी कोई हड़ताल होती है तो गेट पर स्टूडेन्ट्स पिकेटिंग करते हैं और यदि उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों में से किसी ने सत्याग्रह आन्दोलन में हिस्सा लिया हो तो उन्हें भी हड़ताल करने का मौका मिला होगा। अगर उन्होंने भी कभी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्षकाल में उस संघर्ष में हिस्सा लिया हो जो 47 से पहले तक था तो उन लोगों को मालूम होगा कि हड़तालें क्या होती हैं कैसे होती हैं। और पिकेटिंग कैसे होता है। इसलिये गेट पर पिकेटिंग जहां कहीं भी होता है सामान्य तौर पर शान्तिपूर्वक होता है। वहां पर भी इसी तरह शान्तिपूर्वक पिकेटिंग हो रहा था। पर प्रिन्सिपल साहब ने जबरदस्ती, पता नहीं, क्यों पुलिस को बुला लिया। एक दम पुलिस मांग ली और पुलिस भी थोड़ी संख्या में नहीं 400 की संख्या में। पुलिस आई और आते ही इन्स्टीट्यूट में सीधी घुस गई और आप जानते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस आये तो क्या होता है। वहां हड़कम्प सा मच गया और पुलिस ने आव देखा न ताव वहां पर स्टूडेण्ट्स की पिटाई शुरू कर दी।

उस पिटाई में न केवल विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया बल्कि जो लेक्चरार थे टैक्निशियन थे उन तक को पीटा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने लेक्चरारों में आर.के. पाराशर राधेश्याम शर्मा, डिमान्स्ट्रेटर सक्सेना, चतुर्वेदी तक की पिटाई की। छ: सात छात्र गम्भीर रूप से घायल हुए। दो लेक्चररों को गिरफ्तार भी किया गया।

# Page No. 49



श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वे बीच में क्यों आये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: 42 स्टूडेन्ट्स को गिरफ्तार किया गया । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पृष्ठभूमि में यह हड़ताल हुई थी वह सारे हिन्दुस्तान में जिस आधार पर जिस कारण से हुई वही आधार और कारण उसके थे। जिन इन्जीनियरिंग कालेजों के विद्यार्थियों को जो सरकार एम्प्लोयमेन्ट नहीं दे पाई उस पर देशव्यापी पैमाने पर आन्दोलन चल रहा है और उन्हीं की सिम्पेथी में यहां के विद्यार्थियों ने भी हड़ताल की थी । सारे देश भर में की थी। इस तरह उनका एक सामान्य आधार था और जो पुलिस ने यह सारी कार्यवाही की और पीटा वह तो उसी तरह से था जिस तरह से बंगाल में वहां पर उत्तरपाडा यूनिवर्सिटी में पुलिस ने घुसकर विद्यार्थियों को निर्ममता से पीटा उसी तरह से उदयपुर में पुलिस ने इनको भी पीटा।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रिन्सिपल साहब और डी. एस. पी. और मजिस्ट्रेट अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर जो लोग जख्मी हुये थे उन लोगों का डाक्टरी मुआयना नहीं करने दिया। इस तरह की हालत सरकार की तरफ से थी ।

मेरा यह कहना है कि यह अजीब स्थिति है कि सरकार इन्जीनियरों को और टैक्निशियनों को रोजगार न दे सके। डेमोक्रेसी में फिर उनको भी अधिकार है कि अपनी मांगों को वे जनता के सामने रखें और इसके लिये प्रदर्शन करने का और हड़ताल करने का उनको भी अधिकार है। आप इसको भी बर्दाश्त न करें और पुलिस दमन के भरोसे उस ताकत के बल पर उसको रोकने की, दबाने की चेष्टा करे, कुचलने की कोशिश करे। यह बात वहां पर हुई है ।

मैं जानना चाहूंगा कि अगर यही बात है तो आखिर सरकार इन विद्यार्थियों के प्रति क्या नीति और क्या रुख अपनाना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदन में देखा पहले इन्जीनियरों का प्रश्न आया। इन्जीनियरिंग कालेजों के विद्यार्थी हड़ताल पर थे तो सरकार ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं और आखिर में 30 परसेन्ट कटौती एडमिशन के बारे में आप कर रहे हैं।

फिर एस.टी.सी. ट्रेण्ड अध्यापकों का प्रश्न आया। पांच हजार वे लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं। कोई इसका इलाज सरकार के पास नहीं है । कह दिया आगे से ऐसे लोगों को हम ट्रेण्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई हल इसका नहीं।

मेडिकल कालेज में हड़ताल हो रही है । पांच कालेजों के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं उनकी मांग है कि उनको जो सुविधाएं इम्तिहान में मिलती आ रही थीं वे मिलनी चाहिये। वे बहाना लेते हैं कि मेडिकल कौंसिल ने ऐसा निर्णय ले लिया है। अब जो पास हो गये उनको एम्प्लोयमेन्ट नहीं दे सकते।

और फिर उन्हीं विद्यार्थियों को सुविधाओं के बदले सजा देने के लिये नशाबन्दी के नाम से इस तरह का उलटा कानून ला रहे हैं जिससे उनको क्रिमिनल बनाया जावे और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उनको छः महीने की सजा और 500/- के जुर्माने की सजा में फंसाया जावे और इस तरह से इन आन्दोलनों में उनका दमन किया जावे ।

तो यह जो कार्यवाही सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से हो रही है उसकी जुडीशियरी जांच कराई जानी चाहिये । वहां के प्रिन्सिपल और डी.एस.पी. इस खेदजनक घटना के लिये जिम्मेदार हैं । उस प्रिन्सिपल को बर्खास्त किया जावे । इसको वहां से निकाला जावे । उस पर विद्यार्थियों को कोई भरोसा नहीं है और प्रिन्सिपल जो विद्यार्थियों के लिये पिता, तुल्य होता है वह अगर बच्चों से मोहब्बत न रखे और पुलिस के द्वारा उनको पिटवाए, उनका दमन कराए, मैं समझता हूं वह उनका टीचर या प्रिन्सिपल होने योग्य नहीं हो सकता । वह उनका अभिभावक नहीं है, बल्कि दुश्मन के रूप में बैठा है । इसलिये सरकार को इस प्रकार के प्रिन्सिपल और पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये और इस सारी घटना की जुडीशियरी एन्क्वायरी की जानी चाहिये । यह मैं मांग करता हूं ।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेन्ट उप-मन्त्री महोदय ने दिया है उसके बारे में मैं इतना निवेदन करूंगा कि सरकार कभी भी ऐसी समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं करना चाहती । बल्कि वह वर्ग या वह विद्यार्थी वर्ग जो अपने अधिकारों के लिये अहिंसा का रास्ता लेकर आन्दोलन करते हैं उस आन्दोलन को कुचलने के लिये वह ब्रिटिश साम्राज्यशाहियों के पदचिन्हों पर चलकर उनके हथकण्डों को अपना कर दमन के सहारे समाप्त करना चाहती है ।

इस प्रकार का जो वक्तव्य दिया गया है वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल प्रोसोक्यूशन स्टोरी को जिन अधिकारियों की गलती के कारण से यह सारा काण्ड हुआ उन्हीं द्वारा बनाई गई स्टोरी को एक मात्र केवल डिफेन्स के रूप में यहां रख दिया गया है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हडताल 29 तारीख को पहली बार आरम्भ नहीं हुई । उदयपुर पोलीटेक्निक में 27 को इन्टरवल के पश्चात् वहां पर उन्होंने टोकन स्ट्राइक आरम्भ कर दी थी । 28 तारीख को प्रिन्सिपल महोदय ने जो कि इस सारे काण्ड के लिये जिम्मेदार हैं, अपराधी हैं, जिनके कारण यह सारा काण्ड हुआ-- इस व्यक्ति ने 28 को इस कालेज की यूनियन के इंचार्ज श्री आनन्द स्वरूप चंदेल, जो होम और डिसिप्लिन सेक्रेटरी हैं, और वी. के. माथुर, जो गेम्स सेक्रेटरी हैं–इन दो के खिलाफ नोटिस जारी किया कि जो कुछ 28 तारीख को हड़ताल हुई है उसके लिये आप दो जिम्मेदार हैं और इसके लिये क्यों नहीं आपको कालेज से निकाला जाव ?

जब इस प्रकार की स्थिति आई तो 29 तारीख को कालेज के लड़कों ने अपनी एक अस्थाई संघर्ष समिति का निर्माण किया और उस अस्थाई संघर्ष समिति के 8-10 लड़के प्रिन्सिपल महोदय से मिलने के लिए सुबह के समय पोलीटेक्निक कालेज में गये और उनसे मिले । प्रिन्सिपल साहब ने उनसे मिल कर बडी आवभगत की और ऐसा दर्शाया कि उनकी लड़कों के साथ बड़ी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सहानुभूति है। जब लड़के उनसे मिले तो पहले उन्होंने जवाब दिया कि आपने हमारी यूनियन के दो पदाधिकारियों को नोटिस दिया है वह सरासर गलत है और इस हड़ताल से उन दोनों पदाधिकारियों का कोई सम्बन्ध नहीं है और फिर इस हड़ताल का सम्बन्ध केवल उदयपुर के पोलीटैक्निक कालेज से ही नहीं है बल्कि इसका सारा सम्बन्ध सारे देश से है। आज जो बेरोजगारी है उसको देखते हुए हमने हड़ताल सारे राजस्थान में की है। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र और दिया जिसके ऊपर सारे विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे कि हम लोग हड़ताल पर अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं और इसमें किसी का दबाव नहीं है और साथ ही उन्होंने अस्थाई संघर्ष समिति के लड़कों की लिस्ट दी और कहा कि हमारे इतने पदाधिकारी हैं। इस तरह से उन्होंने अस्थाई संघर्ष समिति के सदस्यों की लिस्ट पेश की और प्रिन्सिपल साहब ने कहा कि बच्चो तुम अलग कमरे में बैठो और वहां पर सबके नाम लिख कर दो और सारी बातें साफ कर दो ताकि मैं गम्भीरता से विचार करूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि प्रिन्सिपल साहब के कहने में आकर 7-8 बच्चे जो कि अस्थाई संघर्ष समिति के सदस्य थे दूसरे कमरे में बैठ गये और उन्होंने लिखना आरम्भ किया और इधर प्रिन्सिपल महोदय जो कि बच्चों का दमन करना चाहते थे, जो कि विद्यार्थियों को लाठी का शिकार बनाना चाहते थे उन्होंने फौरन फौन के द्वारा पुलिस बुलाई और 400 आर. ए. सी. के जवान आ गये। बच्चे जो कि चुपचाप बैठ कर लिखा पढ़ी कर रहे थे उन्हें ऐसा पता है कि प्रिन्सिपल साहब हमारी बात सुनेंगे, उन्हें इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है और 400 आर. ए. सी. के जवान ट्रक भर कर वहां पर बुला लिए गए और जैसा कि माननीय सदस्य ने आरम्भ में कहा कि वहां पर कालेज के गेट आदि की व्यवस्था नहीं है और यह पोलीटैक्निक कालेज पहाड़ी पर है और उसके दो रूप हो जाते हैं। ऊपर तो पहाड़ी आ गयी है और नीचे मैदान आ जाता है। आर. ए. सी. के जवान मैदान में आगये और उसी रोज 29 तारीख को बच्चों ने जो कि विद्यार्थी थे उन्होंने जुलूस निकालने के लिए आयोजन किया था और यह सारे के सारे लड़के चेतक सिनेमा के पास जहां कि मेहता पार्क है वहां पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर जुलूस की तैयारी में खडे हुए थे। जिस समय बच्चों के पास खबर पहुंची कि जो हमारे प्रतिनिधि मण्डल, शिष्ट मण्डल और नेता अस्थाई संघर्ष समिति के सदस्य प्रिन्सिपल महोदय के पास मिलने के लिए गये थे उन्हें षड्यन्त्र करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया जा रहा है तो यह सारे के सारे विद्यार्थी जो कि चेतक सिनेमा के पास खडे थे यह वहां पहुंचे और वहां पहुंच कर गेट के पास जाने का सवाल नहीं आता क्योंकि उसमें कोई गेट नहीं है, पोलीटैक्निक कालेज में जाने का सवाल नहीं आता, पहाड़ी के नीचे जो कि कालेज से दूर था वहां उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिये और जब वहां अन्दर बैठे हुए बच्चों को मालूम हुआ कि शोर क्यों हो रहा है तो जब उन्होंने देखा कि आर. ए. सी. के जवान खड़े हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डिफेन्स पुलिस की ओर से बनाया और दमन करने का प्रयास किया जा रहा था--यह एक षड़यन्त्र था। उस समय पर कोई एस. डी. एम. मौके पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं था, कोई ए. डी. एम. मौके पर नहीं था, कोई मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं था। केवल आर. ए. सी. के 400 जवान थे, प्रिन्सिपल महोदय थे और अन्दर की तरफ 8-10 अस्थाई संघर्ष समिति के सदस्य थे और दूसरी ओर जो बच्चे जुलूस लेकर आये थे वह थे और जिस समय बच्चों ने कहा कि हमें हमारे नेता वापिस दो तब किसी आदेश से प्रिन्सिपल महोदय के आदेश पर, उनके इशारे पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पुलिस ने खुल कर लाठी चार्ज किया। वह, उपाध्यक्ष महोदय, हल्का लाठी चार्ज नहीं था बल्कि प्रहार था। जिस तरह दुश्मन को पीटने के लिए मारा जाता है और लाठी चलाई जाती है उसी तरह से लाठी चलाई जा रही थी और लाठी के कारण जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि एक नहीं अनेक बच्चों के बुरी चोटें आई हैं और श्री हरिशंकर शर्मा हैं सेकिण्ड ईयर के लड़के उनकी रीढ़ की हड्डी तोड दी गयी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। दूसरे श्री जगदीशचन्द्र, इनके टखने की दोनों हड्डियों को तोड दिया गया है। इन दो बच्चों को ग्रीवियस फ्रेक्चर हुआ है। एक की रीढ़ की हड्डी और दूसरे की टखनों की दोनों हड्डियां टूट चुकी हैं और जो बहुत सारे बच्चे थे उनके ऊपर बुरी तरह से लाठी का प्रहार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक है कि जब बच्चों के बिना दोष के कारण पुलिस दमन करने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए, उनकी आवाज को बन्द करने के लिए लाठी का सहारा लेकर प्रहार करती है तो बच्चे ऐसी स्थिति में शांत नहीं रह सकते हैं। यह ठीक है उस समय पत्थरबाजी हुई। उसके अन्दर कलेक्टर महोदय बाद में आये। जिस समय का आप नाम लेते हैं कि अधिकारियों के चोटें आईं तो वह बात बाद की है। झगड़ा आरम्भ के अन्दर प्रिन्सिपल के कहने से और उनके इशारे से और बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के लाठी चार्ज करने के कारण और दो बच्चों को ग्रिवियस हर्ट होने के कारण हुआ और लाल साहब जो कि सिविल डिमान्सट्रेटर हैं, श्री पाराशर जो कि वर्क चार्ज सुपरवाईजर हैं, मिस्टर सेन जो कि मेकेनिकल विभाग में लेक्चरार हैं और श्री वेदप्रकाश चतुर्वेदी जो कि इलेक्ट्रिकल के डिमान्सट्रेटर हैं यह भी पुलिस की लाठी चार्ज से घायल हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से कि क्या बच्चों ने ही लकड़ी लेकर हमला किया अपने ही उन अध्यापकों के ऊपर जिनसे वह शिक्षा प्राप्त करते हैं? यह किस की चोट के शिकार हुए? इनको किसने मारा? यह किन की लकड़ी से प्रहार किया गया–इन सब को आर. ए. सी. के जवानों के द्वारा पिटवाया गया। बच्चों का दमन करने के लिए दिन रात होस्टल की छानबीन की, मकानों पर जा-जा कर बच्चों को गिरफ्तार किया गया और 45 विद्यार्थियों को उस रात गिरफ्तार कर लिया गया और आप आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि बच्चों के जो गार्जीयन थे, जो पेरेन्ट्स थे जो इनसे मिलना चाहते थे उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन विद्यार्थियों को पुलिस लाक-अप में रखा गया और पुलिस लाक-अप के अन्दर 45 बच्चों को आर. ए. सी. के जवानों के द्वारा जूतों और लाठियों के द्वारा पीटा गया और इससे भी ज्यादा आश्चर्य यह है कि उस समय मजिस्ट्रेट मौजूद था, आर. ए. सी. के जवान थे और 45 बच्चों को घेरकर जैसे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

भेड और बकरियों को मारा जाता है उसी तरह से मारा गया और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सूचना देना चाहता हूं कि श्री आनन्द स्वरूप चन्देल जिनके बारे में मैंने कहा था कि यह उसमें होम एण्ड डिसिप्लिन सेक्रेटरी थे जिस समय यह पुलिस लाक-अप में थे इनको बुरी तरह से मारा गया और इनकी पसली की हड्डी टूट गयी है। पसली की हड्डी बाहर नहीं बल्कि पुलिस के लाक-अप में पुलिस के द्वारा तोडी गई है। तो इस प्रकार का काण्ड वहां पर हो और आप डिफेन्स लेकर सामने खडे हों, मैं कहना चाहूंगा कि आप बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हैं, बच्चों के रोष को नहीं पहचानना चाहते हो बल्कि उनका दमन करने के लिए उनके अधिकारों को आप समाप्त करना चाहते हैं।

(2 म. प.)

इस प्रकार से आप उनको समाप्त नहीं कर सकते। आज स्थिति का तकाजा है कि लाठी चार्ज कैसे हुआ? वहां पर एस. डी. एम. था या नहीं? बिना उसके आदेश के लाठी चार्ज कैसे कर दिया गया? यह एक एन्क्वायरी का प्रश्न है, निष्पक्ष जांच का सवाल है। केवल आपके कह देने से, केवल आपके उत्तर दे देने से, केवल यह कह देने से कि स्थिति यह थी कि उन्होंने सरेन्डर किया उसके कारण नुकसान हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि तीन हजार का नुकसान तो क्या एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है, न कालेज की बिल्डिंग को हुआ है, न होस्टल को हुआ है। वे केवल शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में आकर बिना जोश दिलाये, बिना मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त किये लाठी प्रहार किया गया, उनको घायल किया गया है, और अपने दोष को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आज उन बच्चों पर, छात्रों पर मुकद्में चलाकर सरकार उनका दमन करना चाहती है, उनके जीवन के साथ खिलवाड करना चाहती है। यह कभी नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में धारा 144 लगा दी आपने यह कहा, तो 144 तो अब लगाई है। 29 तारीख को श्री देवीदत्त गाडिया को जो हमारी पार्टी के सहमंत्री हैं उनको सूचना के आधार पर उदयपुर भेजा था। वे स्वयं उदयपुर होकर आये हैं। वे सारी स्थिति का अवलोकन करके आये हैं। उन्होंने बताया कि जब आम पब्लिक मीटिंग चल रही थी तो हालत यह थी कि सारे शहर में आर. ए. सी. छाई हुई थी। हर जगह पर डंडा लेकर आर. ए. सी. के जवान खड़े थे मानों मिलिट्री शासन हो गया हो, जैसे कि कोई व्यवस्था न रह गई हो। विद्यार्थियों के घर घर जाकर लिस्ट बनाकर, सूची तैयार करके गिरफ्तारियां कर रहे थे। उनके गार्जियन्स को दबाया जा रहा है, बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है और लडकों को आतंकित किया जा रहा है, और लडके भागते फिरते हैं। ऐसी सारी स्थिति जो इस 29 तारीख को हुई जिस काण्ड को लेकर सारा शहर आतंकित है उसकी ज्युडिशियल एन्क्वायरी कराई जाय, यह हमारी मांग है। आपके वक्तव्य से हमें सन्तोष नहीं है। इस सारी स्थिति की जांच के लिए एक ज्युडिशियल एन्क्वायरी बैठाई जाय।

**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): माननीय उपाध्यक्ष··

**श्री उपाध्यक्ष**: आपके दल के वरिष्ठ नेता बोल चुके हैं।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : उपाध्यक्ष महोदय. मैं खुद वहां जाकर आया हूं · · ·

**श्री उपाध्यक्ष** : थोड़े में कहेंगे ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय उप मंत्रीजी ने जो यह कहा है कि इन विद्यार्थियों की हड़ताल में जो लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया गया उसके अन्दर कलेक्टर महोदय के तीन लाठियों की चोटें आई हैं यह बिल्कुल निराधार है । मैं जिलाधीश महोदय से मिला हूं और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझ को यह बतलाया कि सिर्फ कांच के टुकड़े लगने से आंख के पास में चोट आई है जिसमें एक टांका लगा है । मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया । मेरी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से उप मंत्रीजी कहते हैं कि कलेक्टर को तीन चोटें आई हैं ? इतना ही नहीं मैंने कलेक्टर महोदय से यह निवेदन किया कि जो छात्र जेल के अन्दर बन्द हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूं । और उसके बाद में मैं डी. वाई. एस. पी. से मिला और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जेल में उन विद्यार्थियों से मिलने की इजाजत दी । मेरे साथ में एस. डी. एम. साहब गये । मैंने एस. डी. एम. साहब से कहा कि जेल के अन्दर जितने भी छात्र हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूं, और जो छात्र सीरियस और सख्त घायल हुए हैं जिसके कारण वे वहां अस्पताल में हैं उनसे भी मुझको मिलने दिया जाय । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन एस. डी. एम. साहब ने कहा कि कलेक्टर साहब के ऐसे आदेश नहीं हैं । जेल के बाहर 2-3 विद्यार्थियों को बुला देते हैं और मिला देते हैं । दो-तीन विद्यार्थियों को बुलाया तो उनके मुंह पर बुरका डाला हुआ था, ढके हुए थे उनके मुंह । मैंने विद्यार्थियों से पूछा तो रोने लगे । उन्हें धमकियां दी गई इसलिए कहने में असमर्थ थे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिन विद्यार्थियों को पुलिस गिरफ्तार करके थाने में लाई तो उनको पीटा तो सही लेकिन पीने के लिए पानी भी नहीं दिया और खाने को खाना नहीं दिया गया ।

जो यह बात कही गई है कि विद्यार्थियों के पास लाठी, स्टिक्स और दूसरे अस्त्र पकड़े गये तो यह बिल्कुल गलत है । यह जो विद्यार्थी हाकी या क्रिकेट खेलते हैं तो छात्रावास के अन्दर हाकियां थीं । जो विद्यार्थी छात्रावास में थे उन छात्रों को पुलिस ने छात्रावास में जाकर, जिन्होंने अपने कमरे के दरवाजे बन्द कर रखे थे तो पुलिस ने जबरदस्ती किंवाड खुलवाये और खुलवा कर बुरी तरह से मारा और मारने के बाद मार खाते खाते एक विद्यार्थी गिर पड़ा तो गिरने के बाद भी पुलिस ने बेरहमी से पीटा और पुलिस ने छात्रावास में घूम घूम कर जो हाकियां थीं बरामद की हैं । वह उन्होंने उनके ऊपर फर्जी केस बनाने के लिए ऐसा किया है ।

इतना ही नहीं जो प्रोफेसर वहां पर थे और पुलिस वालों से यह कह रहे थे कि विद्यार्थियों की हड़ताल शान्तिपूर्वक है आप पुलिस को हटा दें और हम विद्यार्थियों को समझाते हैं । विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन पुलिस ने बाहर खड़े विद्यार्थियों पर बेरहमी से हमला किया और जो चार प्रोफेसर उसके अन्दर थे उनको बुरी तरह से घायल कर दिया । प्रोफेसर जब डाक्टर के पास सर्टिफिकेट लेने गया तो मजिस्ट्रेट और डी. वाई. एस. पी. ने प्रोफेसर को धमकाया

(श्री देवीदत्त गा‍ि‍या)

कि यदि तुमने सर्टिफिकेट लिया तो तुम्हें भी गिरफ्तार करेंगे । इस प्रकार से जुल्म और अत्याचार उन छात्रों के साथ हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों की हडताल शान्तिपूर्वक हो रही थी तो पुलिस ने 19 छात्रों को छात्रावास में गिरफ्तार किया और इसके अलावा घरों पर जा जाकर गिरफ्तार किया गया । सारे शहर में पुलिस लगी हुई थी । जब इसके अन्दर मैंने जिलाधीश से पूछा कि उदयपुर में शान्तिपूर्वक ढंग से काम हो रहा है तो चप्पे चप्पे पर पुलिस क्यों कायम कर रखी है तो उन्होंने कहा कि यह हमारी इच्छा का सवाल है, आपको इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय भारतीय जनसंघ की 3 तारीख को आम सभा थी तो 200 नौजवान वहां पर थे । इस प्रकार सारे शहर में आतंक छाया हुआ है । कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है । बहुत बडा इस प्रकार से आतंक है । कोई विद्यार्थी बाहर नहीं निकल सकता है । अगर निकलता है तो धमकियां दी जाती हैं । आज भी उनके खिलाफ इस प्रकार का षड्यन्त्र रचा जा रहा है जैसे कि उन्होंने बहुत बडा अपराध किया हो । विद्यार्थियों का कोई अपराध नहीं है । कालेज के अन्दर जिस समय विद्यार्थी शान्तिपूर्वक हडताल कर रहे थे प्रिन्सिपल ने स्वयं ने वहां पर पुलिस को बुलाया और कलेक्टर को कोई सूचना नहीं दी । पुलिस द्वारा दो बार लाठी चार्ज हुआ । उस रोज पुलिस ने दो बार लाठी चार्ज किया । एक तो पहली बार जब छात्र घायल हो गये तो दुबारा कलेक्टर को बुलाया, एडिशनल एस. डी. एम. को बुलाया तो उनके साथ और पुलिस आई ट्रकों में भरकर, तो इस प्रकार से उन्होंने आतंक बढ़ाया, और आज सारी पुलिस और कलेक्टर ने इसको अपनी इज्जत का प्रश्न बनाकर यह कहा है क्योंकि कहीं उनके षड्यन्त्र का भंडाफोड न हो जाय इसलिए उनके खिलाफ नाना प्रकार की धाराओं को जिनका हवाला उप मंत्रीजी ने दिया है लागू करके इन धाराओं के ऊपर गवाहियां इकट्ठी करने के लिए षडयन्त्र रच रहे हैं, जो कि अनुचित है ।

अन्त में मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और इस काण्ड की न्यायिक जांच होनी चाहिए इस बात की मांग करता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : गृह मंत्री !

**श्री भेरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर जो माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है, कुछ विचार प्रकट करने हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मंत्री महोदय ने इस विषय में जो अपना वक्तव्य सदन में दिया है उस वक्तव्य में असलियत छिपाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कई बार असलियत छिपाने के प्रयत्नों में कुछ ऐसा रह जाता है कि उसके पीछे एक रहस्य अपने आप प्रकट होता है । कल लाठी चार्ज के सम्बन्ध में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, बल्कि कहा यह गया कि एक सिपाही को छात्रों ने पकड लिया था और बहुत संघर्ष के साथ में उस सिपाही को छुडा पाये । मैं नहीं समझ पाया कि पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष कोई मुक्केबाजी या कोई पहलवानी

(श्री भैरोंसिंह)

हुई या पकड पकड कर एक दूसरे को खेंचा गया, पत्थरबाजी हुई, या आपस में लाठी, रिटक्स वगैरह चलाई गई। अब यह स्वाभाविक बात है, उप मंत्रीजी के कहने के अनुसार, हालांकि यह बात गलत है कि सिपाहियों को पकडने लगे और छुडाने में संघर्ष हुआ। संघर्ष नहीं हुआ, लाठी चार्ज हुआ, विद्यार्थियों को पीटा गया। विद्यार्थी भागे, भागते हुओं को दूर तक जाकर मारा गया। उप मंत्रीजी छिपाने की कोशिश करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उप मन्त्रीजी कोशिश करें या गृह मंत्रीजी कोशिश करें। पर उदयपुर की विशेष परिस्थिति है। वहां पर पहले भी दो बार लाठी चार्ज हुआ, फायरिंग हुआ उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अब यह तीसरा प्रश्न आया, दो बार लाठी चार्ज हुआ। आपको स्वयं को जानकारी है। लाठी चार्ज होने के पहले यदि भीड एकत्रित हो जाय शान्ति भंग होने का अंदेशा हो तो पहले मजिस्ट्रेट को धारा 144 लगानी पडती है मोब को इल्लीगल करार देना पडता है और मोब को तितर बितर होने के लिये कहना पडता है। वहां पर किसी मजिस्ट्रेट ने दफा 144 लगाने की घोषणा नहीं की, न मोब को इल्लीगल करार दिया गया और न शान्ति भंग होने की घोषणा की गई और अपने आप लाठी चार्ज कर दिया। न वहां पर मजिस्ट्रेट था और न वहां पर एस. डी. एम. था। पुलिस पहुंची और छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। यह बात भी उप मंत्रीजी के स्टेटमेन्ट से प्रमाणित है कि लाठी चार्ज से पहले दफा 144 नहीं लगाई गई थी। तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण और विवादास्पद है वह यह है कि कितने विद्यार्थियों के चोटें आई उप मंत्री जी ने संख्या बताई लेकिन जो लोग प्रत्यक्ष छात्रों से मिल कर आये है, देख कर आये हैं उन्होंने जो संख्या बताई उस संख्या में और उप गृह मंत्रीजी द्वारा बताई गई संख्या में अंतर है। पुलिस की चोटों से किसी व्यक्ति के इन्जरी आती है तो इन्जरी का सर्टिफिकेट देने वाले डाक्टर सरकारी होता है और वह सरकार के दबाव में रहता है और कलेक्टर जिस प्रकार की इन्स्ट्रक्शन्स देता है उसका उसको पालन करना पडता है। यदि कोई आदमी इस प्रकार की चोटों का मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिये आता है तो डराया धमकाया जाता है। फिर परसूयेड किया जाता है। अगर वह परसुयेड नहीं होता है तो उसकी इन्जरीज मिनिमम बताई जाती हैं। गृह मंत्रीजी कहेंगे कि एक विद्यार्थी की पसली टूट गई है और एक का घुटना टूट गया है यह सीरियस इन्जरी नहीं है। आप की परिभाषा के अनुसार तो ब्रेन हेमरेज हो जाय तो वह सीरियस माना जाता है। गृह मंत्रीजी कहते हैं कि कलेक्टर और एस. डी. ओ. के चोटें आई। राजस्थान में कई लोगों को कत्ल किया जाता है, कई लोगों को धमकियां देकर उठा कर ले जाते हैं उस समय पुलिस मौन रहती है, लेकिन कलेक्टर की जीप के पत्थर लगे और उस पत्थर से कलेक्टर की जीप का कांच टूट गया और कांच कलेक्टर के लग गया और सरकार में तहलका मच गया। राजस्थान का कलेक्टर और वह भी सुखाडियाजी के निर्वाचन क्षेत्र का उसके पत्थर लग गया और उसकी नाक कट गई तो उसके लिये विद्यार्थियों को पकडा जाय, उन

(श्री भैरोंसिंह)
पर लाठीचार्ज किया जाय, उनको पीटा जाय यह सरकार के लिये शर्म की बात है। कलेक्टर का नाक कट गया लेकिन जब नागरिकों में से किसी को उठा कर ले जाते हैं उस समय वहां पर कोई नहीं पहुंचता, न पुलिस पहुंचती है और न कलेक्टर पहुंचता है और न एस. डी. एम. पहुंचता है। एस. डी. एम. और कलेक्टर के पत्थर लगा यह किसने देखा ? मुझे जानकारी है कि पुलिस ने भागते हुए विद्यार्थियों पर लाठियां चलाईं, भागते हुए विद्यार्थियों पर चोटें मारी हैं।

विद्यार्थियों की इन्जरी रिपोर्ट देखी है। उसमें लाठी की चोटें नहीं हैं पत्थर की चोटें हैं। उनको पत्थर भी मारे गये हैं आज भी विद्यार्थियों के शरीर पर ये चोटें मौजूद हैं। जिन विद्यार्थियों के चोटें लगी और जिनको मेडिकल रिलीफ नहीं मिला उनकी जांच यहां के सदस्यों को भेज कर करवाई जाय और उनको मेडिकल रिलीफ दिया जाय। विद्यार्थियों की एविडेन्स को टेम्पर करने के लिये विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तौर से बुलाकर उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा रेस्टिकेशन किया जायगा, तुम्हारा चालान किया जायगा। आखिर विद्यार्थियों ने क्या किया जिसके कारण उन पर अटेम्प्ट ओफ मर्डर की धारा 307 का केस लगा कर जेल में रखा गया। सरकार को शर्म आनी चाहिये जो विद्यार्थी अपने पेट के लिये जबां खोलेते हैं उन पर राजस्थान की यह हुकूमत लाठी चलाती है सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिये था। तीन योजनाओं में अरबों रुपया खर्च करने के पश्चात् भी इंजीनियर्स की बेकारी का समाधान नहीं कर पाये हैं। जो सरकार बेकारों को रोटी नहीं दे सकती, रोटी मांगे तो उन पर लाठियां चलावे तो यह सरकार समझ ले कि शान्ति शान्ति करने से जनता का धैर्य काबू में नहीं रहेगा। इस तरह के शान्ति के उपदेश से राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में लाठियां चलेंगी, पत्थरबाजी होगी। रोकने की कोशिश करेंगे तो रुकेगी नहीं, अराजकता पैदा होगी और डैमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश होगी। लाठी से दबाने की राज्य सरकार जरा भी हिम्मत न करे।

गृह मंत्रीजी में यदि हिम्मत है तो चलें हमारे साथ, वहां पर छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है, पत्थरबाजी हुई है उसको देखिये, जो चोटें आई हैं उनको देखिये असलियत सामने आ जायगी। आप पर अगर छात्र पत्थरबाजी करें तो इसकी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष वाले लेते हैं। यदि गृह मंत्रीजी नहीं जाना चाहते हैं तो बात स्पष्ट है कि आपने ज्यादती की है, लाठी चार्ज किया है, उनको मरवाया है, उनका केरियर खराब करने की कोशिश की है। इन सब चीजों की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं सदन की मारफत आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपके कलेक्टर की नाक कट गई है तो विद्यार्थियों के शरीर पर भी चोटें आई हैं इसको यदि आपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और इस प्रश्न को दबाने की कोशिश की तो जो एकता का नारा लगाया है वह सारा समाप्त हो जायगा और जिस कलेक्टर की नाक पर चोट आई है उसका नाक पकड़ कर उसको हटा दिया जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : विपक्ष के नेता।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विशेष तो चर्चा नहीं करना चाहूंगा और मैं यह भी नहीं कहता कि मुझे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त है लेकिन थोडी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर सबसे प्रथम यह कहूंगा कि मेरे विचार से प्रिन्सिपल से गलती इस सम्बन्ध में अवश्य हुई है। मैं स्टुडेन्ट्स के इन्डिसिप्लिन का समर्थक नहीं हूं लेकिन हमारा देश किधर जा रहा है धीरे धीरे। मुझे सन् 1942 की याद आ रही है उस वक्त की सरकार विदेशी सरकार थी, आज की सरकार विदेशी सरकार नहीं है हमारी सरकार है, हमारे भाई उधर बैठे हैं· ·

**एक माननीय सदस्य :** यह सरकार नहीं है, गेंग है।

**श्री भैरोंसिह :** गेंग नहीं ग्रहण हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में जो एक साल पहले कांड हुआ वह सब-जुडिश है, मुझे उस सम्बन्ध में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उसकी जो तस्वीर देखी, जो तस्वीर दूसरे पडौसी राज्यों ने दिखाई उससे मुझे आशंका है कि धीरे धीरे पडौसी राज्यों का रोग राजस्थान में प्रविष्ट हो रहा है, हम सब की यह धारणा है। माननीय गृह मंत्री जी मेरे सामने विराजमान हैं उनसे यह कहूंगा कि मुझे आशंका है और गंभीर आशंका है कि पुलिस भयभीत है, पुलिस बहुत डरी हुई है। और जब पुलिस बहुत डर जाती है तो वह आतंक पर बिल्कुल आमादा हो जाती है। क्या यह आर. ए. सी. का मामला था ? आर. ए. सी. वहां पर लाई गई। आपने अत्याधिक कठोर व्यवहार किया। पूर्ववक्ता ने जो कुछ कहा उसका समर्थन करूं उस स्थिति में तो नहीं हूं किन्तु सहानुभूति होना स्वाभाविक है। पुलिस में जरूरत से ज्यादा घमंड भी आ गया है और सरकार की नीति आज तो यह बन रही है कि जो कुछ पुलिस कर्मचारी करें उसको येन केन प्रकारेण सिद्ध करने की कोशिश करें। मैं यह कभी नहीं कह सकता हूं कि स्टूडेन्ट इनडिसिप्लीन का मैं समर्थक हूं लेकिन आखिरकार जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह इनडिसिप्लीन आया क्यों ? मेरे ख्याल में, क्योंकि प्रशासनिक कमियां हैं और त्रुटियां हैं· ·

**श्री देवीदत्त पारिया :** भाई भतीजावाद है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** इसलिए यह आया। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षक और जो स्टूडेन्ट वर्ग है वह आज अनुभव करता है फ्रस्ट्रेशन, उसमें निराशा वह अनुभव करता है कि हमारा भविष्य बहुत डावांडोल है। ऐसी स्थिति में यह जो कुछ भी हुआ है, मेरे ख्याल में, आज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है सरकार और खासतौर से पुलिस जो अपनी शडो से भी डर रही है। ऐसी स्थिति में अगर यहां पर जांच की मांग की जाय तो कोई नई बात नहीं है। सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई पुलिस के डिमोरेलाइजेशन का प्रश्न नहीं है। अगर आपकी पुलिस के द्वारा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल हुआ है तो वह भी आगे आवेगा और उससे आपको अपने आचरण को, पुलिस को अपने आचरण को सुधारने का मौका मिलेगा। नहीं तो जिस प्रकार 1942 के अन्दर क्विट इंडिया मूवमेंट जिस तरह से हुआ था, उसका

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
आप दोहराने जा रहे हैं। कहीं उसी प्रकार से शायद क्विट कांग्रेस मूवमेंट या कुछ ऐसा ही और उत्पन्न न हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नोटिस है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार द्वारा लोगों को हड्डियां तोड़ना, लोगों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ना और आदमियों को मार जाना––और यह सब भी आर. ए. सी. के द्वारा होना-यह मैं मान सकता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान के लिए अशोभनीय है। इसके सम्बन्ध में जांच की मांग की जाती है क्योंकि मैं समझता हूं कि छात्र दो सौ, चार सौ होंगे, उनको कुचलने के लिए आर. ए. सी. का इस्तेमाल किया, यह मेरी समझ में एक कीडी को कुचलने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया है। (विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम) शेम-शेम का तो कोई सेंस है ही नहीं। तो यह जांच करने की जो मांग विरोधी पक्ष की तरफ से आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसके ऊपर आप सहानुभूतिपूर्वक और गम्भीरतापूर्वक विचार करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री। (कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खडे होने पर), श्री दौलतराम सारण। समय का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि आज · · ·

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं तो बिलकुल · · ·

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान पर भी विचार होना है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है। छात्र एक अहम् मसले की तरफ ध्यान दिलाने के लिए शांतिपूर्वक वैधानिक तरीके से हडताल पर जाते हैं -यह उनका अधिकार है। हडताल पर जाने वाले छात्रों पर बिना किसी सोच विचार के, बिना उनसे विचार-विमर्श किये, बिना उनकी बात को समझे लाठी से उनको समझाने की चेष्ठा की जाती है-यह अत्यन्त शोचनीय बात है। आखिर हमारा यह शासन किधर जा रहा है? आज अगर शांतिपूर्ण तरीके से, वैधानिक तरीके से अपनी समस्याओं को रखने के लिए हडताल को माध्यम बनाने वाले लोगों के खिलाफ लाठी और बल प्रयोग का इस्ते-माल किया गया तो आखिर कार मजबूर होकर लोगों को लाठी का रास्ता ही अपनाना पडेगा। अगर आप लाठी के रास्ते से बचना चाहते है, अगर आप असामाजिक और अवैधानिक तरीकों से बचना चाहते हैं तो लाठी का इस्तेमाल, गोली का इस्तेमाल कम से कम करें। मैं नहीं कहता कि शासन बिलकुल दण्ड छोड दे, लेकिन शासन को दण्ड उस वक्त ही इस्तेमाल करना चाहिए जब कि दण्ड का इस्तेमाल करने की परिस्थिति पैदा हो जाय। बच्चों की हड़ताल होती है तो क्या आप उनको समझा कर ठीक नहीं कर सकते। आखिर क्यों आपको आर. ए. सी. उनके लिए बुलानी पड़ी यह मेरी समझ में नहीं आता। उन बच्चों को काबू में करने के लिए क्यों आपको पुलिस की जरूरत पडी? क्यों उनकी हड्डी फोड देने की आपको जरूरत पडी? हड़ताल पर जमने वाले बच्चों को समझाने के लिए आपको प्रेम से उनके पास जाना चाहिए था और उनकी बात को समझने की

(श्री दौलतराम सारण)

चेष्टा करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें केवल बच्चों की हड़ताल का मसला ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कालेज के स्टाफ का आपस का झगड़ा था और आपस के झगड़े की वजह से प्रिन्सिपल द्वारा अपनी तरफ से स्टाफ के नाराज लोगों की अकड़ को ठीक कराने के लिए यह पुलिस की फोर्स इस्तेमाल की गई लगती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इस सारे काण्ड की न्यायिक जांच कीजिये। जो बेगुनाह बच्चे हैं, जिन पर बहुत भयंकर सख्ती इस्तेमाल की गई ह, जिनकी रीढ की हड्डी तोड़ दी गई है, जिनके टखन तोड दिये गये हैं, जिनकी कमर तोड दी गई है, जिनको घसीटा गया है, जिनको घर से निकाल निकाल कर पीटा गया है—आखिर इतना अनतिक अव्यवहारिक, गैर-कानूनी व्यवहार उनके साथ क्यों किया गया ? इन सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इस सारे काण्ड की न्यायिक जांच की जाय। और अगर न्यायिक जांच कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो मेरा यह इम्प्रेशन बनता जा रहा है, यह सरकार कानूनी और वैधानिक रास्ते का इस्तेमाल नहीं करके केवल सख्ती और दण्ड के बल पर ही चलना चाहती है। दण्ड के द्वारा आप केवल शासन चलाना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार शासन जनतंत्र में नहीं चल सकता है। जनतंत्र में तो वही शासन चल सकता है जो जनता की सहानुभूति और जनता के सहयोग से चलता हो। आप अशांति जबर्दस्ती जनता में क्रियेट करना चाहते हैं, आप जबर्दस्ती जनता में हिंसा-वृत्ति को बढाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन विरोधी पक्ष इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थी शांतिपूर्वक अपनी शिक्षा प्राप्त करें, वह हड़ताल पर नहीं जायं, वह इस प्रकार संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हों। लेकिन आप उनको लाठी से डरा कर, उनकी जो वाजिब मांग है, उस मांग को आप दबा देना चाहते हैं, उनको लाठी से, गोली से, हथकडी से आप डराना चाहते हैं और उसके बाद में उसकी जांच कराने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं तो उस हालत में राजस्थान के विद्यार्थियों को और राजस्थान की जनता को विचार करना पडेगा कि इस सारी परिस्थिति में सरकार की गलत और अवैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध क्या किया जाय ? आप इस तरह की कार्यवाही से हिंसा के लिए और अशांति पैदा करने के लिए राजस्थान की जनता और विद्यार्थियों की भावना को उभार रहे हैं मेरा आरोप है कि आये दिन पुलिस लोगों पर ज्यादती करती है। कल मंडावा के अन्दर एक आदमी को जबर्दस्ती पीटा गया और उसको दुकान से उठा कर ले जाया जाकर पीटा गया। एक आदमी को नौहर में जबर्दस्ती तेल डाल कर जला दिया गया, लेकिन मुजरिमों को पकडने के लिए पुलिस जाती तक नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों पर अत्याचार करने के लिए पुलिस फौरन पहुंच जाती है, और दनादन लाठी और गोलियां चलाती है। असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, पाकिस्तान के जो स्मगलर्स हैं उनको पकड़ने के लिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस गोली नहीं चलाती है, न लाठी चलाती है। वह तो लाठी चलाती है स्कूलों के मासूम बच्चों पर, विद्यार्थियों पर जो शांतिपूर्वक वैधानिक

(श्री दौलतराम सारण)

तरीके से हड़ताल करते हैं। मैं कहता हूं कि यह तरीका अब नहीं चलेगा इस तरीके को यदि चालू रखा गया तो इसका भयंकर प्रतिवाद होगा और इसके अन्दर सारी जनता भी विद्यार्थियों को सहयोग करेगी और इस प्रकार से विद्यार्थी अमानुषिक तरीके के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है सरकार से कि इस मामले में जिन्होंने अनुचित तरीके अख्तियार किये हैं, जिन्होंने अवैधानिक तरीका अपनाया है, और अत्यधिक सख्ती को इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ न्यायिक जांच करें और गलत काम करने वाले लोगों को सजा दें।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री मनोहरसिंह मेहता।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब सन् 1942 में और सन् 1938 में हम लोग बच्चों को कालेज से निकाल कर स्ट्राइक करवाते थे तो मेरे गुरू ने कहा था कि तुम पत्थर फेंक रहे हो लेकिन एक दिन आयेगा जब यह पत्थर तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। इसी तरह से गांधीजी ने कहा था कि ऐसी शिक्षा दो जिससे सबको काम मिलता रहे और कोई बेकार नहीं रहे। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसके मूल कारणों में जाते नहीं हैं कि बच्चे क्यों हड़ताल करते हैं? आज पोलीटैक्निक वाले महसूस करते हैं कि जब इन्जीनियर्स बेकार हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी? उनके मां बाप ने हजारों रुपये उनके ऊपर लगाये हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आपकी मार्फत एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे घायल हुए हैं, यदि उनमें मंत्री महोदय का बच्चा होता, तो क्या आप पोलीटेक्निक स्कूल में दौड़ कर जाते या नहीं? यह सब बच्चे आपके ही हैं इसलिए आपको मौके पर जाना चाहिए। इसके लिए आप क्यों मना करते हैं? मैं देखता हूं कि गांव कोटू कोटा में चार आदमियों को मार दिया गया लेकिन मारने वालों का पुलिस ने आज तक पता नहीं लगाया है। इसी तरह से दिवाली के आस पास पांच आदमियों के परिवार को किसी ने जान से मार दिया, तीन बच्चे थे, एक तीन साल का, एक नौ साल का, एक तेरह साल का, एक आदमी खुद और उसकी पत्नी को पूरे–के पूरे परिवार को किसी ने मार कर मेनाल कुण्ड में डाल दिया लेकिन उसका आज तक पुलिस ने पता नहीं लगया है। इसी तरह से हर रोज चोरियां होती हैं उनका पता नहीं लगाया जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष:** जिस दिन पुलिस की डिमाण्ड आये उस रोज आप यह कह दें।

**श्री मनोहरसिंह मेहता:** पोलीटेक्निक के बच्चों को किस कारण से मारा गया, क्या परिस्थिति थी, इनको क्यों पीटा गया–इस सबकी जांच के लिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, इसकी जांच कराने की बात को स्वीकार करेंगे। मैं कहता हूं कि अभी तो यह प्रारम्भ मात्र है, आज जो शिक्षा है उसके अन्दर आप रद्दोबदल नहीं करेंगे तो भयंकर परिणाम होंगे। आपने यह नहीं सोचा कि किस तरह की शिक्षा हम दें।

**श्री उपाध्यक्ष:** यह आप शिक्षा की मांग पर कह दें।

**श्री मनोहरसिंह मेहता:** मैं इतनी बात कह कर निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इस मामले की जांच करें।

# Page No. 62



**श्री मदनसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केवल दो बातें··

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मुकुटबिहारी लाल !

**श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल** (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय आज··

**श्री उपाध्यक्ष** : थोडे में कहेंगे। शुरू में आप ने काफी कह दिया है।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं आप के माध्यम से राजस्थान मन्त्री मण्डल को और खास तौर से राजस्थान की दो ढाई करोड़ जनता को एक बात कहने को हम यहां पर खडे हैं। वह बात यह है कि आखिर राजस्थान मन्त्रिमण्डल हम से चाहता क्या है ? सम्भवत: उसको बहुमत का गर्व हो गया है, घमंड हो गया है, मुगालता हो गया हो। ठीक आज से एक साल पहले जयपुर के बाजार में किस प्रकार खून से होली खेली, और खून से होली खेल के निर्मम हत्याएं करके जिस तरह राज कायम किया है जिस प्रकार से गोली और लाठियों का नंगा नाच करके यह सरकार कायम की थी, राजस्थान की दो करोड जनता की छाती पर अत्याचार का नंगा नाच करके आप उसकी याद दिलाना चाहते हैं। आज वही सख्ती, वही निष्ठुरता छात्रों के प्रति सरकार अपनाना चाहती है। आखिर आप चाहते क्या हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से चाहूंगा कि कम से कम कुछ सीमाएं कायम करें। जयपुर में हमने देखा कि आज के दिन दनादन गोलियां चलाई गईं। गोलियां चलाने का जो दृश्य था मैं उस दिन के नजारे की ओर जाना नहीं चाहूंगा। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि मैंने हिटलरशाही शासन में ऐसा नहीं सुना। जारशाही के शासन में ऐसा नहीं सुना और इसी तरह··

**एक माननीय सदस्य** : नादिरशाही··

**श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल** : नादिरशाही और तैमूरलंग का हमला हुआ उस जमाने के अन्दर भी ऐसा अत्याचार नहीं सुना कि गोलियों से मार दिया और उसकी लाश को लेकर रातों रात फुंकवा दिया। न उसके फोटो रखे। न उसके घर वालों को वापिस की, न उसका क्रिया कर्म करवाया। अन्तिम संस्कार की आपकी खुद की संस्कृति है। तो आज देश किधर जा रहा है आज भारत में दिल्ली में नक्शा रचा गया है। गोरक्षा के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोलियां चलाई गईं। उनकी लाशों को उठाकर रातोंरात न जाने कहा जलवा दिया, फिंकवा दिया गया? इसी तरह से जयपुर में ऐसा हुआ । गोलियां चला कर लोगों को मार दिया गया है। इससे जो बीमारी थी उसका इलाज नहीं हुआ तो आर. ए. सी. तैनात कर दी गई और उसके बल पर राष्ट्रपति शासन की आड़ में जो शासन आपने कायम किया, क्या उसका बदला आप विद्यार्थियों के खून से लेना चाहते हैं। क्या इस बात की चुनौती छात्रों से स्वीकार कराना चाहते हैं। आप विद्यालयों को भी नहीं छोडना चाहते हैं । आप मन्दिरों को, मस्जिदों को नहीं छोडना चाहते हैं। क्या आप हमारे पवित्र स्थानों की पवित्रता को भंग करने के लिए नहीं तुले हैं ? छात्रों को आप समझा सकते थे। आखिर क्या आसमान जमीन पर गिर रहा था ? क्या पर्वत सिर पर गिर रहा था कि आप ने पुलिस फोर्स मंगवाई मैं कहता हूं कि यह कार्य बहुत अमानवीय है।

# Page No. 63



(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों ने उद्दण्डता की हो यह मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन नासमझ बच्चों को समझाने का एक मात्र माध्यम लाठी गोली ही हो तो मैं आप की इस बुद्धि की बलिहारी देता हूं। वह छात्र अपरिपक्व बुद्धि के होते हैं। छात्रों में जीवनी शक्ति होती हैं। जीवट होता हैं। नया जोश खरोश होता हैं। क्या आप विद्यार्थियों को समझाने के लिए लाठी-गोली का सहारा लेंगे ? अगर बच्चे योग्य व समझदार हों तो उनको स्कूलों में क्यों भेजते हैं ? स्कूलों में बच्चों को भेजा जाता है, समझदार बनाने के लिए, उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए भेजा जाता है। नासमझ बच्चे हैं, उनको समझाने के लिए लाठी और गोलियों का सहरा लेना चाहते हैं ? प्रिन्सिपल जो अपनी मर्यादा खो बैठे उसकी सहायता के लिए पुलिस को बुलाकर छात्रों की हड्डियां तुड़वा दें। मैं पोलिटैक्निक के छात्रों को बधायी देना चाहता हूं कि उन्होंने देश का, समाज का राजस्थान के अन्दर भयंकर बढ़ती जा रही बेकारी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो चौथी पंच-वर्षीय योजना है उसमें 250 लाख बेकारी बढ जाएगी। आज देश के अन्दर बेकारी बढ रही है। इस तरफ गम्भीरता से विचार हम करना चाहते हैं। यही केवल मांग थी। शान्ति के साथ उनकी बात को समझते और समझाते वरिष्ठ मंत्री महोदय, लाठी-गोली से समस्या अगर हल करना चाहेंगे तो कम से कम इससे हल नहीं होगा। अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाये। अगर पुलिस ने अपनी शक्ति का अतिरेक किया है उसमें किसी के मोरल को गिराने का सवाल नहीं होता है। इधर छात्रों की जीवनी शक्ति का सवाल है और उधर मोरल का सवाल है। मैं चाहूंगा कि जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उनको जरूर ही दण्ड मिलना चाहिये। छात्रों पर जो मुकदमें चलाये गये हैं वह समस्त मुकदमे बगैर नाक का खयाल किये हुए वापिस लिये जाने चाहिए। विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमें हैं वह समाप्त किये जाने चाहिए। और फिर से कालेज जल्दी से जल्दी खुलवा दिये जायें ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो और तमाम समस्या को सात्विक ढंग से संजीदगी से सुलझाना चाहिए यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसमें काफी चर्चा हो हो चुकी है।

**श्री मदनसिंह** ( दांतारामगढ़ ) : दो सुझाव देना चाहता हूं, वह यह हैं··

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मदनसिंह, थोड़े में कहेंगे।

**श्री मदनसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय सबसे बडी जो चीज हुई है उस पर माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। आन्दोलन होते हैं। लाठी भी चलती है। इससे ज्यादा आदमी भी मर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ताज्जुब की यह है कि आज यह नौबत आगई कि आज प्रिन्सिपल के आर्डर से आर. ए. सी. आने लगी तो कल यूनिट आने लगेगी और फिर शायद मिलिटरी की ब्रिगेड भी आने लगेगी। इससे देश का सवाल बंधा है अगर एक के कहने से आर. ए. सी. आ जाती है तो मैं समझता हूं इससे देश को व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मंत्री

(श्री मदनसिंह )
महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कड़ी जांच होनी चाहिये कि आर. ए. सी. कलेक्टर के कहने से आयी। किसने बुलाई ? क्यों बुलाई ? आया प्रिंसिपल के बुलाने से आई या कलेक्टर के कहने से ? दूसरा जो पुलिस के सम्बन्ध में निवेदन है··

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! कृपया आपस में बात न करें।

**श्री मदनसिंह** : कई दफा सेन्टर से आदेश हुए हैं कि इस होस्टल में बिना नोटिस के जब तक कि कोई भयंकर काण्ड नहीं हो, पुलिस का जाना उचित नहीं है होस्टल में भी पुलिस गई है। उसमें पुलिस को जाना नहीं चाहिए था। तीसरे यह मन्त्रियों को शर्म है नहीं। इतनी बात हो जाय और यह यहां बैठे हुए हैं। इन को चार रोज पहले ही मौके पर जाना चाहिए था। इनका फर्ज था कि जिस वक्त आपके स्थागन प्रस्ताव की बातचीत की, मुझे मालूम है कि माननीय मन्त्री ने फरमाया था कि जांच करवा रहे हैं। लेकिन जांच वांच क्या करवा रहे हैं। यह तो किसी तरह षडयन्त्र वना रहे हैं। चार रोज से अगर आपके दिल में दर्द होता तो उप मन्त्री जी, आपको जाना चाहिए था अगर नहीं जाते हैं तो मन्त्री वेकार हैं।

**श्री श्रवणलाल** : यह कैसे जायेंगे। यह तो उनके अलीवाबा का क्षेत्र है। वहां कैसे जायेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कृपया आसन की तरफ देखकर बोलें । उधर देखकर बोलते हैं तो आसन का असर नहीं रहता है।

**श्री मदनसिंह** : मैं मानता हूं यदि प्रिन्सिपल के कहने पर पुलिस गई है तो प्रिन्सिपल और आर.ए.सी. कमाण्डर को हटा देना चाहिए। नहीं तो कल कलेक्टर को कहे बिना कोई भी आर.ए. सी. बुला सकता है और तीसरी बात यह है कि .

**श्री उपाध्यक्ष** : तीसरी नहीं चौथी हो गई है।

**श्री मदनसिंह** : तीसरी तो थी कि आर. ए. सी. के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। वह वहां गई। चौथी यह कि मन्त्री महोदय को इसकी गम्भीरता महसूस करनी चाहिए थी। उस दिन मन्त्री महोदय को वहां जाना था यहां विराजमान क्यों है ? उसका भी विचार करना चाहिए था।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई ·

**श्री आलमअली** (फतेहपुर): एक मिनट मारवाडी को भाषण··

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री आलमअली ।

**श्री आलमअली** : जब इस सम्बन्ध में उप मन्त्री को जवाब आयो तो वीं वक्त मारे ध्यान में आयो के उप मन्त्री कतई आन्दोलन में भाग कोनी लियोड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, मारे ख्याल के पीछे या बात ही कि मन्त्री साहबजी का आन्दोलन में भाग लियोड़ा है वो आन्दोलन को ढंग जाने है क्योंकि वे आन्दोलन में भाग लियोड़ा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब मन्त्रीजी बोलेंगे ।

**श्री आलमअली** : मैंने एक मारवाडी की कहावत याद आगी जो एक मिनिट में मन्त्री महोदय और सदन ने सुना देऊं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कि पंचायत राज है, एक

(श्री आलम अली)

पंचायत गांव में बैठा करती ही। पांच पंच बैठा करता। बडो दरख्त हो। बठे एक दरख्त पर एक घुग्घू बैठा करतो। उपाध्यक्ष महोदय पच कहता के या घुग्घू अठे सूं भाग क्यूं नहीं जावे। जा दिन घुग्घू बोल जावे तो ई के बोलण सूं सारो गांव खाली हो जावे। उपाध्यक्ष महोदय, घुग्घू एक दिन हंसा के देश में पहुंचगो। हंसा ने बीसूं बडो प्रेम कर्‍यो अर कह्यो के भाई, तू मारो भाई है म्हे तने प्यार करां हां, पर बीने बढिया बढिया खाणों खिलायो उपाध्यक्ष महोदय घुग्घू हंस ने कैयो के चाल मारा देश में चाल, मैं तने मारा देश की पंचायत बताऊं। हंस और हंसणी घुग्घू की के सागे गया।

श्री खेतसिंह : घुग्घू गयो कठे, अठे हीं खड़ो है।

श्री आलमअली : उप मंत्री साहब, से जाणे हैं के घुग्घू बैठ्यो है····

तो, उपाध्यक्ष महोदय, घुग्घू क्यों हंस ने के मारे सागे मारे देश में चाल, मैं तने मारा देश की पंचायत को नमूना बताऊं। हंस और हंसणी घुग्घू के सागे आया और घुग्घू की पंचायत में आ पूग्या। घुग्घु जार कयो पंचां ने के पंचां थे मारो एक फैसलो करो, आ हंसणी म्हारी है के हंस की। पंच देखियो के ओ बडो अच्छो मौको है, एं घुग्घूड़ो अठा सूं बारे में निकल जासी और वे पंच फैसलो दियो के आ तो घुग्घू की लुगाई है। वे पंच हंसणी ने घुग्घू की लुगाई बतादी।

उणही तरह सूं में उप मंत्री साहब को जवाब सुणर समझ गया के आं अफसरां सूं खतरो है आं मंत्रियां सूं खतरो है।

एक माननीय सदस्य : घुग्घू कुण है?

श्री आलमअली : मैं क्या कहूँ वो किण पर फिट होवे है, आप ही समझ जावो।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र री दुहाई देता हा, ओ प्रजातन्त्र है के मासूम बच्चां पर लाठी चलावे, गोली चलावे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्थगन प्रस्ताव रखियो हो, एक औरत ने मार दी उण पर रखियो हो। कतल करणवालां ने थाणेदार कयो और मंत्रीजी कयो के बैठा मजा करो। कतल हो जाय और कतल करे ज्यांनें संरक्षण देव ओ आज इण राज रो नमूनो है और दूसरी तरफ मासूम बच्चों पर लाठी चलार आ सरकार प्रजातन्त्र री होली खेल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, ए मंत्री बैठा बैठा करे कांई है, जद बठे शांत वातावरण हो, अच्छो वातावरण हो वीं बगत ए मंत्री बठे क्यूं नहीं गया, ए मंत्री बठे जाता, जार वाने शान्ति देता पण बडा अफसोस रे साथ कहणो पड़े है के हाल तांणी बठे एक भी मंत्री नहीं पूग्यो है, पूगे कयां, क्यूं के ए प्रभावित भी तो नहीं कर सके···

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री आलमअली : ए मंत्री तो आज राज रे पाछे भागो है, राज आंके पाछे नहीं भागे। मंत्री राज के पाछे भागणियां नहीं होता तो वां लडकां के खने भागर जाता और जद वां बच्चां पर लाठियां चाल रही है, बीच में आपारो माथो लाठियां रे नीचे देता।

(श्री आलम अली)
जठा तांई कोई दूसरा लीडर खुद जाके जनता के मांयने जो भावना फैलियोडी है वीं भावना में खडा नहीं होवेला बठा तांई वीं राज में अराजकता फैलेली।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप खत्म करके फिर शुरू कर रहे हैं।

**श्री आलमअली** : मैं आही कहणी चाहूं हूं के मंत्री महोदय और 5 सदस्य वठे जावे और ने नहीं तो नत्थी भाई ने ही सागे लेर जावे और इण सारा मामला री जांच करावे, नत्थी भाई साफ कहवणियां हैं, बांने सागे लेर जावे।

वरना ईयां घोटाला करोगा तो फेर और ही कीं होवेंगो।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बडा गम्भीर है क्योंकि यह विद्यार्थियों का प्रश्न है। माननीय सदस्यों ने अपने अपने ढंग से इस प्रश्न पर अपनी अपनी राय जाहिर की है मैं अगर यह कहूं कि बहुत सारी सूचना जो कुछ माननीय सदस्यों ने दी, वह सही नहीं है तो, शायद मैं गलत नहीं हूं।

**एक माननीय सदस्य** : आपकी सूचना भी सही नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप बोल रहे थे तो मैं बिलकुल नहीं बोला अगर आप यही परम्परा डालना चाहें तो मैं बैठ जाऊं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय गाडियाजी वहां देख कर आये हों, या और कोई सूचना उनके पास टेलीफोन से आई हो, जहां तक अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है, मेरे पास सूचना पहले से ही आई हुई है कि यह हडताल कराने में इनकी पार्टी का पूरा हाथ था, बच्चों को बरगलाने में इनकी पार्टी के लोगों का हाथ था।

यह हडतालें होती हैं, हमारे विद्यार्थी हडताल करते हैं और शान्तिपूर्ण ढंग से हडताल करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी ओर से कोई दखल नहीं होता। पर जब गैर सामाजिक तत्व उनमें मिल कर बरगलाते हैं और असामाजिक तत्वों के साथ होने के कारण वायोलेंस होता है .....

**श्री दौलतराम सारण**: तो क्या माननीय सदस्य असामाजिक तत्व हैं। सदन में इस प्रकार कहा जाय, हम नहीं सुन सकते ...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने माननीय सदस्य के लिये नहीं कहा है ...

**श्री दौलतराम सारण** : हम ऐसा नहीं सुन सकते ..

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप मत सुनिये, जो मुझे कहने का अधिकार है और जो सही स्थिति है, वह मैं सदन के सामने रखूंगा।

मेरे पास इस बात की सूचना है कि एक पोलिटिकल पार्टी के लोगों ने विद्यार्थियों को बरगलाया है, यह सूचना आज ही नहीं आई है, कल भी आई, परसों भी आई और आती

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रहती है। तो मुझे सदन को सूचना देनी है कि वहां सही स्थिति क्या है। इस तरह से बच्चे वायोलेंस पर आ जायं तो क्या आप इसे उचित कहेंगे? बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं, कोई एक पोलिटिकल पार्टी वालों के बच्चे नहीं हैं, सभी के बच्चे वहां हैं और किसी को विरोधाभास बच्चों से नहीं है। पर जहां तक स्टुडेन्ट्स डिसिप्लिन का सवाल है, वह हमारे लिये, आपके लिये बराबर चिन्ता का विषय है··

**श्री दौलतराम सारण** : इस तरह से उन पर अन्धाधुन्ध लाठियां चलाई जायं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय दौलतरामजी, आप शान्त रहें आप बोले थे तो मैं बीच में बिलकुल नहीं बोला।

मेरा अर्ज करना है कि, आपने कहा कि प्रिन्सिपल के बुलावे से आर. ए. सी. आगई, इस केस को अच्छी तरह से बिल्ट किया गया है, जैसे प्रिन्सिपल के हुक्म से ही सब कुछ हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिये अर्ज करूंगा कि प्रिन्सिपल के बुलाने से कोई आर. ए. सी. नहीं आई। अलबत्ता यह बात है कि हड़ताल करने वाले विद्यार्थियों ने, कालेज के अन्दर जो विद्यार्थी चले गये थे, उनको कालेज के अन्दर से उठा लाने की कार्यवाही की, कालेज का सामान तोड़ने की कार्यवाही की तो प्रिन्सिपल द्वारा कलेक्टर को फोन किया गया और एस. डी. एम., मजिस्ट्रेट और डी. वाई. एस. पी. दोनों साथ, पुलिस को लेकर गये थे। तो आपका यह खयाल कि आर. ए. सी. प्रिन्सिपल के टेलीफोन पर वहां पहुंची है, यह गलत खयाल है, यह आपको गलत सूचना दी गई है।

हड़ताली विद्यार्थियों ने कालेज का सामान तोड़ा, टेलीफोन के तार काट दिये। आप कह रहे हैं कि मीटिंग कहीं और जगह हो रही थी और लड़के मीटिंग से भाग कर गये, यह सूचना आपको गलत दी गई है, लड़के वहीं थे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : माननीय मंत्री जी एक बात बता दें···

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं दरम्यान में कोई जवाब नहीं दूंगा···

**श्री दौलतराम सारण** : पुलिस को बुलावे जैसी क्या घटना हुई थी?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं बन्द कर दूं, उसके बाद सूचना दे दूंगा, दरम्यान में कोई जवाब नहीं दूंगा, आइ डोन्ट वान्ट टू बी डिस्टर्ब्ड।

**श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय····

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको वक्तव्य देने दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : फिर भी यह कहना कि बिलकुल शान्तिमय तरीके से बच्चे हडताल कर रहे थे और उन पर लाठियां चला दीं, मैं कहता हूं कि उन्होंने स्टोर में से सामान निकाल लिया, हाकियां निकाल लीं, जब ज्यादा वायोलेंस करने लगे तो कलेक्टर और एस. पी. मौके पर पहुंचे। कलेक्टर के चोट लग गई, भैरोंसिंह जी ने कहा, पत्थर फैंकने से काच का टुकडा उछला और उनके आंख में लग गई, पर ड्राइवर के दो दांत टूट गये, वह कैसे टूट गये?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह बुड्ढा होगा।

**श्री भैरोंसिंह** : एक मंत्री जो बॉली बॉल खेल रहे थे तो उनके दांत टूट गये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : 17 पुलिस कर्मचारियों के चोटें आई, इनके कैसे आई ? मैं इस वक्त स्थिति में हूं, जगदीशचन्द्र के लिये कहा गया कि उसके चोटें आई हैं, उसके नाले के अन्दर गिरने से चोटें आई हैं। हरिशंकर के लिये कहते हैं कि रीड की हड्डी टूट गई, वह गलत है, उसका एक्सरे लिवा लिया गया है, कोई रीड की हड्डी नहीं टूटी है, आपको जिसने यह सूचना दी है, वह गलत दी है। इसी तरह से आपने आनंद स्वरूप चंदेल के लिए कहा कि उनकी हड्डी टूट गई, पुलिस की हिरासत में ऐसा किया गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि उसको चोट नहीं आई है।

**श्री भैरोंसिंह** : आनंद स्वरूप चंदेल को चोट नहीं आई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पुलिस की कस्टडी में कोई चोट नहीं आई।

अब रहा सवाल कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दफा 144 लगाए बगैर कैसे सिपाही पकड कर ले गए ? यह आपकी गलतफहमी है, दफा 144 कल उदयपुर में लगाई गई, मामला कल शाम का है।

**श्री भैरोंसिंह** : पहले जो लाठियां चलीं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं सिपाही की बात करता हूं कि सिपाही पकड़ कर ले गये आपने बहुत जोर से कहा · · ·

**श्री भैरोंसिंह** : आपके पास जवाब नहीं, जिस समय लाठी चार्ज हुआ उस समय धारा 144 नहीं लगी थी।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अगर आपका मतलब उससे है · · ·

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : लाठी चार्ज कितनी बार हुआ ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बीच में कोई प्रश्न न पूछें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपका ऐतराज है कि जब झगडा शुरू हुआ उस समय लाठी चार्ज करने से पहले धारा 144 क्यों नहीं लगाई ? मेरा निवेदन है कि जो तरीका है वह यह है कि जब भीड इकट्ठी होती है तो उसको डिस्पर्स करने के लिए वार्निंग होती है, फिर भी भीड यदि हिंसा पर उतरे और पुलिस व मजिस्ट्रेट पिट जायं तो माइल्ड लाठी चार्ज एस. डी. एम. के हुक्म से हुआ है, पुलिस ने नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं ? आप चाहते हैं कि पुलिस पिटती जाय, मजिस्ट्रेट पिट जाय और शहर भी लूटें, कालेज का सामान निकाल लें, लडके सब कुछ करें तो माइल्ड लाठी चार्ज भी न कराएं ?

**श्री दौलतराम सारण** : लडके उच्छृंखल कैसे हो गए ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं कतई नहीं मानता · · ·

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं अपनी बात कहना खत्म करूं उसके बाद आप कहना।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : पुलिस के साथ में मजिस्ट्रेट कौन था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : एस. डी. एम.। उदयपुर में एस. डी. एम. एक ही है, दो नहीं हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपकी सरकारी सूचना जो प्रसारित की गई है, उसका एक्सट्रैक्ट मेरे पास है, उसके अन्दर सब बातें दर्ज हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सरकारी सूचना में अगर है कि एस. डी. एम. नहीं है तो जिन्होंने मुझे सूचना दी है, उन पर एक्शन ले लूंगा। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई उत्तेजना की बात नहीं है, यह बहुत ही ठंडे दिल से विचारने की बात है। यह विद्यार्थियों का सवाल है, इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से न देखा जाय। अगर पुलिस ज्यादती करे तो मैं बराबर तैयार हूं और आपको विश्वास दिलाया कि उचित कार्यवाही करूंगा परन्तु अगर बच्चों की तरफ से लॉ एण्ड ऑर्डर डिस्टर्ब किया जाय, हिंसा हो और कानून को अपने हाथ में लेकर कार्यवाही की जाय, तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर इसमें सख्ती के साथ कार्यवाही नहीं की गई और रोका नहीं गया तो फिर समाज के अंदर बहुत भारी गडबड हो जायगी। इसमें राज्य का सवाल नहीं है, समाज को नुकसान पहुंचने वाला है जिसके हम और आप दोनों हिस्सेदार हैं, इस तरह की सुनी सुनाई बातों को कुछ लोग होते हैं···

**श्री हीराभाई** : अगर आप सोना खा जायं तो···

**श्री दामोदरलाल व्यास** : 'तो' अपनी पैंड में रख लो। बीच बीच में जो ये सवाल किए जाते हैं इससे जाहिर है कि माननीय सदस्यों में इस विषय पर गंभीरता नहीं है। अगर यह पोलिटिकल इश्यू महज पब्लिसिटी के लिए है तो मुझे ऐतराज नहीं और मैं संतुष्ट हूं इस बात से कि जो कुछ कार्यवाही वहां पर हुई, उसमें पुलिस की कोई एक्सेस नहीं हुई और विद्यार्थियों ने चलाकर वायोलेंट एटीट्यूड एडाप्ट किया, लॉ एण्ड ऑर्डर तोडा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस और मजिस्ट्रेट को चोटें पहुंचाई, उसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है wich was fullyjustified.

जहां तक चोटों का जिक्र किया गया कि किसी की रीड की हड्डी टूटने के लिए कहा, बहुत बडी बात कह दी, उसको मैंने कान्ट्रैडिक्ट किया··

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : एक्स रे क्यों किया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : क्योंकि आप कह रहे थे कि रीड की हड्डी टूटी थी।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : तो क्या उसको चोट नहीं आई ?

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : जब भीड को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज होता है और छात्र भागने लगते हैं तो उनके पीछे आर. ए. सी. ने दौड कर उसकी हड्डी क्यों तोडी ?

**श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : जिस गंभीरता से इस वक्तव्य पर···

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने जो वक्तव्य दिया है उसके क्लेरीफिकेशन में प्रश्न पूछेंगे भाषण नहीं होगा।

# Page No. 70



**श्री विजयसिंह रावत** : जिस गंभीरता से सदन के अन्दर इस विषय को उठाया गया है, उस गंभीरता को क्या गृह मंत्री टालमटोल करके टालना चाहते हैं? मासूम बच्चों के साथ····

**श्री उपाध्यक्ष** : (मंत्री महोदय से) आपका प्रश्न यह है कि "टालमटोल कर टालना चाहते हैं", अब आप उत्तर दे दें। (श्री रावत से) आप प्रश्न अच्छी तरह से पूछें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : सोचने का समय इनको दे दें सवाल बनाने के लिए··

**श्री दौलतराम शरण** : प्रश्न तो हम हमारी बुद्धि के अनुसार पूछेंगे मगर रघुनाथ की काबलियत के अनुसार कैसे प्रश्न पूछेंगे ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : हरेक के बीच में क्यों बोलते हैं ?

**श्री विजयसिंह रावत** : जिस गंभीरता से जो प्रश्न उठाया गया है, गृह मंत्री उस गंभीरता को मस्तिष्क में रखते हुए इतना नहीं सोचते कि जब विपक्ष के नेता ने जांच की मांग की, श्री भैरोंसिहजी ने मांग की और अन्य वक्ताओं ने जांच की मांग की और जांच की मांग करने का एक मतलब था कि विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनको लॉक-अप करके और षड्यंत्र करके और प्रिन्सिपल के कहने से आर. ए. सी. को बुलाया गया और मासूम बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। तो सरकार लाठी के बल से, क्या गोली के बल से, राजस्थान में राज्य करती है, क्या मासूम बच्चों के साथ हरकत करके उनको उत्तेजित करती है जिससे अराजकता फैले ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज····

**श्री विजयसिंह रावत** : जिससे उनका भविष्य खराब हो ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा मालूम होता है कि प्रश्न पूछने की माननीय सदस्य की इच्छा नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मेरे पास एक प्रेस नोट है जो सरकार ने 1 मार्च को इश्यू किया है, सार्वजनिक संपर्क कार्यालय उदयपुर से दिनांक 1-3-68 को, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो जो तथ्य दिये हैं और जो इसमें तथ्य दिये हैं, दोनों मेल नहीं खाते। आपने कहा कि एस. डी. ओ. पुलिस के साथ शुरू में गया था, ऐसी बात प्रेस नोट नहीं कहता है। प्रेस नोट कहता है कि सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही घटनास्थल पर जिला दंडनायक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंचे। उसके बाद जो दूसरे शहर दंडनायक हैं पहुंचे। इसके अन्दर एस. डी. ओ. पहुंचा हो इसका जिक्र नहीं है। अगर एस. डी. एम. शुरू में गए होते तो प्रेस नोट में जिक्र होना लाजमी था। इस प्रेस नोट को जरूर मिनिट्स में लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की मेज पर रख दें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं सदन की मेज पर रखता हूं और एक्सट्रैक्ट पढ कर सुनाता हूं कान्ट्रैडिक्शन को एक्सप्लेन करें। हमारा कहना है कि जब पुलिस गई उस समय कोई मजिस्ट्रेट नहीं था।

(3 म. प.)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पढ दीजिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैं पढ देता हूं। उदयपुर में प्रतापनगर में स्थित पोलिटैक्निक में दिनांक 29 फरवरी को जो अप्रिय घटना हुई थी वहां स्थिति काबू में है और अब वहां पूर्ण शान्ति है। नगर में कहीं भी अन्य कोई अप्रिय घटना होने के समाचार नहीं है।

कल की घटना के समाचार जो प्राप्त हुये हैं उनसे प्रकट होता है कि पोलिटैक्निक तथा विद्याभवन रूरल इन्स्टीट्यूट के लगभग 400 उपद्रवी हडताली छात्रों ने पोलिटैक्निक में पुलिस पर पत्थरों, लाठियों, हाकी-स्टिकों तथा जेवेलियन थ्रो के बल्लमों से घातक हमला किया और पोलिटैक्निक की कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य छात्रों को जबरन कक्षाओं से बाहर निकालने का प्रयत्न किया। पुलिस ने तथा पोलिटैक्निक के अधिकारियों ने जब हडताली छात्रों को ऐसा करने से मना किया और उन्हें अन्य छात्रों को जबरदस्ती कक्षाओं से बाहर निकालने से रोका तो छात्रों ने पुलिस के जवानों पर पत्थर बरसाये और पुलिस की गाडी को भी तोड कर नुकसान पहुंचाया।

सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही घटनास्थल पर जिला दंडनायक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंचे। उपद्रवी छात्रों ने जो लाठियां, हाकी स्टिक तथा बल्लमों से लैस थे, जिला दन्डनायक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को घेर लिया और उन पर पत्थरों तथा लाठियों, हाकी स्टिकों आदि से हमला किया परिणामस्वरूप जिला दन्डनायक की आंख में चोट आ गई और जीप को भी काफी क्षति पहुंची। छात्रों ने जीप के ड्राइवर पर प्राण घातक हमला किया जिससे उसके मुंह पर घावपूर्ण गहरी चोट आई।

इस प्रकार के अप्रत्याशित हमले का मुकाबला करने के लिये तथा छात्रों की भीड को तितर बितर करने के लिये बाद में पुलिस ने हलका लाठी चार्ज किया। उपद्रवी हडताली छात्रों ने पोलिटैक्निक के टेलीफोन के तार भी काट दिये। बाद में नगर दन्डनायक जब अपने पुलिस दल के साथ पोलिटैक्निक के पास पहुंचे तो उनको भी उपद्रवी एवं सशस्त्र छात्रों ने घेर लिया और उन पर आक्रमण किया। फलस्वरूप नगर दन्डनायक और उनके [illegible] बैठे पुलिस जवानों को भी चोटें आई। उनकी जीप को भारी क्षति पहुंचाई गई। हडताली छात्रों ने एक अन्य गाडी को भी नुकसान पहुंचाया। उपद्रवी छात्रों के इस आक्रमण के फलस्वरूप पुलिस के 14 जवानों को चोटें पहुंची हैं। इस मामले में 42 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और आज स्थिति पूर्णतया शान्त है। पोलिटैक्निक अनिश्चित काल तक के लिये बन्द कर दिया गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से साफ जाहिर है कि जिला दन्डनायक को यह सब मालूम है। उनकी देखरेख में ही लिखा गया है और यह विज्ञप्ति उनके द्वारा ही जारी की गई है। जो आथेंटिक स्टेटमेन्ट है, जो इमीजियेट स्टेटमेन्ट है और जो माननीय गृह मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया है वह बाद का है। जो आथेन्टिसिटी इस स्टेटमेन्ट की है वह आथेन्टिसिटी उस स्टेटमेन्ट की नहीं हो सकती है। जो माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है। इस स्टेटमेन्ट से यह साफ जाहिर है कि पहले जिला दन्डनायक पहुंचे और उसके बाद नगर दन्डनायक पहुंचे। यह बात बिलकुल · · ·

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने अपने तथ्य सामने रख दिये हैं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं गृह

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
मंत्री जी से जैसा कि उन्होंने फरमाया है एक--लाठी चार्ज करने से पूर्व अश्रु गैस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? दो—और क्या यह माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि कालेज के छात्रों ने तोड-फोड की है, क्या विद्यार्थियों ने तोड-फोड की है ? नहीं की। बल्कि मैं कहता हूं कि सादा लिबास में कुछ पुलिस के लोग इस तरह का काम करने के लिये रखे जाते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं और जबरदस्ती विद्यार्थियों पर आरोप लगाया जाता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह तो अब पुरानी बात पड गई।

(कई सदस्यों के एक साथ खडे होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मदन सिंह जी।

**श्री मदन सिंह** (दांतारामगढ़) : अभी आपने फरमाया कि कम्यूनिस्ट नेताओं ने यह किया तो क्या उन नेताओं की गिरफ्तारी नहीं की गई और मासूम बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अब आप आर. ए. सी. से उस पर चले गये क्या ?

**श्री मदन सिंह** : मैं तो सवाल पूछ रहा हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ये तो मेरे पीछे पडे हुये हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपकी पोल खुल जायगी।

**श्री मदन सिंह** : वह तो पार्टी का · · ·

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मदन सिंह जी आपका प्रश्न लम्बा होता जा रहा है, इसको संक्षिप्त करें।

**श्री मदन सिंह** : (गृह मंत्री जी की ओर मुखापेक्ष करके) ऐसी कोई बात है तो मुझे घर पर बुलवा लें। आर. ए. सी. को प्रिन्सिपल न बुलाया है · · ·

**श्री उपाध्यक्ष**: इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया है।

**श्री मदन सिंह** : आप यह विश्वास दिलायें कि वाकई जबरन से, बिना किसी उपद्रव के, होस्टल में जाने वाले छात्रों को पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा है। आप उनको सजा दें। ये मेरे दो-तीन क्वेश्चन हैं। आप वचन दीजिये कि उनको पनिशमेंट दिया जायगा या नहीं। हमने कोई बात कही है तो साबित करेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : मैं भी एक जानकारी करना चाहता हूं। जिस पर्चे में सरकार की विज्ञप्ति प्रसारित की गई है, उस पर्चे में लिखा है कि सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही घटनास्थल पर जिला दण्डनायक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंचे। उपद्रवी छात्रों ने जो लाठियां, हांकी स्टिक तथा बल्लमों से लैस थे, जिला दन्डनायक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को घेर लिया और उन पर पत्थरों तथा लाठियों, हाकी स्टिकों आदि से हमला किया यह सरकार ने स्वीकार किया है और सरकार ने यह भी बताया है कि पत्थरों, हाकियों, बल्लमों आदि से जिलाधीश पर हमला हुआ और केवल उनके आंख के मामूली चोट आई। यह सब देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि इतना होने पर

(श्री भैरोंसिंह)

भी उनके आंख के ही लगकर रह गई और वह भी बहुत मामूली चोट आई। मैं समझता हूं या तो वहां से निकल कर भाग गये और या मौके पर रुके नहीं। ऐसा कौनसा जादू था जो उनके चोट नहीं आई?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पुलिस ऑफिसर रहे हैं इसलिये ये सब जानते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : अब दूसरा प्रश्न आपने जो तलाशी ली उस सम्बन्ध में है तीसरा प्रश्न जो बहुत ही गंभीर है कि लडकों को रोकने से उपद्रव हो गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या लडकों ने कोई शिकायत की? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या जिन लोगों के लाठियां लगीं, जिन लोगों के साथ घटना हुई उन सब लोगों को क्या आपने गिरफ्तार किया है? क्या सब लोगों को आपने गिरफ्तार नहीं किया? अब प्रश्न यह आता है कि आपने जिन 42 लडकों को गिरफ्तार किया है वह किस आधार पर किया है? क्या आपके पुलिस के सिपाही उनको पहिचानते थे? वास्तविकता तो यह है कि जब छात्र होस्टल में जाने लगे तो जो भी छात्र उनके हाथ लगे, उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक्स पुलिस अधिकारी होने के नाते यह तो आप जानते ही हैं कि बलवे में गिरफ्तारियां किस आधार पर की जाती हैं? यह तो आपको जानकारी होगी ही।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं उस ही आधार पर कह रहा हूं। आपको धन्यवाद। मौका पडेगा तो मैं भी आपको याद दिला दूंगा।

**श्री हीराभाई (कुशलगढ़)** : कैसे याद दिलायेंगे। क्या मंत्री महोदय को गिरफ्तार करेंगे?

**एक माननीय सदस्य** : अगले जन्म में।

**श्री भैरोंसिंह** : आज गिरफ्तारी के प्रश्न को लेकर काफी असन्तोष है। उन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई एवीडेन्स नहीं ली। होस्टल में जो विद्यार्थी मिल गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। श्री जगदीश चन्द्र मूंदडा के बारे में बताया गया कि नाली में पडने से उनका टखना टूट गया। क्या सरकार ने इसकी पूरी जांच करवाई? इंज्युरी रिपोर्ट के अन्दर कॉज ऑफ इन्ज्युरी लिखा जाता है कि छात्र के नाली में अपने आप गिरने से चोट आई है या उसके कोई चोट लगाई गई है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह तो आप विद्यार्थी स्वयं से पूछ लीजिये।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जानकारी और चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौनसा स्थल था जहां पर ये वारदातें हुई? बारबार यह बताया जा रहा है कि लडके कालेज में घुस गये तो कालेज में लाठी पत्थर बल्लम आदि पाये गये-वह स्थल कौनसा था?

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि यह सारी घटना पहाडी से काफी नीचे जाकर हुई थी।

जितने विद्यार्थी पकडे गये इनकी गिरफ्तारी कितने बजे से कितने बजे तक हुई और कौन कौन गिरफ्तार हुए?

जो विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये उनके नाम क्या हैं और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया या नहीं?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अगर कराया गया, इंज्युरीज किस किस प्रकार की थीं ? क्या यह सही है कि जिन चार प्रोफेसर्स के नाम बताये गये हैं उनके चोटें आई, चोटें आने के बाद उनका किसी प्रकार का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है ? वे चोटें किस प्रकार की हैं ? उनकी नेचर किस प्रकार की है ?

अन्त में जो विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये उनको कब छोडा गया ? क्या उनकी बेल एप्लीकेशन अदालत में पेश हुई ? क्या उनको जजमेन्ट से पहले ही छोड दिया गया ? अगर छोडा गया तो किन किन को छोडा गया ? उनके छोडने के बाद बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद किन-किन को गिरफ्तार किया हुआ रखा गया ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आज की कार्य सूची में काफी चीजें हैं जिन पर विचार होना है । गृह मंत्री ने जानकारी दे दी प्रश्न पूछ लिये गये अब क्या बात रह गई ?

**श्री देवीदत्त गाड़िया** ( बारां ) : मैं एक जानकारी चाहता हूं चार पांच प्रोफेसर्स के जो चोटें आयीं वे किस स्थान पर आई ?

दूसरा जिन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया किन-किन स्थानों से किया गया ? तीसरा एस. डी. एम. की वार्निंग के बाद लाठी चार्ज हुआ, एस. डी. एम. ने किस समय वार्निंग दी, किस माध्यम से दी, क्या उनके पास माइक था ?

चौथा कालेज के अन्दर घुसकर छात्रों ने जो सामान लिया, कालेज के अन्दर विद्यार्थी गये तो उनके द्वारा क्या क्या नुकसान हुआ ?

मैं स्वयं वहां गया था मुझ से विद्यार्थी मिले । पुलिस अधिकारियों से भी मिला हूं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि छात्रों ने कालेज में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया । पुलिस ने पत्थरबाजी की । पुलिस ने कालेज के सामान को तोडा है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने तो मुझे ऐसे प्रश्न पूछ लिये जैसे मैं खुद वहां मौजूद था मजिस्ट्रेट का मुंह किधर था, वे कैसे कपड़े पहने हुए थे ? बहरहाल जो मुद्दे उठाये गये हैं खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा एक विज्ञप्ति पेश की गई उससे उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट का नाम लेकर उन्होंने गुमराह करने की चेष्टा की है । वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं 29 तारीख को झगडा हुआ उसी 29 तारीख की कलेक्टर की चिट्ठी है वे लिखते हैं····

At 11.3 A.M.··

**श्री हीराभाई** : 26 तारीख के बाद अंग्रेजी में चिट्ठी क्यों लिखी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं उसका हिन्दी करके सुनाता हूं उन्होंने लिखा है कलेक्टर के पास में प्रिन्सिपल ने इत्तला दी कि लडके जबरदस्ती कालेज के अन्दर आने से लडकों को रोकते हैं । जो आना चाहते हैं उनको जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिच्युएशन खराब होने का अन्देशा है ।

श्री जयसिंघानी को उसी वक्त रवाना किया to look after the Law & Order

(श्री दामोदरलाल व्यास)
situation. डी. एस. पी. को लेकर पहुंचे । प्रेस नोट म लिखा है ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें पूछीं-गिरफ्तार कैसे किया क्या उनको जानते थे कि इन्होंने ही शरारतें की हैं। ओन दी स्पोट उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वायोलेन्स करते हुए देखा गया तब पकडा गया । और कुछ लडकों को होस्टल में पकडा गया ।

अब रहा सवाल इस बात का कि किस स्थान पर लडकों को पकडा गया? वे सब लडके वहां पर थे या नहीं-इन सवालों के जवाब की आप मेरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं इतनी जानकारी लेकर आऊं । बहरहाल जितने वाकयात मेरे ध्यान में आये उनको बयान कर दिया गया ।

मैं अर्ज करूंगा यह जितना गंभीर है उसको उतना ही गंभीरता से लिया जाय । इसके अन्दर इस बात की कोशिश मत कीजिये कि कोई राजनैतिक रंग दिया जाय इसके अन्दर विद्यार्थी कोई गलत रास्ते पर चले जायं तो यह देश के लिय कहीं खतरनाक न हो जाय। इसका ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई अधिक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल:** उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के पोलिटैक्निक के छात्रों के सम्बन्ध में जो हडताल हो रही है उसके सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल ही संतोष देने वाला नहीं है। एक तरफ तो मंत्री महोदय फरमाते हैं कि इस हडताल म साम्यवादी दल का हाथ था तो वे किस आधार पर कह रहे हैं ? दूसरी बात वे कह रहे ह कि इसको राजनैतिक रूप न दिया जाय जब कि वे इसमें पार्टी विशेष का हाथ बता रहे हैं वे खुद ही इसको उस तरफ ले जा रहे हैं। आपको चाहिये कि ऐसे मामलों म पूरी गंभीरता बरतें। वे बच्चे बेकसूर थे उन पर जान बूझकर लाठी बरसायी गई। वे लडके कोई भी स्कूल के अन्दर नहीं घुसे वे टेकडी के नीचे ही रहे। जिस प्रकार लाठी प्रहार कर उनको घायल किया गया जब कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हम यह मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय वे इस बात को भी नहीं मानते। आज विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से दमन किया जाय, उन पर लाठी चार्ज किया जाय, बच्चों को जलील किया जाय, उनको घायल किया जाय उसके बाद मेडिकल जांच नहीं करवाई जाय। कहा यह गया कि एक विद्यार्थी नाले में पड गया था इससे उसकी टांग टूट गई। इस प्रकार की मनगढ़न्त बातें कहना आपके लिये शर्म की बात होनी चाहिये। जिस प्रकार का अनुत्तरदायित्व पूर्ण रुख इस मामले के बारे में गृह मंत्री ने बताया है उससे हमें बडा क्षोभ है। इस कारण मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ?

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस हडताल सम्बन्धी मामले की जांच जुडिशियल होनी चाहिये। जो रुख सरकार का इसमें रहा है वह कतई शोभनीय नहीं है इसके विरोध स्वरूप मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

**श्री दौलतराम सारण** : माननीय मंत्री ने कहा कि इसमें साम्यवादियों का हाथ है यह गलत आक्षेप है। वहां एक विद्यार्थी श्री रामचरण चन्देल जिसका हाथ इसमें था वह लड़का एक कांग्रेसी का है वह वहां का मुखिया है।

**श्री रोशनलाल** : उसने उस रोज बहुत गड़बड़ी की है।

**श्री दौलतराम सारण** : एक तरफ तो कहा जाता है कि इसको राजनैतिक रूप न दिया जाय जब कि दूसरी तरफ सरकार ही कहती है कि साम्यवादियों का हाथ था। किसी भी राजनैतिक दल का हाथ क्यों न हो उस पर बच्चों को पीटा जाय। केवल असत्य तथ्य रख कर हाउस को गुमराह किया जाता है। मैं इसके विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री दौलतराम सारण द्वारा सदन से बहिर्गमन)

**श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : मैं भी अपने दल के साथ इसके विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(स्वतन्त्र दल के सदस्यों का बहिर्गमन)

**श्री उपाध्यक्ष** : बहिर्गमन करना हो तो आप जा सकते हैं। इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : मंत्री महोदय ने जो ववतव्य दिया है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहां बच्चों के साथ मारपीट की गई। हम सरकार के इस तानाशाही रुख के कारण सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

**श्री उपाध्यक्ष** : आज की कार्य सूची में थोडा परिवर्तन किया गया है कल अनुदान की मांगों पर विचार हो रहा था आज उसके अलावा कुछ कार्य और लेना है जिसको बाद में लिया जायगा। पहले अधिक अनुदानों की मांगों पर विचार होगा।

इसमें 4।। बजे ··

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : टाइम फिक्स कर दिया जावे। बच जावे तो गुलेटिन लगा दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: 4। बजे से सरकार की ओर से उत्तर हो जावे और 4।। बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जावेगा।

**श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): अभी तो मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

**श्री उपाध्यक्ष**: उसके लिये बाद में देखेंगे।

श्री कृषि मन्त्रीजी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कल मैडिकल छात्रों के बारे में मीटिंग बुलाई थी अध्यक्ष महोदय ने और वहां पर प्रिन्सिपल साहब और हम लोगों को भी बुलाया गया था, मन्त्री मण्डल के सदस्य भी उपस्थित थे। आपस में बातचीत हुई थी और फिर गवर्नमेन्ट की तरफ से कहा गया था कि हम निर्णय फिर देंगे। विद्यार्थी कई रोज से हड़ताल पर हैं वे आज भी सुबह से यहां बैठे हैं और इन्तजार में हैं कि हमें क्या उत्तर मिलता है। क्या निर्णय गवर्नमेन्ट ने लिया। मैं इस बारे में भी जाना चाहूंगा कि कल की बात का क्या निर्णय लिया है?

विद्यार्थियों की मांग थी कि तीन चान्सेज मिलने चाहिये और यूनीवर्सिटी ने जो नियम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बनाये वे उनसे विपरीत हैं। इस बारे में सूचित किया जावे ताकि इन्तजारी समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : थोडे समय पहले तक तो विचार विमर्श चल रहा था। इसके बाद से तो मैं सदन में हूं। इसलिये कह नहीं सकता। मन्त्रीजी को कहना हो तो।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : निश्चित तौर से कहा जावे कि कब उत्तर दिया जावेगा स्वास्थ्य मन्त्री यहां हैं नहीं।

श्री **उपाध्यक्ष** : वे अभी अभी गये हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : अभी जवाब देते हैं तसल्ली रक्खो।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : काफी देर लग गई इन्तजार में।

श्री **लादूराम मुलानिया** : गंगासहाय जी का एक अलग सूचना प्रश्न है। लिखित उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री हरिवल्लभ **शर्मा** : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। फिर उसे कल के लिये रक्खा जावे।

श्री **उपाध्यक्ष** : दुबारा कार्य सूची में कब आवेगा इस वक्त मैं नहीं कह सकता। कार्यालय द्वारा नियमानुसार देखकर आपको सूचित किया जावेगा।

श्री ह**रिवल्लभ शर्मा** : बडा महत्वपूर्ण सवाल था, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें।

**श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगों 1967-68 पर विचार एवं मतदान**

श्री **शोभाराम** (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 31 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 68 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,92,000 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे। मैं मांग संख्या 39...

श्री **भैरोंसिंह** : कल डिबेट चल रही थी उसका क्या हुआ?

श्री **उपाध्यक्ष** : इसके बाद समय बचा तो। नहीं तो आगे लिया जावेगा पर कटौती प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई है इसलिये पहले अनुपूरक मांगें ली जा रही हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : कटौती की डिबेट का जवाब तो पहले आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : पारित करावेंगे तब। पहले भूल कर रहे हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : पहले तो ऐसी परम्परा नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं हो पाये हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी मालूम पडा है एक्सैस डिमाण्ड के बाद में लेंगे। स्पीकर साहब के चेम्बर में फैसला हुआ। सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड को तो 30 तारीख से पहले पास करना पडता है। एक्सैस डिमाण्ड बाद में हो सकती हैं। पहले सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड ले ली जावे। एक्सैस की डिबेट बाद में चालू होगी।

श्री **पृथ्वीसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव लिये जावेंगे कि नहीं ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : अभी वह खतम नहीं हुए हैं।

श्री **पृथ्वीसिंह** : होगा या नहीं।

श्री **मथुरादास माथुर**: एजेण्डा में आवेंगे तब दे देंगे।

श्री **शोभाराम**: माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या 39 कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 68 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54 लाख 38 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(उपरोक्त मांगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

श्री **रामनारायण** : मेरा भी नाम है।

श्री **उपाध्यक्ष** : कार्यवाही चलती है उसका सवाल नहीं है। सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड में कटौती प्रस्ताव हैं वे प्रस्तुत किये जावेंगे। हरएक माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर पांच मिनिट तक बोलेंगे। 4। बजे तक सब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जावेंगे और 4। बजे से मन्त्री महोदय का उत्तर होगा और 4॥ बजे से मुखबन्द का प्रयोग किया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा! (अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार! (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह रावत ! (अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल ! (अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल !

(अल्प विराम के अनन्तर) शायद आपका नहीं है तो जाने दीजिये।

श्री रामनारायण !

श्री **रामकिशन**: गिरधारीलाल जी को भोजन का निमन्त्रण दिया गया है।

श्री **रामनारायण** (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 31 कृषि में भूमि जल मण्डल द्वारा कोई कार्य झुंझुनूं जिले में नहीं किये जाने के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भूमि जल मण्डल को बने कई वर्ष हो गये हैं। दूसरी जगह पर इसने उपयोगी काम भी किया है ऐसा हमें मालूम हुआ है पर झुंझुनूं जिला इस मण्डल के कामों से अभी तक पूर्णतः वंचित रहा है।

मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी बिसाऊ में अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में लोगों ने रुपया जमा कराया। दो दो वर्ष हो गये इसे पर अभी तक उनको इस सेवा सुविधा से वंचित रखा गया है। मैंने स्वयं ने इस संबंध में चेष्टायें की हैं और कृषि मंत्री महोदय का ध्यान समय समय पर आकर्षित करता रहा हूं लेकिन कोई उसमें प्रगति नहीं हुई। दो पार्टियों के रुपये एडवान्स में इस आश्वासन के साथ जमा करवाये गये थे कि हमें यह सुविधायें प्राप्त होंगी और झुंझुनूं जिले के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। दूसरी और कोई सुविधा प्राप्त नहीं है सिर्फ कुओं से ही सिंचाई का काम होता है। कुओं में पानी की कमी होने की वजह से किसान

(श्री रामनारायण)

परेशान हैं और अपने कुओं को गहरा करवाना चाहते हैं। हमें बिजली की सहायता से कुए चलाने पड़ते हैं और बिजली मिल जाने के बाद भी कुओं में पानी कम होने की वजह से और पूरा पानी नहीं मिलने की वजह से खड़ी खेती जल जाती है और दूसरे आदमी जो स्वयं साधन सम्पन्न हैं वह भी नये कुए बनवा कर सिंचाई का काम करवाना चाहते हैं लेकिन सिंचाई का काम कुओं से इसलिए करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि कुओं में पानी गहरा नहीं है और राज्य सरकार की तरफ से, इस अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की तरफ से कुओं को गहरा करने से कोई लाभ नहीं मिल सका है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के कार्यों को झुंझुनूं जिले के लिए एक्सटेन्ड करने की कोशिश करें और मेरे क्षेत्र बिसाऊ में जिन लोगों ने एडवान्स में रुपया जमा करा रखा है उनको इस फेसेलिटी से वंचित न रखकर उनको करवाने की कोशिश करें, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (अनुपस्थित)]

श्री हरजीराम बुरड़क। (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं भी इस मांग पर एक कटौती का प्रस्ताव रख कर जिला जालोर में अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड है, उसके द्वारा जो कार्य हुए हैं उन कार्यों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिला जालोर में अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के जरिए कुछ काम जरूर हुए हैं परन्तु बागोडा के क्षेत्र में और दूसरी जगह अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा कई जगह कुए बनाये गये लेकिन उनको वैसे ही अधूरा छोड दिया गया इस बारे में माननीय उपाध्यक्ष जी, इस अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा हजारों रुपयों का काम एक्सपेरीमेन्ट बेसिस पर करने के बाद भी न तो पीने के लिए पानी है और न सिंचाई के लिए पानी है। इसलिए मैं इस बारे में आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो एक्सपेरीमेन्ट बेसिस पर वाटर के जो बहुत ज्यादा सोर्सेस मिले हैं उन कुओं को वैसे ही छोड दिया गया है वे वैसे ही पडे हुए हैं और यदि उनको वैसे ही पडा रखा तो वे बेकार हो जायेंगे और जो खर्चा उन पर हुआ है वह भी बेकार चला जायेगा इसलिए जैसे जैसे काम हुए हैं उन कुओं को कमीशन नहीं किया जा रहा है और उनमें जो पानी निकला है विशेषकर बागोडा एरिया में उनको सरकार शीघ्रातिशीघ्र पूरा करे ताकि उनको काम में लाया जाये। क्योंकि जालोर जिला कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यह ऐसा जिला है जहां से अनाज सारे जोधपुर डिवीजन में और राजस्थान भर में उस जिले से पहुंचता है। इस समय में भी उस जिले में अनाज के सबसे कम भाव हैं। इस चीज को देखते हुये इस अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने जो कार्य किये हैं, जहां सिंचाई के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां पर इस बोर्ड के द्वारा पानी के जो सोर्सेस निकाले गये हैं उनको काम में लाया जावे और इस बारे में जो कई अर्से से कूडा के अन्दर पानी का सोर्स निकला है, सरनाऊ में भी निकला है लेकिन वह कुए बिलकुल बेकार पड़े

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
हैं क्योंकि वे काम में नहीं आते हैं इसलिए सरकार की तरफ से एक योजना बनाने की आवश्यकता है। जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में करीब 250 ट्यूबवैल्स का जो सरकार का टारगेट है उनके ऊपर सरकार योजना बना कर चले लेकिन इस बारे में एक्सपेरीमेन्ट बेसिस पर मालूम पड़ता है पानी बहुत नीचे में है और जो इलाका रेतीला है या जहां दूसरे सिंचाई के साधन नहीं हैं इस बोर्ड के जरिये पानी के सोर्सेज़ का पता लगा है वहां जमीन बहुत उपजाऊ है और पानी का सबसे ज्यादा डिस्चार्ज बागोडा में निकला है तो उन कुओं के लिए कृषि मंत्री जी जल्दी से जल्दी स्कीम बनाकर उस पानी को काम में लायें और सांचोर के इलाके में और दूसरे इलाकों में पीने के पानी की बड़ी विकट स्थिति है तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए और पानी बेसी बचे तो उसको सिंचाई के काम में राज्य सरकार ले और भविष्य में जो स्कीम बने उसमें इन कुओं को काम में लाया जाये और बचा हुआ पानी कृषि उत्पादन के लिए काम में लाया जाये। अगर यह काम में नहीं लाये जाते हैं तो राज्य सरकार का धन का खर्चा होता है और वह पैसा भी बेकार जाता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो इस बारे में कमियां हैं और भविष्य में जो कार्य हों और जहां पानी नहीं है वहां बोरिंग कराया जाये और जो बोरिंग कराया हुआ है और कुए बेकार पड़े हैं जिनके पानी को काम में नहीं लाया जा रहा है उनके लिए एक योजना बनाई जाये और उस पानी को काम में लाया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री जुझारसिंह (अनुपस्थित)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी (अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया! (अनुपस्थित)

श्री भगवान दास शास्त्री!

(विराम)

5 मिनट का ही समय है। मालूम नहीं हो तो दूसरे माननीय सदस्य को पुकारूं।

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव पेश किया है। अन्वेषण और कृषि उन्नति में जितने कार्य किये जाते हैं जहां तक राज्य का प्रश्न है समय समय पर घोषणायें तो बहुत जोरों से की जाती हैं, परन्तु उनको कार्यान्वित करने के लिए हमारे सामने कोई भी योजना नियमबद्ध नहीं है। नियमानुकूल योजना से ही कार्य सिद्ध हो सकते हैं। वास्तविकता विशेषकर यह है कि जिस अनुपात में या कार्य में, जिस नीति और जिस विधि या जो सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होती है या उन योजनाओं में कृषि को महत्व विशेष दिया जाता है तो अन्वेषण और कृषि में कृषि वगैरह की जो सुविधायें हैं हमेशा अपने राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले में बिल्कुल कम रही हैं जिसके फलस्वरूप विगत 4 वर्षों में जो अकाल की स्थिति बनी। अकाल की स्थिति के कारण हम दूसरे जिलों की तरफ, प्रान्तों की तरफ, सेन्टर की तरफ और विदेशों की तरफ यह देखने लगे कि कौन सा दिन आये जो हमें सहायता प्राप्त हो। तो, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भगवानदास शास्त्री)

उन्नतिशील और कृषिप्रधान इस देश के लिए विशेष रूप से मैं अपनी मांग रखता हूं कि जो भी कार्य हो चाहे वह कार्य अपनी स्थिति के अनुसार सुचारु रूप में हो। चूंकि कृषिप्रधान भारत देश है जिस जमीन में बालू हो या गड्ढे पड़े हों वह कार्य सुचारु रूप से योजनाबद्ध तरीके से काम में लाये जायें। उन कार्यों का जहां तक भूमि से प्रश्न है राजनैतिक क्षेत्रों में किसी को कोई चिन्ता नहीं है। जहां अपने कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो मशीनरी है वह विशेष रूप से उसको नहीं देखते हुए अपना राज्य किस प्रकार से प्रगति कर सकता है किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं विशेष रूपसे इस कृषि के बारे में यह कहना चाहता हूं कि घर बैठे या आफिस में बैठे हुए, या बंगले में बैठे या एयर कन्डीशन में अपने आफिस में बैठकर कागजी कार्यवाही से यह कार्य नहीं हो सकता। इस कृषिप्रधान भारत में जो पिछड़ा हुआ यह राजस्थान है उसमें विशेष रूप से जो कुछ पैसा लगाया जाता है मेरी ऐसी मान्यता है कि वह घर में बैठकर या आफिस में बैठकर जो कागजी कार्यवाही की जाती है उसके मैं बिल्कुल विरोध में हूं लेकिन मैं यह कट-मोशन लाया हूं वह इसलिए लाया हूं कि साइट पर जाकर जो निपुण हैं जो इस कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से समझ सकते हैं वे ही इसमें कर्मचारी हों चाहे राजनैतिक क्षेत्र में सेवाभाव से प्रचार करने वाले हैं, वे इसके प्रचार करने के साथ साथ क्रियान्वित करने के लिए साधना और शक्ति प्रदान करें। इतना ही कह कर मैं आपके समक्ष अपना कटमोशन का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): उपाध्यक्ष जी, अलवर जिले में सन् 1951–52 में कुछ ट्यूबवैल्स लगाये गये थे। एक ट्यूबवैल अलवर तहसील में चेकाना के पास है। वह चालू हालत में है लेकिन बन्द पड़ा हुआ है इतने वर्षों से, करीब 20 साल से और गवर्नमेंट का पैसा उसमें खर्च हुआ था। इसी तरह से एक गोटना गांव, तिजारा तहसील में है। वहां पर भी ट्यूबवैल बन्द पड़ा हुआ है। यह खुशकिस्मती है कि सरकार की नींद खुली है और वहां पर कुछ महीनों से एक इन्जिन फिट हुआ है। तीसरा ट्यूबवैल एक गांव रायका है वहां पर लगा हुआ है वह बन्द पड़ा हुआ है। चौथा ढाकी में है तिजारा तहसील में। इस तरह से ये सब ट्यूबवैल 20–20, 25–25 हजार रुपये की लागत से लगाये गये थे अलवर जिले में जब कि रिफ्यूजीज का रिहेबिलिटेशन हो रहा था गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने रिफ्यूजीज को बसाने के लिए एक प्रोटेक्शन लिया था, परन्तु उन पर आगे खर्च न किये जाने के कारण और सरकार की ऐसी नीति होने के कारण वे ऐसे ही पड़े रहे। अब बिजली भी आगई है और बिजली के लग जाने से सरकारी क्षेत्र में सरकार की तरफ से चालू किये जा सकते हैं और इस तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है और पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पता नहीं हमारी राजस्थान सरकार इस बारे में क्यों उदासीन है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन से महाराष्ट्र सरकार ने, मेरी जानकारी के अनुसार 47 करोड़ रुपया ट्यूबवैल्स वगैरह

# Page No. 82



(श्री रामानन्द अग्रवाल)
लगाने के लिए और कृषि के उत्पादन को तरक्की देने के लिए लिया है, परन्तु हमारी सरकार को एक भी पैसा नहीं मिला है। हमारी सरकार की वहां केन्द्र में साख नहीं है या वह यह समझती है कि यह तो हमारी ही देन है जनता में इनकी साख नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है, या आज तक वहां पर एप्रोच नहीं किया गया यह तो सरकार बतायेगी, परन्तु यह स्थिति बहुत ही शोचनीय है। इसलिए मैं यह अपना कटमोशन मूव करता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री देवीदत्त गाडिया।

**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): माननीय उपाध्यक्ष मैं मंत्रीजी का ध्यान कोटा जिले के अन्दर कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा जिले के अन्दर खाद और बीज वितरण के नाम पर जो सरकार का पैसा खर्च हुआ है वह इस प्रकार से हुआ जिसके कारण से किसानों को समय पर न खाद मिल पाया और न बीज मिला, और उसके अन्दर भी काफी अनियमितताएं हुई हैं। किसानों से बीज का पैसा अधिक वसूल किया गया है।

इसके साथ–साथ कोटा जिले के अन्दर जो चम्बल की नहर है उस नहर के अन्दर उस क्षेत्र के किसान आज गन्ने की खेती करना चाहते हैं, लेकिन चम्बल का पानी मिलने के आश्वासन नहीं मिलने के कारण से कोटा जिले के अन्दर गत तीन वर्षों से गन्ने की पैदावार होना बन्द होगई। कोटा जिले के अन्दर जो सहकारिता के आधार पर जो गुड़ और खण्डसारी के सहकारी कारखाने थे वे बन्द पड़े हुए हैं। आज कोटा जिले का और विशेष रूप से अन्ता, मांगरौल लाडपुरा और इटावा के किसान कम से कम 20 हजार बीघा जमीन के अन्दर गन्ने की खेती करना चाहते हैं, लेकिन···

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपके पास कटमोशन्स नहीं होंगे मैं पढ़कर सुना दूं आप कटमोशन पर ही बोलें। आपका कटमोशन जो है वह इस बारे में है, सार्वजनिक सड़कों के निर्माण में पूरा पैसा नहीं लगाने पर चर्चा के लिए है और जो दूसरा है वह कोटा जिले के भू–संरक्षण विभाग द्वारा···

**श्री देवीदत्त गाडिया** : ये विशेष मुद्दे थे इसलिए मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसका समय जा रहा है।

अब जहां तक कोटा जिले के अन्दर भूमि कटाव को रोकने के लिए और किसानों के खेतों के लेवलिंग करने के लिए और विशेष रूप से बारां क्षेत्र के अन्दर हमारी सरकार ने जो लाखों रुपया खर्च किया है वह इस प्रकार से खर्च किया है कि किसानों के खेतों की लेवलिंग नहीं हुई और खेतों के किनारे रोड के पास पास जो सरकार के भू-संरक्षण विभाग ने जो डोलियां बनाई हैं और उसके कारण से जो उनके पास में नालियां बनवाई हैं उसके कारण से किसानों की जो जमीन है वह बेकार हो गई है और किसानों के खेतों में इस प्रकार से पानी भरा रहता है कि उससे कटाव और अधिक हो गया है और सरकार का पैसा भी खर्च हो गया। इसलिए मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इस चीज की जांच करवाई जाय कि सरकार का

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
पैसा बेकार गया और किसानों के सामने समस्या खड़ी हुई है।

इसके बाद एक बात और है कि कोटा जिले के अन्दर सरकार द्वारा जो फार्म चलाये जा रहे हैं उन फार्मों पर अब तक लाखों रुपया खर्च हो गया लेकिन प्रति वर्ष इन फार्मों के अन्दर जो कोटा और सुलतानपुरा में है कृषि विभाग को हजारों रुपयों का नुकसान होता है। हजारों बीघा जमीन उनके नीचे है और पैदावार का क्या होता है, कहां जाती है, यह नुकसान क्यों हो रहा है? सरकारी फार्मों में जो बीज पैदा किया जाता है वह बीज ठीक नहीं होता है और किसानों को उस बीज से कोई लाभ नहीं हो पाता इसलिए मैं मंत्रीजी का ध्यान इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 39 पर एक कटौती प्रस्ताव दिया है। इसमें कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय। तो इस कार्य के लिए जो मशीनें खरीद की गई हैं और इन मशीनों के बारे में जो धनराशि खर्च की गई है और इस पर 50 प्रतिशत भारत सरकार से भी अनुदान के रूप में रकम मिली है, लेकिन इन मशीनों का सही तरीके से रुपया आम लोगों के उपयोग के लिए नहीं किया जाकर इनका दुरुपयोग किया जाता है, और बजट के बाद फिर इन मांगों को मन्जूर करवाने के लिए यह बिल पेश किया जाता है। इस तरह से इस धन का बडा ही दुरुपयोग होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसकी विशेष रूप से जांच करवाई जानी चाहिए कि वार्क में यह जो रुपया खर्च हुआ है यह सही तरीके से हुआ है या गलत तरीके से किया जाता है, क्योंकि वक्त वक्त पर इसकी आडिट रिपोर्ट जो जारी की जाती है उनके अन्दर आक्षेप उठाये जाते हैं लेकिन राज्य सरकार का ध्यान इस ओर कतई नहीं जाता इसलिये मैं कटोती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये जो धन खर्च किया गया है और जो मशीनें खरीदी गई हैं उनका सही उपयोग नहीं हुआ है। और इसमें बडी धांधल बाजी हुई है। इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की मांग स्वीकार नहीं की जायें क्योंकि सरकार की एक प्रकार की आदत सी बन गई है कि बाद में मांगें मंजूर करवाई जाती हैं। बजट के समय तो इस रकम को पास नहीं करवाया जाता और बाद में रकम इधर उधर से उठाकर खर्च कर दी जाती है और बाद में मांग सही रूप से न रख कर गलततौर पर पास करा कर धन का दुरुपयोग किया जाता है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संबंध में जितने रुपये खर्च किये गये हैं वह बहुत ही ज्यादा है और राजस्थान भर में इन मशीनों का उपयोग भी नहीं हुआ है, खास करके बीकानेर डिविजन में इन मशीनों का उपयोग नहीं हुआ और इन पर जो धन खर्च किया गया है उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार का जो खर्चा किया जाता है।

(3.53 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वह अत्यधिक है और उस पर सरकार द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती है। मनमाने ढंग से विभागाध्यक्ष इसका दुरुपयोग करते हैं और बाद में बडी तादाद में पैसा खर्च कर देते हैं इसलिये इसको पास नहीं किया जाय। इस प्रकार की मांगों के पीछे राजस्थान में बडे बडे घोटाले हुए हैं और आये दिन घोटाले होते जाते हैं क्योंकि सरकार कभी पीछे की तरफ देखती ही नहीं है, आगे देखती है और इस कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। आज तक इसकी जांच किसी ने नहीं की है। जो ऑडिट ओब्जेक्शन आते हैं उन पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है इसलिये मैं इस पर आपत्ति प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसकी सही तरीके से जांच करवाई जाय और इस मांग को मंजूर नहीं किया जाय। यह धन गलत तरीके से खर्च किया है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि कितनी मशीनें कब खरीदी गईं, रुपये कहां खर्च किये। इसलिये मैं इस मांग पर आपत्ति करता हुआ कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जितने रुपये खर्च हुए हैं उनसे आधे से अधिक रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। इस तरह से गलत तरीके से खर्चा किया जाता रहेगा और सदन से पास होता रहेगा तो यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रिपोर्ट सदन के पटल पर आनी चाहिये कि किन किन इलाकों में कितनी कितनी मशीनें खरीदी गईं और किन कार्यों में उनका उपयोग किया गया है जिससे पता चल सके कि सही उपयोग हुआ है या नहीं। यह साफ नहीं है कि कौनसी मशीन कौनसे इलाके में काम में ली गई है। हमें इसकी जानकारी नहीं है इसलिये जानकारी करनी चाहिये। जो रुपये खर्च किये गये हैं उनकी पूरी जांच करने के बाद इस अतिरिक्त मांग को मंजूर किया जाय। अन्यथा इससे सारे पिछले घोटालों पर पर्दा पड जाता है और उसकी जांच नहीं होती। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो रुपये खर्च किये गये हैं वे गलत खर्च किये गये हैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं और कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : कृषि मंत्रीजी।

श्री हुराभाई (कुशलगढ) : सभापति महोदय, इस पर मैं भी थोडा बोलना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो कृषि के बारे में सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड पास करवा रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार का जो रवैया है उस पर सरकार का ध्यान मैं आपकी मार्फत आकर्षित करूंगा।

एक तरफ तो हम कृषि को ज्यादा बढ़ावा देने की हमेशा दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ ऐसे हथकंडे काम में लिये जाते हैं जिनके बारे में कह नहीं सकता। हमारे बांसवाड़े में माही बांध का निर्माण कर दिया। जब जब चुनाव आता है तब तब माही बांध पर छोटा मोटा काम शुरू करके लोगों को खुश कर देते हैं और बाद में घाटा बताकर काम बंद कर देते हैं। माही बांध का जो कमान्ड एरिया घोषित किया है उसमें पहले बहुत से लोग खेती कर रहे थे और देश के लिये ज्यादा अन्न उत्पन्न करने के लिये खेती जो लोग अब भी कर रहे हैं उन पर कई गुणा अर्थात् 16 से 20 गुणा तक जो मर्जी आवे उस तरह का

(श्री हीराभाई)

जुर्माना कर देते हैं। उन पर अतिक्रमण का आरोप लगा कर उनसे पेनल्टी वसूल की जा रही है और खेती को बर्बाद किया जाता है। यह सब इसलिये किया जाता है कि माही कमान्ड एरिया घोषित कर दिया इसलिये उसमें खेती नहीं कर सकते। उनको यह कहा जाता है कि यदि किसी ने इस कमान्ड एरिया में खेती की है तो उस खेती को उजाड दिया जायगा। ऐसे किसानों की खेती को उजाडा ही नहीं जाता बल्कि उनसे 16 गुणा या 20 गुणा पेनल्टी भी वसूल करली जाती है और अनाज की कीमत भी काश्तकारों से वसूल की जाती है। यदि यह ऐसे ही होता रहेगा तो देश का निर्माण खतरे में पड जायगा।

बांसवाडा जिले में पहले सैटलमेन्ट नहीं हुआ था। सैटलमेन्ट होने के बाद गवर्नमेन्ट का आदेश था कि जहां पर चरागाह की मांग है वहां एक गांव में एक हजार मवेशी हैं तो 500 बीघा जमीन प्रत्येक गांव में चरागाह के लिये निश्चित् की जायगी और वह जमीन पंचायतों के सुपुर्द करदी जायगी। हमारे वहां पर न तो सैटलमेन्ट ओफिसर ने और न पटवारी ने यह देखा कि किसी गांव में चरागाह है या नहीं और वहां पर जमीन चरागाह के काबिल है या नहीं यह देखे बिना ही सरकार को राजी रखने के लिये सिर्फ यह तय कर दिया कि हर एक गांव में 500 बीघा जमीन चरागाह के लिये पंचायत के सुपुर्द करदो चाहे उस जमीन में खेती होती हो। जिस जमीन में किसानों ने खेती की है और जिनको अन्नदाता के नाम से बढ़ावा देना चाहते हैं उनके खेतों को चरागाह के नाम से जब्त किया जा रहा है और किसानों से कीमत वसूल की जाती है और उसके साथ साथ 20 गुणा पैनल्टी वसूल की जाती है। पैनल्टी जमीन की किस्म के आधार पर वसूल नहीं की जाती, यह दुख का विषय है। जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जमीन है उसकी उपज को बीस-बीस गुणा पैनल्टी के तौर पर एक एक आदमी से वसूल किया जा रहा है। इस तरह से यदि होता रहा तो हमारे देश के लिये यह बहुत ही बुरी चीज होगी और अन्न का उत्पादन करने वाले लोग आन्दोलन लेकर आयेंगे और रोटी मांगेंगे। और जगह पर चरागाह की मांग है उसी तरह से हमारे यहां पर भी है लेकिन चरागाह मवेशी के चरने लायक स्थान पर नहीं बने हैं। कहीं पडत जमीन है, कहीं खड्डा है, कहीं नदी के किनारे पर 5 बीघा का टुकडा है।

(4 म. प.)

वह चरागाह में शुमार करके उससे किसानों को रोज-रोज परेशान किया जा रहा है। इस कारण उन लोगों की जमीन जायदाद को नीलाम किया जा रहा है। जो कुछ थोडी बहुत उनके पास जमीन जायदाद है, वैसे वह भूमिहीन हैं, उस जमीन जायदाद को भी नीलाम किया जा रहा है, उनकी फसल को नीलाम किया जा रहा है और जब्त किया जा सकता है। इसलिए चरागाह को एक तरफ किया जाय और किसानों को इस प्रकार से बेदखल नहीं किया जाय। इसके अलावा जो पैनल्टी है, जो जुर्माना है वह वसूल किया जा रहा है, उसको माफ करके वहां एक सर्वे कराया जाय। मैं नहीं कहता कि वहां चरागाह नहीं होने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि चरागाह होने चाहिए, लेकिन उसके लिए

(श्री हीराभाई)

नये ढंग से सर्वे कराके चरागाह को कायम किया जाय। वहां के लोगों की मांग है कि जो एक-आध बीघा में खेती करते हैं ऐसे लोगों पर जुर्माना माफ किया जाय और जो काबिल काश्त जमीन है वह उनको दी जाय। आज जो जमीन काबिले काश्त है वह जमीन जंगल में है, उस पर लोग कई वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन जब सैटलमेन्ट हुआ तो लोगों को पता नहीं चला कि सैटलमेन्ट के कारण उनकी जमीन उधर चली गई है। वह उस पर काश्त करते रहे तो उसके कारण कई लोगों पर मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं और उनको जेलों में भेजा जा रहा है और इस तरह से उनसे कई गुना राशि वसूल की जा रही है। उन लोगों ने जमीन पर अनधिकृत कब्जा नहीं किया है। अगर किसी ने अनधिकृत कब्जा किया है तो वह जंगलात वालों ने किया है। किसानों से बिना पूछे सैटलमेन्ट कर दिया जाय, उसके कोई नोटिस उनके पास तक नहीं पहुंचाये और नोटिस प्लेटफार्म या चौराहे पर, लगा दिये, हर किसान को उसकी सूचना नहीं की कि यह जंगल की जगह है, चरागाह की जगह है। और इसी तरह से सरकारी पडत जमीन पर पैनल्टी वसूली की जा रही है। यह तीन बातें मैंने आपको कही हैं। मेरा निवेदन है कि जो माही कमान्ड एरिया है, वह जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक वह बनेगा नहीं। माही बंधे का जो पैसा था उसमें से गत चुनावों में दस लाख रुपया खर्च कर दिया और उस आधार पर वह माही का बांध स्थगित कर दिया गया। तो जब तक सुखाडिया सरकार रहेगी तब तक वह बनने वाला नहीं है। सुखाडिया सरकार माही बांध को तो बना नहीं रही है, लेकिन कडाना बांध बना कर लोगों की जमीन को डुबाने की योजना शुरू कर दी है गुजरात को सम्मिलित करके। इस तरह लोगों के खेतों को बरबाद किया जायगा, खेतों में ज्यादा उत्पादन करने का लोगों का इससे उत्साह गिरेगा और इससे देश में भुखमरी होगी और देश भिखमंगा हो जायगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन बातों की ओर मैं कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो लोगों की जमीन जंगलों में चली गई है, चरागाह में चली गई है, उसके बारे में विचार करें, और माही कमाण्ड एरिया के बारे में विचार करें, साथ ही जिन लोगों पर मुकदमें बनाये हैं और पैनल्टी और जुर्माना किया है वह वापिस लिया जाय। और माकूल जांच की जा कर फिर से लोगों को जमीन एलॉट कर दी जाय ताकि खेतों में अधिक उत्पादन करके वह सरकार को सहयोग दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई है वह कहना चाहता हूं, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता।

श्री सभापति: श्री नाथूराम। वैसे इस मांग पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

कई माननीय सदस्य: बोल सकते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: प्रस्ताव मेरा है मैं थोडी देर के लिए बाहर चला गया था। मुझे खास बात नहीं कहनी है

सभापति महोदय, भूमि जल मण्डल में किस तरह से काम होता है, क्या व्यवस्था हो रही है, किस तरह से फिजूल खर्ची होती है इसको वही जान सकता है जिसको पानी

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

की जरूरत होती है। इस समस्या का सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इलाज किया है, ट्यूबवेल्स खुदवाये हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिले और खेती के लिए भी पानी मिल जाय। मैं पानी की कमी वाले इलाके का रहने वाला हूं इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने जो ट्यूबवेल्स तैयार किये हैं, इधर किये हैं या उधर किये हैं उनमें व्यवस्था कैसी है। आपने बीमारी का इलाज ठीक किया है, वैद्य भी ठीक है लेकिन अव्यवस्था यह है कि किन्हीं ट्यूबवेल्स पर जो इंजिन लगे हुए हैं, वह चालू नहीं हैं। जैसलमेर के इलाके में 27 ट्यूबवेल्स हैं जो इस कारण से चालू नहीं हैं, बीकानेर के आस पास भी जो ट्यूबवेल्स हैं वह चालू नहीं हैं। उन पर आपने चोकीदार रख रखा है उसका खर्च अलग से लगता है। तो इस प्रकार जो आपने ट्यूबवेल्स खुदवाये हैं और वह चालू नहीं हो तो वह वैसा ही है जैसे अलमारी में पड़ा हुआ धन होता है। केवल नलों को देख कर लोगों की प्यास नहीं बुझती है। लोगों की प्यास तो तब ही बुझेगी जब पानी आयेगा। आपने एक एक ट्यूबवेल्स खोद कर तो लोगों को तमाशा दिखाया है, कि यह देखो यह ट्यूबवेल आ गया तो लोगों को नमूना और तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इनको अच्छी तरह से चलाने की जरूरत है। इसके साथ मेरा निवेदन है कि आपने उन इलाकों में करोड़ों रुपया लगाया है जिन इलाकों में पानी की कमी नहीं है। उन इलाकों में करोड़ों रुपया आप खर्च कर सकते हैं लेकिन जो ऐसे इलाके हैं जहां पानी के लिए बीस-बीस मील दूर जाना पड़ता है, जहां पर पानी काफी है और बीस, चालीस हजार गैलन एक एक कुए में से एक घंटे में निकलता है, वहां पर बीस बाईस करोड़ की स्कीम बना कर चालू करवा दीजिये तो मैं समझता हूं कि उस बीस करोड की स्कीम को क्रियान्वित करने के बाद कभी भी बीकानेर में अकाल नहीं पड़ेगा . . .

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : सुरक्षा की सड़कें भी नहीं बनी हैं अभी तक।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : मैं एक बात कहता हूं कि बीच में बोलने वाले वह हैं जिनके दिल में दर्द नहीं है, जो भूखे नहीं हैं जिनके यहां अकाल नहीं पड़ता है। ईश्वर न करे कि उनके इलाके में अकाल पड़े और उनको तकलीफ हो। लेकिन मैं उस इलाके की बात कहता हूं कि जिस जगह पीने का पानी नहीं मिलता है और सरकार को वहां ट्रकों से पानी पहुंचाना पड़ता है। हमें बड़ी शर्म आती है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी पानी ट्रकों से पहुंचाना पड़ता है। मुझे अर्ज करना है, मैंने सरकार से पहले भी निवेदन किया है कि बीकानेर जिले में ढाई हजार ट्यूबवेल्स लगवाये जायें, बड़ी तादाद में वहां काम किया जाय, और कृषि मंत्री जी इस काम को देखें तो उन्हें बाद में मालूम पड़ेगा कि कृषि मंत्री जी ने राजस्थान के किसी इलाके में काम किया है, उनको मालूम होगा कि कितना बढ़िया काम किया है। जो वहां पर ट्यूबवेल्स खोदे गये हैं इनको चालू रखा जाय। इस इलाके में पानी काफी है। आज राजस्थान के इस इलाके को रेगिस्तानी इलाका कहते हैं यह रेगिस्तान तभी मिटेगा जब कि यहां पर ट्यूब वेल्स खोदे जायेंगे और उनको चालू रखेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत ज्यादा तादाद में ट्यूबवेल्स खोदे जायं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि रेगिस्तानी इलाके से कुछ गांव दूर जाते हैं

श्री देवीदत्त गाडिया : मिलिट्री को भी पानी की कमी के कारण तकलीफ होती है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसके बाद थोडी दूर पर गंगानगर का इलाका है, जहां पर काफी पानी है और काफी सरसब्ज इलाका है, वहां काफी खेती होती है । तो कृषि और पशु पालन के हिसाब से बीकानेर का इलाका काफी अच्छा माना जाता है

श्री देव दत्त गाडिया : मिलिट्री के हिसाब से भी ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं समझता हूं कि मिलिट्री को क्या दिक्कत है । लेकिन आप बीच में न बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा । नहीं तो हम एकदम बोलना बन्द कर देंगे और आप बोल नहीं सकेंगे ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मिलिट्री के लोगों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम होना चाहिए ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा निवेदन है कि बीकानेर में बहुत अर्से पहले से वेटरनरी कालेज चल रहा है । हमारे प्रान्त में यह एक ही वेटरनरी कालेज है । वेटरनरी कालेज के वाद में हम बीकानेर के लोग यह आशा लगा कर बैठे थे कि वेटरनरी कालेज, और कृषि कालेज होगा और कृषि यूनिवर्सिटी भी वहीं होगी । लेकिन कृषि यूनिवर्सिटी बीकानेर में नहीं खोल कर उदयपुर में खोली है । और और हमें डराया जाता है, वहां के अधिकारी कहते हैं कि यहां से वेटरनरी कालेज भी उठेगा । मैं निवेदन कर रहा हूं कि बीकानेर में कृषि यूनीवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि गंगानगर के इलाके में जितना प्रोडक्शन होता है उतना दूसरी जगह नहीं होता और पशु-पालन के मामले में भी गंगानगर, चूरू, बाडमेर, बीकानेर और जैसलमेर ऐसा इलाका है, जहां पर पशु बहुत अच्छी नस्ल के हैं । तो बीकानेर ऐसी जगह हैं जहां पर दोनों चीजें मिलती हैं । तो जहां पर दोनों हैं, कृषि और पशु-पालन तो वहां पर विश्वविद्यालय भी होना चाहिए । लेकिन कृषि यूनीवर्सिटी उदयपुर में है । तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यूनीवर्सिटी वहां है लेकिन बीकानेर से वेटरनरी कालेज नहीं हटना चाहिए । वहां के प्रिन्सिपल ने लोगों को और लडकों से कहा है कि अगली साल एडमिशन नहीं किया जायगा क्योंकि सरकार का आदेश आया है कि अगली साल नहीं चलायेंगे । अब क्यों नहीं चलायेंगे क्योंकि इन्जीनियर्स को सरकार नौकरी नहीं दे पाती है । डाक्टरों को तो नौकरी दे पाते हैं लेकिन आपको पशुओं की परवाह नहीं है । आज मनुष्य को तो सब चीजें मिलती हैं लेकिन पशु-पालन के लिए इसकी जितनी आवश्यकता है उसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते । आज उदयपुर डिवीजन के अन्दर छोटी छोटी सी गायें हैं, आज उनके सुधार के लिए कितनी जरूरत है, इसी तरह से जो जयपुर इलाके के अन्दर पशु हैं इनके सुधार के लिए कितनी जरूरत है, तो यदि राजस्थान में जो पशु हैं, उनका सुधार करेंगे तो उससे राजस्थान को कमाई भी अच्छी होगी और राष्ट्र की उन्नति भी होगी । इसलिए पशुओं के लिए अच्छे डाक्टर्स और विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी । इसलिए आप इस वेटरनरी कालेज को

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

यथावत रखें। आप भले ही उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय की ओर ध्यान रखते रहें लेकिन आप बीकानेर को भी भूलिये मत। बीकानेर के लोगों का यह अधिकार है। वह इतने दिनों से नहीं कहते आये हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको खुद उनका ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान में जो मंत्री महोदय हैं वह केवल एक जगह के नहीं हैं। जिनको मिनिस्टर बनाया है, वह पूरे प्रान्त के हैं। इसलिए एक जगह तो लोगों को पानी से प्यासा मारें और दूसरी जगह पर बांध बनायें यह उचित नहीं है। वेटरनरी कालेज को जो हटाने की बात है, वह नहीं हटना चाहिए। आप कृषि यूनीवर्सिटी भले ही दूसरी जगह खोलें, लेकिन वहां पर वेटरनरी कालेज है वह राजस्थान के पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उसको बन्द करेंगे तो वहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि वेटरनरी कालेज जो है उस को उसी तरह कायम रखना चाहिए। साथ ही बीकानेर में ट्यूब वैल्स हजारों की तादाद में बनने चाहिए। बीकानेर में ढाई-तीन हजार ट्यूब वैल्स के लिए चार लाख पांच लाख एक साथ खर्च कर दें तो हर साल आपको अकाल राहत कार्य नहीं खोलने पड़ेंगे। मेरा कहना है कि आप ट्यूब-वैल्स खोद दें, भले ही वहां पर अकाल राहत कार्य बन्द कर दें। बीकानेर पानी चाहता है, भिक्षा नहीं। उसको आपकी सहायता लेने की जरूरत नहीं रहेगी। वहां के लोग याचक नहीं हैं, वहां पर पानी की जरूरत है। वह न करें और सहायता कार्य हों तो इस तरह के सहायता कार्यों को देख कर हमें शर्म आती है आप वहां ट्यूब वैल्स खोद दें। हमें सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप सहायता बन्द कर दें, हम भिक्षुक नहीं हैं। इस तरह आप हजारों ट्यूब वैल्स खुदवाने की व्यवस्था करते हैं तो कल से ही वहां सहायता कार्य बन्द कर दें। हमें नहीं चाहिए सहायता, हम भूखा मरना जानते हैं। लेकिन आप यह काम नहीं करते हैं इसलिए मजबूर होकर सहायता कार्यों में काम करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वहां पर ट्यूब वैल्स का ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम करवायें, इस वर्ष के बजट में से करवायें, इसलिए करवायें कि हर साल हजारों लाखों रुपया सहायता कार्यों में लगाते हैं, वह आपको खर्च करना पड़ता है।

**श्री मूलचन्द डागा** : सभापति महोदय मेरा एक कटौती प्रस्ताव था।

**श्री सभापति** : जब आपका नम्बर आया तब आप थे नहीं।

श्री नाथूराम।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बांसवाडा जिले में गये साल भयंकर दुष्काल था। सरकार ने दावा किया था कि हम अनाज ज्यादा पैदा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी वहां के गरीब आदिवासियों ने जहां पर नलों के थोड़े बहुत पानी का सहारा था, जहां तालाबों में पानी का सहारा था, उसके द्वारा जहां कहीं भी उन्हें तरी वाली जमीन मिली वहां पर अनाज पैदा किया। इसके अलावा कहीं पर नोतोड़ जमीन को खडा और चौमासे के दिनों में उस पर फसल पैदा की। लेकिन हुआ यह कि जिन्होंने भयंकर दुष्काल में अनाज पैदा किया था उन गरीब आदिवासियों की सरकार ने फसल जब्त की और लगान बीस

(श्री नाथूराम)

बीस गुना, कहीं ज्यादा गुना उनसे वसूल कर लिया और उनकी फसल भी जब्त कर ली । माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि एक तरफ सरकार कहती है कि अधिक से अधिक अनाज पैदा करना चाहिए और दूसरी तरफ उन गरीब आदिवासियों की फसल जब्त की और उनको घरों में खाने को अनाज भी नहीं रहने दिया । यहां तक स्थिति आई कि उनकी जो छोटी-मोटी जायदाद थीं उनको भी उन्हें बेचना पडा । इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जहां एक तरफ हम कृषि उत्पादन की कोशिश

(4.12 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कर रहे हैं वहां सरकार दूसरी तरफ फसलों को जब्त कर रही है–यह कहां तक न्यायसंगत है । अगर कृषि उत्पादन के लिए हम अपनी मांग पेश कर रहे हैं तो सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया कि नौतोड जमीन पर जिनका 66 से कब्जा है उसको जायज कर दिया जायगा । लेकिन सरकार ने कानून पास कर दिया, फिर भी जो नौतोड जमीन किसानों ने खडी थी उसको 66 से जायज करार नहीं किया गया है और तहसीलदार ने इतनी सख्ती बरती है कि किसानों की जायदाद बेच कर और फसल को जब्त करके बीस बीस, तीस तीस गुना लगान उनसे वसूल किया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाडा और उदयपुर डिवीजन में जो पशुधन है, जो छोटी छोटी गायें हैं और छोटे छोटे बैल वगैरह हैं, इनकी दृष्टि से कृषि विभाग के द्वारा यह कोशिश होनी चाहिए कि वहां पर अनाज ज्यादा पैदा हो जिससे उनको चारा ज्यादा मिले । इससे पशु धन का भी सुधार होगा । इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर माही योजना थी । लेकिन उसको चालू नहीं किया जा रहा है । हमारे यहां हर साल दुष्काल होता है और उसके कारण फसल सूख जाती है । यह माही की योजना दस साल से लगातार चल रही है, लेकिन इस योजना के लिए भी तीसरे वर्ष कोई रकम नहीं रखी है । वहां पर दुष्काल के कारण फसल सूख जाती है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो माही योजना रखी गई है, उस योजना के लिए रकम रख कर उस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा कराना चाहिए । डूंगरपुर, बांसवाडा का दक्षिणी हिस्सा राजस्थान का है, वहां सोना उगलने वाली भूमि है लेकिन पानी की कमी है । अभी सुना कि कडाना डेम गुजरात में बनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी, हिस्से, बांसवाडा, डूंगरपुर, सागवाडा बागीडोरा गढी तहसील आदि तहसीलों की उपजाऊ जमीन को डुबाया जा रहा है । मैं निवेदन करता हूं कि जो सोना उगलने वाली भूमि है उसको कम से कम नहीं डुबायें और उस जमीन से ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिले यह कोशिश करनी चाहिए । माही की योजना शुरू कर दी जाय तो कडाना डेम में पानी जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में अन्न पैदा हो सकता है । मेरा निवेदन है कि इससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा पशुधन को सुधारने का

(श्री नाथूराम)
अवसर मिले इसलिए सरकार को निवेदन है कि उसे इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए ।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं एक मिनट ।

**श्री उपाध्यक्ष** : सवा चार बज चुके हैं ।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

पाली के लिए विशेषज्ञों की राय है, सबने कहा है कि पानी है पाली जिले के अन्दर । वहां आपने पैकेज प्रोग्राम लागू किया था और पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत जहां पानी था पाली के अन्दर, जगह जगह छोटी-मोटी नदियां हैं उनके आस पास ट्यूब वैल्स बनायें । नौहर का इलाका है, मेरे ख्याल में जो वहां जमीन है, पाली के आस पास जो इलाका है, वहां ट्यूब वैल्स को काम में लें तो पानी हो सकता है । मेरी समझ में पिछले तीन साल से बराबर अकाल पडता है, उसके कारण पैकेज प्रोग्राम फेल हुआ है, यह कोई कारण नहीं है । मैं कहता हूं कि इसके अन्दर काम करायें तो लोगों को बहुत फायदा हो सकता है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृषि मंत्री ।

**श्री शोभाराम** (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि ट्यूब वैल्स का खेती के लिए उपयोग हो, जो जल विभाग की तरफ से खोदे गये हैं उनके पानी का उपयोग हो, और जो मशीनरी वगैरह है, जो उपयोग में आती है उसका पूरा उपयोग हो और जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें किसी प्रकार से सुधार हो ताकि जो लक्ष्य रखे जायं उनकी पूर्ति हो सके । इन तमाम बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है । मैं थोड़े में, दो तीन हिस्सों में इन समस्याओं का निराकरण करना चाहता हूं । पहली बात तो ट्यूब वैल्स के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा—इसके भी दो अंग हैं एक तो वह ट्यूब वैल्स जो एक्स्प्लोरेटरी ट्यूब वैल्स संगठन की मार्फत राजस्थान के कुछ जिलों में कुछ जगहों पर खोदे जा रहे हैं मैं उनके सम्बन्ध में थोड़े में कहूंगा, जैसा माननीय सदस्यों ने, और खास तौर से विश्नोई जी ने कहा कि जालोर में जो ई. टी. ओ. की तरफ से ट्यूब वैल्स बनाये हैं । वह कामयाब हुए हैं लेकिन उनके पानी का उपयोग नहीं होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 250 ट्यूब वैल्स स्कीम में से करीब 177 ट्यूब वैल्स कामयाब या कायम हो चुके हैं । 112 तो ऐसे हैं जो कि हैन्ड-ओवर हो चुके हैं । अब इसके सिलसिले में जो सरकार सोचती है वह यह है कि जो ट्यूब वैल्स कामयाब हो गये हैं, इस ई. टी. ओ. के कार्यक्रम के अन्तर्गत वह तीन प्रकार के हैं एक तो वह जो सार्वजनिक पीने के पानी के काम में लाये जा सकते हैं, जो दो हजार गैलन के हैं जिनका खेती के लिए उपयोग नहीं हो सकता । कुछ ऐसे हैं, कोआपरेटिव विभाग को जिनको चलाने के लिए दे दिया गया है । कुछ पड़े हुये हैं । तो इसके लिए मैं सोचता हूं कि मैंने वहां के अधिकारियों को लिखा है । प्रत्येक ट्यूब वैल वाटर डिस्चार्ज की क्षमता, दस बारह घंटे चलने के बाद क्या है, और वहां के क्रोप पैटर्न को देखते हुए कितने एकरेज जमीन की सिंचाई कर सकते हैं । दूसरी तरफ यह प्रश्न है कि किसके द्वारा उन ट्यूब वैल्स को चलाया जाय आया पंचायत समिति के माध्यम से या एग्रीकल्चर

(श्री शोभाराम)

डिपार्टमेंट से, या राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से, या कोआपरेटिव सोसाइटी से। यह चार प्रकार के संगठन हैं। और कुछ ट्यूब वैल्स ऐसे हैं जो कि यद्यपि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट को दिये जा चुके हैं, जैसा कि अभी चार पांच दिन पहले प्रश्न आया था और सिंचाई मंत्री ने बताया था कि बीकानेर के अन्दर दो तीन ट्यूब वैल्स ऐसे हैं, जिनमें से जो कि लोकल पोपूलेशन को जितने पानी की जरूरत है उससे ज्यादा पानी निकाल सकता है। तो अतिरिक्त जो मात्रा है पानी की उसको कृषि उत्पादन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए किस तरह काम में लाया जाय। मैं यह कह सकता हूं कि सिंचाई विभाग और बिजली विभाग और कृषि विभाग—यह बैठ कर यह तय करें कि जो वाटर वर्क्स हेंड ओवर कर दिये गये हैं और वहां सरप्लस पानी की बाकई क्षमता है तो उसको कृषि उत्पादन के लिए किस ढंग से काम में लाया जाय। हमने यह सोचा है, यह मेग्जिमम प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ट्यूब वैल्स का हो, इसके लिये मैं मान कर चलता हूं कि इसके सम्बन्ध में पूरा चित्र जल्दी ही हमारे सामने आ सकेगा और उसका पूरा उपयोग हो सकेगा। दूसरा सम्बन्धित प्रश्न है कि डिपार्टमेंट की तरफ से ट्यूब वैल्स बोर कराने का कार्य चल रहा है जिसके लिये अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सन् 52 से लेकर आज तक कई ट्यूब वैल्स ऐसे ही पड़े हैं। यद्यपि डेढ़ महिने पहले जिला परिषद् की बैठक हुई थी, उसमें इस बात को रखा था कि, एग्रीकल्चर री-फाइनेन्स कारपोरेशन का हवाला दिया और एक डेढ़ महिने पहले एग्रीकल्चर री-फाइनेन्स कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी आये थे और हमने प्रत्येक पंचायत समिति को लिखा है, जिलों में खास तौर से कि एक एक दो दो पंचायत समितियां इसमें दिलचस्पी लें और एक कम्पेक्ट एरिया की स्कीम चलायें, जैसे कि माननीय गोकुल प्रसादजी शर्मा ने कहा, इस प्रकार की स्कीम बननी चाहिये, कितने ट्यूब वैल लगें, उनकी कितनी क्षमता है, यह अलग बात है, एक कम्पेक्ट एरिया में जहां दस, बीस, 50 ट्यूब वैल्स लगाने की क्षमता हो और वह स्कीम पंचायत समिति मेरे पास भेजे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से, एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से, मोटे रूप में एप्रूव कराने के बाद वह स्कीम यदि ली जाती है तो एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कारपोरेशन से जितना लोन होगा, 90 परसेंट एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कारपोरेशन से मिलेगा और 10 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा।

पर फिर यह प्रश्न पैदा होता है कि कम से कम कम्पेक्ट एरिया में 30 ट्यूब वैल्स पर 12 लाख की योजना बनाई तो हम पंचायत समिति के सुपुर्द करें और पंचायत समिति जितने किसान उस स्कीम से लाभान्वित होते हैं, उन किसानों से किस प्रकार इरिगेशन की रेट चार्ज करें, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल किसके पास हो। इस प्रकार के कई सवाल आयेंगे, उन कम्पेक्ट एरिया में अतः ऐसे किसानों को व्यक्तिगत रूप से तैयार करें कि वे अपने ट्यूब वैल्स के लिये रुपया खर्च करें और निश्चित रूप से उन्हें अपने पास से रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होगी,

(श्री शोभाराम)
भूमि विकास बैंक से ऐसी स्कीम के लिए कर्जा मिल सकता है, जिसका ईजी इन्सटालमेंट्स में लम्बे अर्से में चुकारा होता है।

तो इस प्रकार दो स्कीमें हैं, इस तरह से चलेंगे तो अच्छा रहेगा।

बहुत से माननीय सदस्यों के दिल में यह खयाल है कि यह बजट जब पहले पेश किया गया था तो सोच समझ कर नहीं किया। यह खयाल उनका गलत है। जहां तक ई.टी.डी. का प्रश्न है 1 हजार का टोकन ग्रान्ट के रूप में 1967–68 के बजट में प्रावधान किया था पर 37।। लाख का 1966–67 के बजट में प्रावधान था क्योंकि 1 हजार की टोकन ग्रान्ट थी यह जो 33 लाख खर्च कर रहे हैं वह हमारे ऊपर नहीं पड रहा है, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने दिया है, वह केवल बुक एड्जस्टमेंट है।

बाकी आपके और डिपार्टमेंट हैं, जैसे विश्वविद्यालय है, इसके लिये भी बताऊं 7।। लाख 4 लाख इस तरह 11।। लाख का ब्रेक अप है 7।। लाख का प्रावधान इसलिये नहीं किया कि यूनिवर्सिटी उदयपुर ने सोचा था कि आई.सी.ए.आर. से ग्रान्ट मिलेगी, पर वह ग्रान्ट नहीं मिली, वह रकम ऐसी थी कि कमिटेड एक्समेन्डीचर था, इसलिये वह खर्च 7।। लाख रुपये का करना पड़ा आई.सी.ए.आर.से 2।। लाख दिया। आई.सी.ए.आर. की स्कीम करेंट ईयर के बजट में मंजूर नहीं हो सकी। इस तरह यह 4 लाख रुपया मेचिंग ग्रान्ट के लिए खर्च करना पडा अतः इस प्रकार 11।। लाख रुपया खर्च हुए।

कृषि की 18 नं. की डिमाण्ड है इसमें 18 लाख 33 हजार का हवाला दिया है। इसमें हाईड्रोलोजिकल के लिये दो लाख एक्सपेन्शन आफ अन्डर ग्राउन्ड वाटर एक्टीविटीज के लिये भी रखा है और 10 ट्रक्स के लिये रखा है और 34 हजार मिस्लेनियस का रखा है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आयन्दा जो हमारी मशीनरी है, एक मशीन का कितना उपयोग हो सकता है, कितना काम होता है, इस प्रकार का पूरा लेखा जोखा आपको मिले, यह व्यवस्था है।

एग्रीकलचर फार्म्स के बारे में मेरा विचार चलता है तीन बातों की तरफ। आमदनी और खर्चा अब तक बताया था तो वह सीविल बेसिस पर अकाउन्ट्स मेन्टेन किये जाते थे अब कामर्शियल बेसिस पर रखे जायं, हर साल जो खर्चा वहां होता है, उसका बराबर कामर्शियल बेसिस पर अकाउन्ट रखा जाय, इसका एक नार्म तैयार किया जाय। हारवेस्टिंग, पिलाई सीजनल लेबर पर और, और और चीजों पर किसान आम तौर पर साधारणतया हर क्राप के पैटर्न के मुताबिक कितना खर्चा करता है, उसके एक्स्पेन्डीचर का नार्म तैयार किया जाय।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब हिसाब किया जाता है तो एक एकड पर यील्ड दस, बारह मन से ज्यादा नहीं आता है। हाई यील्डिंग की 70–80 मन प्रति एकड की बात करते हैं, जो मेक्सिकन गेहूं है, पर 40 मन से ज्यादा नहीं आता, तो इसमें हम एक नार्म मुकर्रर करना चाहते हैं, उसके मुताबिक प्रोग्राम को चढ़ाया जाय, और तीसरा मैंने कहा कि कामर्शियल बेसिस पर अकाउन्ट्स मेन्टेन किये जायेंगे। तो एग्रीकलचर

(श्री शोभाराम)
फार्म्स के बारे में हम यह तीन चीज करना चाहते हैं।

व्यक्तिगत रूप में ट्यूब वैल्स खुदवायेंगे, वहां तो आसानी रहती है, पर हमारी तरफ से इस प्रोग्राम को चलाये जाने में यह मुश्किल आती है कि पंचायत समितियों से मांग होती है कि हमें ट्यूब वैल्स की जरूरत है, तो इस सम्बन्ध में हमें यह सोचना है कि हम कोई ऐसी सक्षम मशिनरी बनावें कि जो यह तय करे कि सिचाई के क्या चार्जेज हों, किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल हो, यह सब वर्क आउट नहीं हो तब तक इसे हाथ में लिया जाना संभव नहीं है।

अन्त में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए यहीं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो डिमाण्ड की गई है, उसमें 18, 33 और 24 लाख का खर्चा बढ़ाया है वह सरकारी घोषणा के तरीके से सामने आई, वह अतिरिक्त डिमाण्ड नहीं है, यह 33 लाख का बुक एड्जस्टमेंट है, हमारा खर्चा नहीं हुआ है इ. टी. ओ. को री-इम्बर्स करना होगा।

**श्री मूलचन्द डागा**: जहां पंचायत समिति एक्टिव नहीं है, वहां क्या सरकार प्लानिंग नहीं करेगी ट्यूब वैल्स के लिये?

**श्री शोभाराम**: जैसा कि आपने पाली जिले का कहा, अगर आप बताये कि किसी पंचायत समिति की इतनी अवनति हो गई है वहाँ नहीं कर सकती है तो एग्रीकल्चर रीफाईनेन्स कारपोरेशन से जो रुपया मिलेगा, वह काश्तकार सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से खुद करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

इस तरह की कोई चीज हो तो आप रखिये। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कृषि रीफाइनेन्स कारपोरेशन से रुपया मिलेगा, उसमें से लोन लिया जा सकता है, कोई खुद करना चाहें तो कर सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष**: चूंकि अब साढ़े चार बज गये हैं, इसलिये मुख बन्द का प्रयोग किया जाता है और सभी मांगों को मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,92,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95 कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,34,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध

(श्री उपाध्यक्ष)

में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,31,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, सारे तो नहीं बोले। कोई थोड़े आदमी ही बोले।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ऐसा विचार है कि हां पक्ष जीता।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,84,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य, भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 85,24,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रामकिशन यह तो बहुत बड़ी रकम है साहब।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसमें उपाध्यक्ष महोदय बहुत बड़े घोटाले हैं।

मांग संख्या 42

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,73,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि अनुपुरक मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10 राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

# Page No. 96



(श्री उपाध्यक्ष)
निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,17,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : शराब के मामले में धीरे क्यों बोल रहे हो ?

मांग संख्या 3

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाडियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 2,73,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 5 मुख्य शीर्षक 13 अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,000 रुपये की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14 स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,000 तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15 पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले वर्ष के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18 संसद, राज्य एवं राज्य क्षेत्र विधान सभाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)
10,15,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रामकिशन : आवाज से तो साहब, ना पक्ष जीता है।

श्री बरकतुल्ला खां : अपनी तनख्वाहें बन्द कर रहे हो?

मांग संख्या 9

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,53,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,81,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के सम्बन्ध में 31

(श्री उपाध्यक्ष)
मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,10,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,45,47,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,35,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,34,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,09,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,72,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं

(श्री उपाध्यक्ष)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,73,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43. सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) 44. सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)-44. सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,97,93,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65-निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, 72. निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण, के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,11,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 31 मुख्य शीर्षक 67-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,78,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,91,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपा

# Page No. 100



(श्री उपाध्यक्ष)
महोदय को 3,19,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,81,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76-अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,00,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1968, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,90,80,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 44,04,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 120-निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के संबंध में 31 मार्च, 1968, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,70,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यपार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में

(श्री उपाध्यक्ष)

31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 47

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : न कोई हां कहता है न कोई ना कहता है ।

श्री उपाध्यक्ष : जब मतदान हो रहा है

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूं । यह बिल्कुल निकम्मी मांग है ।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आपको काम की जल्दी है, क्या बात है ?

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

**राजस्थान विनीयोग (सं. 2) विधेयक, 1968**

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968 को पुरः स्थापित करता हूं और यह भी प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात नवाब साहब से कहनी है । जिस प्रकार की मांग सदन में प्रस्तुत की गई है, उसके सम्बन्ध में विस्तार से नहीं जाकर––मैं कभी भी नहीं बोलता हूं उपाध्यक्ष महोदय, बीच में लेकिन एक बहुत जरूरी बात भरतपुर की बाढ़ के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं । मैं बोलता नहीं हूं, इसलिये निवेदन कर रहा हूं । इस बाढ़ के सम्बन्ध में मुझे 1-2 बातों की जानकारी लेनी है । कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं बल्कि जो विशेष स्थिति है उसकी जानकारी लेना चाहता हूं । भरतपुर में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है और

(श्री रामकिशन)

उसके लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं पहली बार स्वागत करने के लिये खडा हुआ हूं। यह मेरा पहला टाइम है उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं सरकार का स्वागत कर रहा हूं। इस बाढ़ में जो सहयोग दिया है वह बिलकुल सही तौर से दिया गया है लेकिन आखिर भरतपुर में बाढ बार बार आती है उसके लिये सरकार क्या करना चाहती है? इस पर जो कदम उठाये हैं उसकी मैं जानकारी करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रगति हो रही है कहीं ऐसा न हो कि अगली बार भी भरतपुर बाढ़ का शिकार बन जाय। सिंचाई मंत्री जी ने जो रकम स्वीकृत की है, उसके बारे में मेरा विरोध नहीं है। मेरे कहने का मतलब तो यह है कि जो कदम उठाने चाहिये वह तत्परता से नहीं उठाये जा रहे हैं। सरकार सजग रहे, इतना ही निवेदन है और कुछ नहीं है।

दूसरा प्रश्न जो वित्त मंत्री जी को समझाने का है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पी. डब्लू. डी. की देखने में रकम बहुत मालूम पडती है लेकिन असल स्थिति यह है कि भरतपुर में बाढ से बहुत सी सडकें बेकार हो गई हैं, वे उस पैसे से ठीक नहीं की जा सकती हैं। वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सडकों की मरम्मत के लिये बराबर मांग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक सडकों की पूरी मरम्मत नहीं करा दी जाती है तब तक यह पैसा व्यर्थ जाता रहेगा। अभी राज्य सरकार ने जो रकम निर्धारित की है वह भरतपुर जिले के लिये बहुत कम है। जितना पैसा आप भरतपुर में खर्च करने जा रहे हैं, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सवा ग्यारह लाख रुपया दिया गया है। 5 लाख रुपया उस समय दिया जब मंत्री मण्डल की बैठक हुई थी। 6 लाख अब दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि केन्द्रीय सरकार ने जो 20 लाख रुपये का प्रावधान किया है, इसमें राजनीति घुस गई। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि जो 20 लाख रुपया आया है उसको भरतपुर की सडकों पर खर्च किया जाय बल्कि तकलीफ इस बात की है कि उसको इधर उधर बांटा जा रहा है। रकम का बडा हिस्सा अलवर को मिला है। अलवर को शायद 15 लाख रुपये मिले हैं, मुझे इस बात की भी चिन्ता नहीं है कि अलवर को क्यों दिया गया है। भले ही अलवर को 30 लाख रुपया मिले, लेकिन जो पैसा बाढ के नाम से आया है उसको उन्हीं क्षेत्रों में जहां जहां बाढें आई हैं, वहीं दिया जाना चाहिये। अलवर में प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिये ऐसा कर दिया गया है, यह उपाध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं है-जहां बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ है। अलवर की सडकें सुधर जायं, अलवर की सडकें बढिया बन जायं, अलवर में सडकों का और विकास हो जाय, मुझे इस बात का दुःख नहीं है-यह तो हम चाहते ही हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो रकम निर्धारित की गई है, उसका राजनैतिक कारणों से दुरुपयोग हो रहा है। यह निश्चित बात है कि भरतपुर में बाढ़ आई है, अलवर में नहीं आई है। अलवर के लिये दूसरी व्यवस्था की जाय। मैं तो कहता हूं कि अलवर को उदारता पूर्वक सहायता दी जाय, उदारता-पूर्वक इसलिये कह रहा हूं कि यह आपका बढ़िया कदम है। किन्तु उससे भरतपुर को निराशा का विषय नहीं बनावें। दूसरी स्थिति मुझे सरकार से निवेदन करनी है कि सरकार

(श्री रामकिशन)

इन बाढों को रोकने के लिये प्रयत्न कर रही है। आखिर पहली दफा राजस्थान सरकार ने यह सहायता दी है और वह एक ही दफा में साफ हो गई। इसकी जांच पड़ताल नहीं की जांच पडताल इसलिये कराना चाहते हैं कि उन कारणों को दूर कर दिया जाय। बिना इसके समस्या नहीं सुलझेगी। मैं राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र से भरतपुर को अधिक पैसा दिया जाय और जो 11 लाख रुपया राजस्थान सरकार ने दिया है, उसका पूरा सदुपयोग हो, वह कहीं यों ही बरबाद न हो जाय। यह मैं इसलिये कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके अच्छे नतीजे निकलने वाले नहीं हैं। सिंचाई के लिये तो पैसा पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि शायद इतने पैसे को काम में भी नहीं ले सकेंगे लेकिन पी. डब्लू. डी. के लिये जो पैसा दिया गया है वह कम है। मैं माननीय पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि वे अपनी बात को जोरदार रूप में रखें। मैं यह मानकर नहीं चलता कि पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब कमजोर हैं। आप कभी भी अपने आपको कमजोर नहीं समझें। अपनी पूरी ताकत को समझें। मैं यह नहीं कहता कि आप कांग्रेस छोड दें, मुख्य मंत्री जी को अपनी बात पूरी तरह समझावें। 10, 12 सदस्यों का अपना एक ग्रुप बना लें जिससे आपकी बात का पूरा समर्थन हो सके। केवल इतनी सी बात है आज माथुर साहब हर बात को केबिनेट में तय करा लाते हैं, ईरिगेशन मिनिस्टर साहब श्री लड्ढा जी अपनी बात को मनवा लेते हैं। आपकी बात इसलिये नहीं चलती है कि आप अकेले हैं।

**श्री अमीनुद्दीन अहमद** : आपसे तो नहीं कहूंगा।

**श्री रामकिशन** : कांग्रेस वाले कहते हैं कि नवाब साहब के साथ कोई नहीं है मेरा निवेदन करना तो यह है कि पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब अपने स्तर पर प्रयत्न करें और कहीं ऐसा न हो कि यह सारा पैसा बरबाद हो जाय? आपने जो कदम उठाये हैं, उसकी तो मैंने सराहना की है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की अनुमति से इस विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

**श्री रामकिशन** : एक और निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बाढ़ से कई स्कूलों की बिल्डिंगें टूट गई, मकान टूट गये, उनकी भी मरम्मत कराई जाय जो बाढ़ से सम्बन्धित हैं। इसी तरह पंचायत समितियों के पास छोटे छोटे से बान्ध हैं, वे टूट गये हैं। पंचायत समितियों के पास फन्ड नहीं हैं जो उन टूटे हुये बान्धों को बनवा सकें इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और ऐसे कई पंचायत समितियों ने प्रस्ताव भी पास किये हैं कि जो छोटे छोटे बान्ध हैं पंचायत समितियों के पास, उनको सिंचाई विभाग को ट्रान्सफर कर दिया जाय। उनके पास फन्ड्स नहीं हैं, दुरुस्त कराने को। इससे उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं तीन-चौथाई काम तो पूरा हो जायगा और करीब एक-चौथाई काम रह जायगा। इसलिये राज्य सरकार से कहूंगा कि इन छोटे छोटे बान्धों को अपने पास ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं प्रमुख की हैसियत से कहता हूं। पंचायत समितियों से ईरिगेशन टैक्स वसूल नहीं होता है। पंचायत समितियों के पास ताकत नहीं

(श्री रामकिशन)
है कि टैक्स वसूल कर लें, क्योंकि ये निर्वाचित संस्था होने से गांव वालों को नाराज नहीं करना चाहती हैं। सरकार इस पर पुनः विचार करे, इससे राज्य की आमदनी बढ़ेगी।

(5 म. प.)

इन दोनों दृष्टियों से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। वन विभाग के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। भ्रष्टाचार और रिश्वत जो इस विभाग में चलती है उसके बारे में तो मैं और अन्य माननीय सदस्य कहा ही करते हैं इसी चीज को बारबार दोहराने से मैं समझता हूं लोक प्रतिनिधियों की हैसियत गिरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं फोरेस्ट विभाग के लिये जो सप्लीमेन्टरी रकम मन्जूर की गई है उसके बारे में मेरा निवेदन है इसमें कत्थे की बोलियां लगायी जाती हैं। चित्तौड में बोली लगा दी लेकिन वहां तो मुख्य मंत्री की एक पार्टी पर कृपा रही है। मैं एक जानकारी चाहूंगा बोलियां लगीं कत्थे की दो–तीन आदमियों द्वारा बोली लगाई गई। चित्तौड के कत्थे के लिये कुछ ठेकेदारों के लिये ठेका मन्जूर किया गया उसमें कत्थे की 135 हांडियां लगा दीं। डी. एफ ओ वहां पहुंचे उसका पंचनामा होना चाहिये लेकिन मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप से हस्तक्षेप तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उनको हस्तक्षेप करते देखा नहीं लेकिन उनके प्रभाव से उस पार्टी को छोड दिया गया। एक आदमी को तो लाख का · · ·

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : उसका नाम तो बता दें।

**श्री रामकिशन** : नाम इस समय लाया नहीं हूं कल दे दूंगा नाम पता सब।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : आप वह प्रतापगढ़ के केस के बारे में कह रहे होंगे वह कत्था सरकार के पास जमा है। उसका पैसा मिला नहीं है।

**श्री रामकिशन** : यह जानकारी आपकी अधूरी है। बांसवाडा का जमा है लेकिन चित्तौड का छोड दिया गया।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वह ठेकेदार जान मोहम्मद है। वह जान मोहम्मद रात-दिन पैरवी करता फिर रहा है। कत्था सरकार के पास जमा है।

**श्री रामकिशन** : हो सकता है मुख्य मंत्री जी की यह जानकारी हो इस बात की। मेरा कहने का मतलब यह था कि जोधपुर, डिविजन में, भरतपुर डिविजन में ऐसा हुआ है। जोधपुर में कत्थे की 25 हांडियों की जगह 135 हांडियों की मन्जूरी दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कत्थे को जप्त कर लिया है लेकिन परसों तक मेरे पास जो जानकारी है इन पार्टियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**श्री शंकरलाल** : जोधपुर में कत्था कहां होता है वहां कोई कत्थे का ठेका नहीं होता है।

**श्री रामकिशन** : मैं निवेदन कर रहा था तीन पार्टियां हैं उन तीनों के नाम मैं आपको बाद में निवेदन करूंगा आज इस प्रसंग पर मेरा कहने का विचार नहीं था इसलिये उनके नाम मैं नहीं लाया। भरतपुर, जोधपुर,

(श्री रामकिशन)

चित्तौड यह तीनों जगह ऐसी हैं जहां पर कत्थे का ठेका हुआ पन्चनामा बन गया लेकिन उसके बाद उसको छोड दिया गया ।

बांसवाडा की पार्टी का जप्त कर लिया उसके बारे में मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं । मुख्य मंत्री के कहने के अनुसार यदि वह जप्त कर लिया है तो उसके लिये मैं बधाई देता हूं । जो कानून का उल्लंघन करें उनके साथ इसी प्रकार का बरताव होना चाहिये ।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : मैं स्पष्ट कर दूं न मैंने जप्ती के आदेश दिये हैं और न छोडने के दिये हैं । चित्तौड जिले के कत्थे के बारे में जो बातें फैल रही हैं वह जान मोहम्मद ठेकेदार से सम्बन्धित हैं । मेरी जानकारी है शायद उस पर पैनेल्टी हुई है कत्था आज के दिन तक जमा है ।

**श्री रामकिशन** : मेरे पास जो नाम है वह दूसरे ठेकेदार के नाम हैं । ।

उपाध्यक्ष महोदय वन विभाग हमारी आमदनी का जरिया है । सार्वजनिक सम्पत्ति का जरिया है । अगर राज्य सरकार इसी की आमदनी को बढ़ाये तो नये टैक्स लगाने की आवश्यकता न रहे । जंगल, माइन्स, रोडवेज ये सरकार के ऐसे साधन हैं जिनमें सुचारु व्यवस्था हो तो राज्य सरकार को काफी आमदनी हो सकती है । ये जो सार्वजनिक सम्पत्तियां हैं जो छोटे घाटे में चलती हैं उनके बारे में राज्य सरकार को सजग रहकर ध्यान देना चाहिये । आप इसके बाद यदि प्रान्त की उन्नति के लिये टैक्स की मांग करते हैं तो कोई मना करने वाला नहीं लेकिन जो साधन आपको दिये गये हैं उनका जब दुरुपयोग होता है उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते तो लोगों में टैक्स न देने की भावना बढ़ती है । इन शब्दों के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण के लिये भरतपुर के सम्बन्ध में जो सडकों के लिये रकम पांच–दस लाख है वह कम है उस रकम को बढ़ाया जाना चाहिये । वह पैसा अलवर में नहीं लगना चाहिये । अलवर के लिये और पैसे की आवश्यकता है तो वह मन्जूर किया जा सकता है । श्री शोभाराम जी के प्रति मैं श्रद्धा रखता हूं यह जरूर है कि वे मंत्री पद पर हैं, बुजुर्ग हैं, मिलना चाहिये उनके साथ कुछ और लोग भी मंत्री-मंडल में हैं उनसे यही मेरा निवेदन है कि वे इस बारे में अपने साथी मंत्री पर जोर न दें कि भरतपुर का पैसा वहां खर्च किया जाय, यह सार्वजनिक मंत्री को घोषणा करनी चाहिये कि भरतपुर का पैसा अलवर नहीं जायगा ।

**श्री शोभाराम** : अलवर की किसी सडक के बारे में मेरी नवाब साहब से वार्तालाप नहीं हुई है ।

**श्री अमीनुद्दीन अहमद** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह रुपया जहां बाढ़ आयी है उस जगह लगाने का है । जहां बाढ नहीं आयी वहां पर लगाने का सवाल नहीं । इसमें से रुपया जालोर भी, पाली की तरफ भी गया । केवल आप यही मान लें जो फ्लड का रुपया है वह केवल भरतपुर के लिये ही है, यह बात नहीं है सभी जगह जायगा जहां बाढ़ आयी है ।

**श्री हीराभाई** : बांसवाडा में क्या लगा रहे हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** :—बांसवाडा में भी बाढ़ आयी है क्या ।

**श्री रामदिरा** : पाली में बाढ़ आयी वहां दीजिये इसमें हमें क्या ऐतराज है अन्त में मैं यहां निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ।

**श्री हीराभाई**: (बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

**श्री हीराभाई** : मुझे भी मौका मिलेगा या नहीं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मिलेगा । श्री मूलचन्द डागा ।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पाली तहसील में इस साल जो बाढ़ आयी है उससे इस तहसील में अकथनीय हानि हुई है । मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इरींगेशन और एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट के यह बात ध्यान में है कि इस बाढ़ से कम से कम 40 गांवों पर असर पडा है । एक हजार कुए जो बाढ़ के कारण खत्म होगए हैं उन की ओर भी सरकार का ध्यान गया है । कास्तकारों की काफी जमीन ऊंची नीची हो गई है । मैं समझता हूं कि दो चार सडकें जो पी. डब्लू. डी. विभाग द्वारा बनायी गई थी वे टूट गई । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयन्दा इस प्रकार की बाढ़ न आये उसके लिये सरकार को निम्न काम करने चाहिये । उधर से दो चार नदियां निकलती हैं अगर उनको बान्धकर बान्ध बना दिया जाय तो बाढ़ सदा के लिये रुक जाय । नरोला का बान्ध बनाया जावे ।

पाली शहर में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है उसके लिये बान्डी नदी को बान्धा जाना चाहिये ।

मैं समझता हूं बाढ के कारण काफी नुकसान पाली तहसील में हुआ है पर वहां पर केवल नाम मात्र के लिये धन राशि खर्च नहीं की गई । सारे तालाब और पीने के पानी के कुए भी खराब हो गये हैं । गरमियों में तो पीने के पानी की समस्या उठ खडी होगी । अगर आप कुओं की मरम्मत नहीं करावेंगे तो पंचायत समितियों के पास इतनी धनराशि नहीं है ।

जब बाढ आई थी तो पाली में मंत्री महोदय पधारे थे तब भी इतना पानी चारों ओर बाढ का था और रास्ते इतने बिगड़ गये थे कि मन्त्री महोदय इन्टीरियर में तो पहुंच ही नहीं सके । इस इलाके के करीब तीस गांवों के तालाब और पीने के पानी के कुए खत्म हो चुके हैं बाढ के कारण । खेत इनके खराब हो गये हैं । सिंचाई की सारी व्यवस्था खराब हो गई है ।

तो इस तरह से जो गांव बिलकुल बाढ से तबाह हो गये हैं जिनके रास्ते के किनारे सारे कट गये हैं उनका तट बन्धन पहले किया जाय तालाबों को और कुओं को पहले ठीक किया जाय । इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये और धन राशि इसके लिये देनी चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्री मण्डल की ओर से गत वर्ष बजट पेश किया गया था तब भी अपने बहुमत के आधार पर वह मन्जूर हुआ और अभी जो अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं वे भी मन्जूर हुई हैं और हो जावेंगी जो बाकी रही हैं वे भी ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

परन्तु सवाल यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस चुनाव के बाद जिस तरीके से यह सरकार बनी और उसके बाद जिस ढंग से उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से इस आर्थिक संकट में से हमारा प्रान्त गुजर रहा है, जो तरीका सरकार को चलाने का इस एक वर्ष के दरमियान रहा है, वह उस संकट को और भी बढ़ा देगा, संकट बढ़ने की बात तो है ही, पर सबसे खेदजनक बात यह है कि अब सरकार इस तरीके से प्रशासन को चलाने का प्रयत्न कर रही है कि जगह जगह पर जो असामाजिक तत्व हैं, लुटेरे हैं, बदमाश लोग हैं वे इन मन्त्री लोगों की कमजोरी को महसूस करके और आज मन्त्री मण्डल पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस असेम्बली में जब से यह सत्र आरम्भ हुआ है काफी घटनाएं इधर उधर से आ रही हैं जिनमें कत्ल की घटनाएं हैं, कई अपहरण के केस हैं, कई भ्रष्टाचार और दुराचार के केस हैं कई पतन के केस हैं। इनको देखते हुए मेरा यह निवेदन करना है कि जहां हम राजनैतिक तौर से बात करते हैं, दल बदल या न बदल की, कोड आफ कण्डक्ट की बात, करते हैं वहा यह समझते हैं कि यह तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी की बात है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो समाज में जघन्य कुकर्म किये जाते हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश न की जाय।

आज यह मन्त्री मण्डल अपनी अनेकों कमजोरियों के कारण इस प्रकार के जघन्य कुकर्मों पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रहा है। उनको सजा देने के बजाय उनको बचाने की कोशिश कर रहा है जिसका नतीजा बहुत गम्भीर निकलेगा और खुले तौर से सामान्य प्रशासन में न्याय और व्यवस्था में किसी को विश्वास नहीं रह जावेगा।

माननीय गृह मन्त्रीजी अभी नहीं है यहां, छात्रों के सम्बन्ध में, पोली टैक्निक के छात्रों की हड़ताल के बारे में जब चर्चा हो रही थी तब उन्होंने हमारे पर विरोधी दलों पर लांछन लगाने का प्रयत्न किया था कि हम जैसा वे रोज सम्बोधित करते हैं कह रहे थे कि हम असामाजिक अराष्ट्रीय तत्व हैं।

**श्री रघुवीर बिश्नोई** : आप नहीं हैं तो वहम नहीं होना चाहिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप गम्भीरता से इस बात को देखना चाहते हैं, गम्भीरता से समाज में कुछ वेल्यूज को कायम रखना चाहते हैं, कुछ बातों के बारे में जिनको आप भी खराब मानते हैं हम भी खराब समझते हैं जिनमें नीतियों का कोई प्रश्न नहीं है, उनके बारे में तो एक ही रूख लेना पड़ेगा? उनको दबाना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं एक घटना का उल्लेख यहां करना चाहता हूं जो कि मैं यह समझता हूं कि ऐसी जघन्य घटना है जिसको आप और हम कोई भी पसन्द नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, उसका थोड़ा सा जिक्र सदन में आया था पर उसका उतर न सरकार की ओर से दिया गया और न ही उसका समाधान किया गया।

उपाध्यक्षजी, मैं जिक्र करना चाहूंगा सवाई माधोपुर जिले में एक जगह का एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
प्रमुख है जिसका नाम है नथूसिंह। मैं घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। घटना हुई है यह 23-12-67 को। एक मनमोहन कौर नामक स्टाफ नर्स है। उस नर्स को रात्रि के वक्त उन प्रमुखजी द्वारा अपने कमरे पर अपने घर बुलाया जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर। बिना पूर्व सूचना दिये किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा आरोप लगाना, जिससे उन पर मुकद्दमा चल सकता है सही नहीं होगा।

**श्री श्रवणलाल** : यह सही सूचना है, और इसको सदन में रखा जा चुका है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस पर मोशन दिया हुआ है। मैं पढ़कर सुनाऊंगा जो उस नर्स ने शिकायत की है। पढकर सुनाने से उसका सारा किस्सा आपके नोटिस में आ जावेगा।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : लम्बा तो नहीं है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उसने लिखा है

सेवा में,
श्रीमान् डाक्टर साहब,
आई कैम्प धर्मशाला,
बजाजन, हिण्डौन।

निवेदन है कि रात को करीब 9-10 बजे भगवानसिंह कोआपरेटिव इन्सपेक्टर ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हें डाक्टर साहब ने बुलाया है सीरिन्ज लेकर। वे प्रमुख साहब के कमरे पर हैं। उनके पिताजी को इन्जेक्शन लगाना है। मैं सीरिन्ज लेकर उनके साथ नत्थूसिहजी, प्रमुख के कमरे पर पहुंची तो श्रीमान् नत्थूसिंह जी व बेनीवाल टेलीफोन आपरेटर बैठे मिले। मैंने पूछा डाक्टर साहब कहां हैं। तो उन्होंने बताया एक मरीज देखने गये हैं। अभी आते हैं। मुझे वहां बैठा लिया और चाय पिलाई जिसके पीने से मुझे नशा आ गया और मेरे से उन्होंने छेड छाड करना शुरू कर दी। जिसका मैंने विरोध किया और भागना चाहा तो तीनों ने मिलकर मुझे पटक कर दबोच दिया और मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोने लगी तो मुझे धमकाया और लालच दिया, रोओ मत, हम तुम्हें मास्टरनी बनावेंगे और तेरी जिन्दगी बना देंगे। और मुझे करीब दो बजे बेनीवाल और भगवानसिंह नशे की ही हालत में धर्मशाला छोड गये। बेनीवाल तथा भगवानसिंह वही आदमी हैं जो केम्प में आपके पास कई बार आ चुके हैं। तथा प्रमुख साहब को मैं अच्छी तरह जानती हूं।

अत: निवेदन है कि मुझे धोखा देकर इन तीनों ने मेरे साथ व्यभिचार किया है। इसके बाबत इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

तारीख 23–12–67 प्रार्थी
मन मोहन कौर स्टाफ नर्स।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हू....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस बारे में चर्चा की है। इस नर्स ने अदालत में बयान दिया है....

**श्री श्रवणलाल** : यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उसे दबाकर कुछ भी कराया जा सकता है बाद में।

Page No. 109



**श्री उपाध्यक्ष** : इस बात पर सरकार की ओर से उत्तर दिया जावे तब यह तथ्य सदन में लाया जा सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी पार्टी का सवाल नहीं है। हमारा यह आरोप नहीं है कि कांग्रेस के लोग इस तरीके का काम करते हैं या कांग्रेस की नीति इस प्रकार की है। यह किसी एक की व्यक्तिगत घटना है और यह घटना आज से बहुत दिन पहले आ चुकी थी लेकिन जब तक मैंने खुद रिलायेबल सोर्सेस से जांच नहीं करा ली मैंने हिन्डोन चिट्ठी लिखी, करौली चिट्ठी लिखी और सवाई माधोपुर चिट्ठी लिखी और विशेष आदमी भेजकर इन सब चीजों की इन्क्वायरी की और आपके दल के लोग जिनको इस घटना की जानकारी हो सकती है उस क्षेत्र की उनसे भी जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी प्राप्त करने के बाद जिसमें कि हमारी पार्टी के लोग भी हैं और आपकी पार्टी के लोग भी हैं और मैं शतप्रतिशत इस नतीजे पर पहुंच गया कि यह बात बिल्कुल सही है····

**श्रीमती सुमित्रा** (राज्य मन्त्री, चिकित्सा विभाग): पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, नर्स की शिकायत के आधार पर मेडीकल डिपार्टमेन्ट ने इसकी इन्क्वायरी करा ली है···

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही घटना कह रहा हूं···

**श्रीमती सुमित्रा** : पूरी बात तो सुनिये। और उस इन्क्वायरी के आधार पर जब इन्क्वायरी की गयी तो नर्स ने अपने बयान दिये हैं कि यह सब गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी वही गलती कर रही है जो उन्होंने (श्री प्रद्युम्नसिंह ने) की। स्थान गृहण करें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जिस समय सरकार उत्तर दे उस समय आप यह कह दें। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरी जानकारी पूरी तरह से सही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय को जवाब देने का अधिकार है। जब इस पर चर्चा चल रही है तो माननीय सदस्य पहले बोल लें और उसके बाद में आप (श्रीमती सुमित्रा) कह सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना होने के बाद उस नर्स पर दबाव डाला गया और उस नर्स को कम्प्रोमाइज के 2500 रुपये दिए गए····

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने (श्रीमती सुमित्रा) पहले एतराज उठाया उसका यह हुआ··

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : और उस पर दबाव डालकर और फुसला कर उसके बयान बदलवाये गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इसी बात पर इन्ट्रेस्टेड हैं, अगर आप यह मानकर चलते हैं और यह घटना हो ही नहीं सकती तो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर पर्दा डाला जाय तो आपकी मर्जी है। मगर मैं यह समझता हूं कि यही बात जो गंभीरता की है कि जिस स्थिति में आज राजनैतिक तौर पर वातावरण बना है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब सारे देश

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में हवा चली लोग दल बदल कर गवर्नमेंट बदलने लगे तो वह हवा हमारे जिले में भी आई और हमें भी उस हवा का शिकार बनना पड़ा। मैंने निवेदन किया था कि यह हवा तो आंधी बनने वाली है और अब आपको सोचना है आप कहां तक जायेंगे? मैंने कहा था कि यह हवा आपको भी सोचने के लिए मजबूर करेगी। मैं जानता हूं मीणा जाति की काफी मेजारिटी है और काफी वोट उनके हैं और उनके काफी मेम्बर यहां हैं। मैं नहीं जानता जहां तक मेरी जानकारी है मीणा एम.एल.एज. ने भी कहा कि बुरी बात है। इसमें उनकी कम्युनिटी की बदनामी होती है. इसलिए मैं यही चाहता हूं कि इस चीज की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटो कापी है उस दरख्वास्त की जो कि ओरीजिनल उस नर्स ने दी। मैंने उस नर्स को देखा नहीं, न उसके दस्तखत पहचानता हूं अलबत्ता इन्क्वायरी के दौरान में इसका मिलान किया जा सकता है कि यह ओरीजिनल दरख्वास्त है या नहीं आया यह उसी की है या फोर्ज्ड है या किन्हीं लोगों ने उसको बनाकर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस दरख्वास्त को जो आई हास्पीटल के डाक्टर थे उनको दी गयी डाक्टर एस.एस. सोगरवाल और उन्होंने इस दरख्वास्त को आई. जी. पुलिस को भेजी है और उसके बाद में इस मामले को दबाया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए मुनासिब नहीं, यह ब्रीच आफ कान्फीडेन्स मेरे लिये होगा कि मैं गिनकर बताऊं कि फलां सदस्य ने इस बारे में बताया। आपकी पार्टी में भी कुछ कॉम्पली-केशन्स पैदा हो सकते हैं। अगर कोई इन्क्वायरी हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं यह घटना सही है। जो लोग उनके पास रहते हैं उन लोगों ने बताया। लेकिन अपने आदमी हैं करें क्या। गलत कर गये चलो सुधर जायेगी, लेकिन उस मामले को दबाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यही कहना चाहते हैं कि अपने अपना बहुमत बना लिया, आप राज्य कर रहे हैं लेकिन उसकी सीमायें कहां हैं ? आज सीमायें तय करनी होंगी। अगर आप इन सीमाओं को इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि केवल विरोधी हैं इसलिए मजाक में उड़ाना चाहते हैं या मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो इसकी इन्क्वायरी कराके देख लें। इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस तरह से इन्क्वायरी होती है और किस तरह से उसके रिजल्ट्स नेगेटिव प्राप्त किये जाते हैं और मामले को खत्म किया जाता है। मगर यह गम्भीर मामला है, महिला समाज के ऊपर बहुत बडा आघात है और इस तरह से नर्सेस को अगर डील-विथ किया जायेगा तो मैं निवेदन करूंगा आप कहते हैं हमारे प्रान्त की लड़कियां नर्स नहीं बनना चाहती हैं तो इस तरह इन घटनाओं को जान कर कौन नर्स बनना चाहेगी? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा भाई भी क्यों न हो अगर इस तरह की घटना करता है तो उसको बहुत सीरियसली डील विथ किया जाना चाहिए? यह सारे समाज का अपराध है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अभी तक जांच हुई है किसी तरह भी इस मामले को खत्म किया गया यह बहुत संतोषजनक नहीं है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस घटना की जुडीशियल तरीके से जांच होनी चाहिए और इस मामले की जांच होकर पूरे तथ्य सदन के सामने आने चाहिए तभी इसका निराकरण होगा वर्ना सारे जिले में लोगों को मालूम है। आप इसकी जानकारी करें। आप अपने तरीके से वहां उस इलाके में घूमेंगे, आप अपने दल के लोगों से इन्क्वायरी करेंगे जो कि उसी इलाके से आये हैं, आप उनसे पूछें यह सही है या नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट इस घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच कराने का आश्वासन दे। जुडीशियल इन्क्वायरी करायें और अगर यह दोषी निकलें तो उनको सख्त दण्ड मिलना चाहिए चाहे वह किसी भी पार्टी के क्यों न हों।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री मथुरादास माथुर : आखिर बोलने के ऊपर कहीं तो पाबन्दी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम पर हम पाबन्दी नहीं लगा सकते। कौनसे नियम के अनुसार पाबन्दी लगा सकते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : क्योंकि बहस हो चुकी है....

श्री उपाध्यक्ष: यह तो बजट है चर्चा हो सकती है।

श्री चुन्नीलाल !

श्री चुन्नीलाल (खण्डार सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को खंडार तहसील के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उस क्षेत्र को हमारे गृह मंत्री महोदय भी देख चुके हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : जरा जोर से बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री चुन्नीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्डार तहसील एक ऐसी तहसील है जिस तहसील में किसी भी विभाग द्वारा राहत कार्य नहीं हुए। उधर के लोगों के लिए आने जाने के रास्ते बिल्कुल ठीक नहीं हैं, अतः मैं आपका ध्यान इस कार्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

और दूसरा कार्य यह है कि खण्डार में विशेष रूप से गर्मियों के दिनों में पानी की बडी दिक्कत है जिसके कारण बाहर से लोग आते हैं उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता और नल योजना का काम बहुत दिनों से अधूरा पडा था जिसको इलेक्शन के टाइम पर करवाना शुरू किया था लेकिन उस काम को बाद में बन्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता कि उसे आज तक क्यों नहीं संभाला जाता?

तीसरा कार्य यह है कि जो सार्वजनिक मार्ग है जो खण्डार से ग्वालियर तक का है उस पर 50 गांव पडते हैं वहां के लोगों के लिए आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है उस क्षेत्र में डकैती का डर अलग है और जंगल है। तो इस वजह से उस रास्ते में पैदल चलते हुए लोगों को डकैत उठाकर ले जाते हैं व लूटने मारने का डर है।

तो उसके बारे में भी सरकार को कुछ व्यवस्था करने के लिए विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रोड का यह जो मामला है यह सही होने से यातायात व माल लाने लेजाने

(श्री चुन्नीलाल)
के साधन हो जाते हैं और उसमें लोगों को इतनी कठिनाई नहीं रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह दो तीन बातें बताई हैं उन पर विशेष ध्यान देकर सरकार को गौर करके सोचकर सख्त कदम उठाने की कोशिश करना चाहिए।

**श्री देवीदत्त गाडिया (बारां):** उपाध्यक्ष महोदय···

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने अपने उद्गार कई दफे पेश कर दिये। यह आवश्यक नहीं है····

**श्री देवीदत्त गाडिया:** मैं मेरे दल की ओर से बोल रहा हूं। अभी तक मेरे दल वाला कोई नहीं बोला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में पुलिस की अकर्मण्यता के बारे में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा:** अब बोलना क्या है?

**श्री उपाध्यक्ष:** आर्डर प्लीज !

**श्री देवीदत्त गाडिया:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसील मांडल, जिला भीलवाडा में थाना बीगोद के थानेदार ने 20··

**श्री उपाध्यक्ष:** पुलिस की समस्या तो कोटा की तरफ भी काफी है, आप भीलवाड़े में क्यों जाते हैं?

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा:** तहसील मांडल में कोई थाना बीगोद नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आर्डर प्लीज आपस में बातें न करें।

**श्री देवीदत्त गाडिया:** वहां के थानेदार ने एक कंजर जिसका नाम मिश्रीलाल है उसको किसी चोरी के मामले में पकडा और पकडकर थानेदार ने उसको बुरी तरह से पीटा, और पीटने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, वह कंजर वहां पर मर गया। मरने के बाद चाहिए तो यह था कि उसकी लाश उसके परिवार को देते लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पडता है कि वहां के थानेदार ने पुलिस के द्वारा उस लाश को जलवा दिया। उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, जब उस कंजर को वहां पर जलवा दिया, पुलिस के थानेदार की मार के कारण से वह मरा तो उसकी जांच वहां के उप-जिलाधीश ने की। कलेक्टर द्वारा उसके आदेश दिये गये और कलेक्टर ने एस.डी.ओ. की रिपोर्ट को जिसमें यह लिखा था कि इस प्रकार से मिश्रीलाल थानेदार की पिटाई से मर गया, आई.जी.पी. को भेजी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह जांच आज तक दबी हुई है।

इतना ही नहीं, इस प्रकार से आज सवाई माधोपुर के अन्दर वहां के भूतपूर्व एस. डी. ओ. ने अपने रिश्तेदारों के नाम से ही नहीं वहां के जो चपरासी थे--एक पी. आर. ओ. का चपरासी, एक उनका निजी चपरासी और एक और चपरासी·····

**श्री उपाध्यक्ष:** ऐसे मसले जिनकी पूर्व सूचना नहीं है मंत्री महोदय उनका जवाब तो दे नहीं सकते तो उससे सदन का वक्त खराब होता है तो बिल पर ही बोलें, जो विधेयक है उस दृष्टि से ही बोलें।

**श्री देवीदत्त गाडिया:** वह जमीन उन किसानों को मिलनी चाहिए।

**श्री दामोदर लाल व्यास** : मैंने जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया ये फिर उसका जिक्र कर रहे हैं।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : मेरा यह कहना है कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इस प्रकार से चपरासियों के नाम से जमीन एलॉट करा ली है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मेरी माननीय उपाध्यक्ष महोदय नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि माननीय सदस्य हर बार नया पाइंट उठाकर यह एक्स्पेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उसका जवाब दे · · ·

**श्री देवीदत्त गाडिया** : आप जांच करालें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह नामुमकिन बात है। एप्रोप्रियेशन बिल है इट शुड बी कन्फाइंड टू दी प्रिन्सीपल्स लेड डाउन इन दी रूल्स अदरवाइज इट इज इम्पासिबल फार अस कि कोई नई बात का जवाब दें। आप तो ऐसा समझते हैं कि सारा दफ्तर साथ ही लाते हैं। ऐसे पाइंट लें जो कि डिसकस हो चुके हैं देट इज ए डिफरेन्ट मैटर। आप तो हर बात नई उठा रहे हैं कि किसी एस.डी.ओ. ने ऐसा किया और किसी थानेदार ने ऐसा किया तो यह पासिबल नहीं है हमारे लिए उसका अभी जवाब देना। इसलिए बहस कन्फाइन्ड होनी चाहिए टू दी प्रिन्सीपल्स आफ दी बिल।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : इसका उत्तर नहीं लेना चाहिए।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : जांच आपके पास होनी चाहिए।

**श्री दामोदर लाल व्यास** : हमारा कर्त्तव्य है कि जवाब दें। यह तो अच्छा नहीं है कि बिना जवाब के कोई बात चली जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गृह मंत्रीजी कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, इस वक्त इस विधेयक के बुनियादी सिद्धान्तों पर वाद-विवाद हो सकता है। आपके पास बहुत से इस तरह के मसले हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई प्रश्न उठायें तो उनका उसी वक्त जवाब नहीं दिया जा सकता, और जब जवाब नहीं दिया जा सकता है तो वाद-विवाद के अधिकार का प्रयोग एक तरह से व्यर्थ में होगा। इसलिए इस विधेयक के सिद्धान्तों पर कुछ कहना हो तो अवश्य कहें।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : उसी पर बोल रहा हूं।

प्रश्न ऐसा है कि जब इस प्रकार से उन किसानों को जमीनें मिलनी चाहिए · · ·

**श्री उपाध्यक्ष**: आप अवहेलना कर रहे हैं ऐसी स्थिति में आसन का यह अधिकार है कि आपके भाषण को यहीं पर समाप्त करदें आप सिद्धान्तों पर कहें।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : इस तरह से एक मांग रखी गई है, लेकिन सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर खण्डार में नल-योजना सन 64 के अन्दर लागू की गई थी। वह नल-योजना 1,30,000 रुपये की थी। आज तक वह नल योजना पूरी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, उस गांव के लोगों को पानी पिलाने के लिए वहां की पंचायत समिति प्रति वर्ष 8000) रु. खर्च करती है। इस प्रकार उस गांव के किसान · · ·

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, इस के बारे में तो एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं, दुबारा उसी पर बोलकर हमारा समय खराब कर रहे हैं।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** दुबारा रिपीटिशन नहीं है। गलत बात है।

**श्री उपाध्यक्ष:** कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** खण्डार के अन्दर नल-योजना लागू नहीं करने के कारण उस गांव की पंचायत समिति 8000) रु. खर्च करती है, लेकिन गांव के लोग प्रतिवर्ष एक मील दूर से पानी मंगाने में चार हजार रुपया खर्च करते हैं। इस प्रकार से इस शासन के 21 वर्षों के अन्दर वहां की ग्राम पंचायत और वहां के लोग जो 12000) रु. खर्च करते हैं, और आज तक लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं। और अभी नवम्बर के महीने में माननीय गृह मन्त्री जी वहां पर गये थे और गृह मन्त्रीजी को वहां के लोगों ने इस समस्या के बारे में उनसे कहा और गृह मंत्रीजी से निवेदन किया कि यह नल-योजना पूरी होनी चाहिए, तो मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पडता है कि गृह मंत्रीजी ने खण्डार की जनता को यह कहा कि आपने अपने इस इलाके से कांग्रेस को हराकर एक विरोधी दल के उम्मीदवार को जिताया है इसलिए नल-योजना पूरी नहीं होगी। क्या यह लोकतन्त्र है ? क्या यह प्रजातन्त्र इस प्रकार से चलेगा ? मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि राजस्थान के गृह मन्त्रीजी जिनको मैं योग्य समझता हूं, बुजुर्ग समझता हूं, उनको समझना चाहिए कि इस प्रकार जोश में होश न खोवें। वहां पर जनता में इस प्रकार के शब्दों को कहकर इन्होंने राजस्थान के प्रशासन के स्तर को गिराया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह नल-योजना सन् 62 से लागू हुई है, लेकिन आज तक क्यों पूरी नहीं हुई ?

इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, बारां नगर के अन्दर गत वर्ष 18,80,000) रु. की नल-योजना को रखा था और बजट में उसका प्रावधान किया था, लेकिन बारां नगर के अन्दर आज तक वह नल योजना लागू नहीं हुई, काम प्रारम्भ ही नहीं हुआ। जब बजट के अन्दर 19,80,000 रु. रखे गये तो क्या कारण है कि वहां पर यह योजना क्रियान्वित नहीं हुई ?

इसी प्रकार से उस इलाके म अस्पतालों के अन्दर डॉक्टर्स नहीं हैं। वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जो माल बमौरी का है वहां आज तक डॉक्टर नहीं है। न भंवरगढ, न कस्बा थाना में, न कैलवाडा, शाहबाद के अन्दर आज तक डॉक्टर नहीं है। जब राज्य सरकार ने वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोला, डिस्पेन्सरी खोली तो क्या कारण है कि वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंचता। शाहबाद का इलाका बहुत ही पिछडा हुआ इलाका है। वहां पर रहने वाले शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग भी अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये वहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं है इस कारण वहां मरीजों को 50 मील चल कर बारां आना पडता है। ये लोग गरीब आदमी हैं और छोटी छोटी बीमारियों के कारण भी बेमौत मरते हैं। इतना ही कहता हुआ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि खंडार योजना को जल्दी ही पूरा किया जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री आईदानसिंह ।

**श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान एक ऐसे जिले की ओर दिलाना चाहता हूं जो राज्य सरकार की काणी आंख की तरफ है। राज्य सरकार की काणी आंख की तरफ जो जिला रह गया है उसका नाम है जालौर जिला। पहले जो सर्वे हुआ था उसमें यह जिला पिछडा हुआ जिला बताया गया है और इसके पिछडेपन का क्या कारण है यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस जिले में जितना पैसा लगना चाहिये था उतना पैसा नहीं लगा। इस जिले में न तो बराबर सडकों की व्यवस्था है और न इरिगेशन के इतने साधन उपलब्ध है। पानी के बारे में आप कहते हैं कि पानी नहीं होने से फसल खराब हुई है, पानी नहीं होने से यह हुआ, वह हुआ, राज्य सरकार ने एक स्कीम बनाई थी कि यहां पर 200 ट्यूबवैल्स खोदे जायेंगे। यह स्कीम 1966 में प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की ओर से जारी हुई थी। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक वहां पर केवल 23 नल कूप खुदे हैं। इन कूओं में जो पानी की मात्रा है वह आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि चानण के कूए से भी ज्यादा है। 62 से 65 हजार गैलन पानी पर ओवर निकलता है और सिर्फ 35 फुट नीचे जाना पडता है। यह पानी केवल एक एरिया में ही नहीं है बल्कि सारे एरिया में है। यदि इस पानी को इस्तेमाल करके इरिगेशन के साधन बढाये जायं तो राज्य सरकार को ही अन्न पैदा करने में ज्यादा सहायता मिलेगी।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां पर ट्यूबवैल बनाने में दिक्कत यह आती है कि यहां पर यातायात के साधन नहीं है। जालौर से गुढा तक 80 मील का टुकडा और भीनमाल से सिंदडी तक 100 मील इस 200 मील के एरिया में सिर्फ 20 मील ग्रेवल रोड टूटी फूटी है। बैलगाडियां और बसें सडक पर न चल कर नीचे चलती हैं। वहां पर इतना पानी उपलब्ध होते हुए भी अंडर ग्राउन्ड वाटर वर्क्स से संबंधित लोग वहां आते हैं तो कहते हैं कि यातायात के साधन नहीं होने के कारण हमारी मशीनरी पहुंच नहीं सकती इसलिये ट्यूबवैल नहीं बनाये जा सकते। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है जालौर से गुढ़ा तक और भीनमाल से सिंदडी तक केवल एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो सौ–सौ या पचास-पचास, साठ-साठ मील की दूरी से गरीब लोग बैल गाडियों पर आते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस जिले में चिकित्सा के साधन बढ़ावें और सरकार अधिक होस्पिटल्स खोलने का प्रावधान करे। मैं इस बात पर ज्यादा जोर दूंगा कि सरकार ने 200 ट्यूबवैल्स की स्कीम बनाई है उसको पूरा करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री हीराभाई बोलने के लिये खडे हुए)

**श्री उपाध्यक्ष :** यह कानूनी मसला है इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आगे किसी अवसर पर बोल लें।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। मेरा बोलना जरूरी इसलिये है कि यह सप्लीमेन्ट्री बजट आज हम पास करने जा रहे हैं। वैसे पास तो कर दिया लेकिन बिल पास नहीं हुआ है। इस बिल

(श्री हीराभाई)

को पास कराने में राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि जो पैसा बडे बडे कामों में खर्च कर दिया है उसको रेग्युलेराइज करने के लिये यह बिल लाया गया है। यदि सरकार हर एक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिये मार्ग दर्शन करती और साधन जुटाने के लिये सप्लीमेन्ट्री बजट लाती तो हम इसका स्वागत करते। मैं आयन्दा के लिये सरकार से निवेदन करूंगा कि बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये उसको कदम उठाने चाहिये। आपने 12 जिलों में अकाल फिर घोषित कर दिया है। यदि इस समस्या को दूर करना है तो आयन्दा बजट में इस पर ध्यान देकर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने चाहिये। छोटे बडे तालाब, कुए आदि बनाकर सिंचाई के साधन जुटाने चाहिये। किसानों को पानी उपलब्ध करके ज्यादा धान पैदा कराने का प्रयत्न करना चाहिये, एक बात तो यह हुई किसानों को बिना शुल्क पानी देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जहां तक अकाल की बात कह रहा हूं, चाहे आप उसका जवाब दें या न दें मुझे ऐतराज नहीं पंचायत समिति भूखिया, में मजदूर लोग मजदूरी कर रहे थे, लगभग 10 हजार मजदूर उनमें से प्रत्येक से 2 किलो अनाज की रकम उनकी मजदूरी में से काट ली

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण छोटा करें।

श्री हीराभाई : मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो अनाज उन मजदूरों को सहायता के रूप में दिया था उसकी कीमत मजदूरी में से काट दी। वह वापिस उन मजदूरों को दिलावें। इसका सम्बन्ध चाहे अकाल राहत मंत्रीजी से हो चाहे खाद्य मंत्रीजी से हो या जंगल मंत्रीजी से हो इसकी जानकारी करके मजदूरों को पैसा दिलावें।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग के पक्षपात के बारे में कहूंगा। गत सैशन के पहले प्रशासन विभाग ने कुशलगढ़ में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये निर्णय लिया था और एक कन्या सेकेन्डरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। उस समय कमीशन का बहाना बनाकर खोलना स्थगित कर दिया और मुझे कह दिया कि इसको आगे प्राथमिकता दी जायगी लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो स्कूल कुशलगढ़ के नाम से तय हुई थी वह वहां पर न खोल कर जोशीजी के क्षेत्र में खुलवादी। मेरे क्षेत्र में नहीं खोली कोई बात नहीं वहां के लड़के आदर्श ईसाई मिशनरियों की स्कूलों में भर्ती होकर पढ़ लेंगे पढ़ने का अभाव नहीं रहेगा, लेकिन यदि ऐसा मतभेद रखा है, पक्षपात किया है तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। कन्या सेकेन्डरी स्कूल गढ़ी में खोली है जो कुशलगढ़ के नाम पर थी। यह काम भी जोशीजी ने ही करवाया है। खजाने का तमाम पैसा कांग्रेस मिनिस्टर ही लेते हैं। आप इस बात का ऐलान करें कि आयन्दा इस तरह से नहीं किया जायगा। यदि इस तरह से पक्षपात किया तो यह राष्ट्र के धन का दुरुपयोग होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मंत्रीजी !

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मैं सिर्फ एक ही मिनिट लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नर्स के साथ कुकर्म हुआ बताया उसको सुन कर दुःख हुआ। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि सी. आई. डी. के वरिष्ठ और ईमानदारी अधिकारी को भेज

(श्री मोहनलाल मोदी)
कर इसकी तुरन्त जांच करायें और अपराधियों को सख्त सजा दी जाय। यही मेरा निवेदन है।

**श्री श्रवणलाल** : मैं एक मिनट लूंगा।

**श्री गोकुलचन्द** : नर्स के मामले में, महिला के बारे में जो कहा है उसकी जांच होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या हर एक का बोलना आवश्यक है?

**श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय रामानन्द जी ने जो मामला जिले के प्रमुख श्री नाथूसिंह के बारे में रखा, तो मैं भी उस जिले का रहने वाला हूं। मुझे बडा दुःख है कि वह मेरी ही तहसील और जिले का प्रमुख है, इस नाते मुझे भी थोडा कहना है ··

**एक माननीय सदस्य** : कहने में शर्म आती है।

**श्री श्रवणलाल** : कहने में लज्जा आ रही है लेकिन फिर भी मुझे यह कहना है····

**श्री उपाध्यक्ष** : उसके बाद तो दूसरी दफा विधान सभा मिल रही है, आप बोले नहीं।

**श्री श्रवणलाल** : मुझ से पूर्व वक्ता इस पर बोले थे, मैं भी थोडा बोला था।

**श्री उपाध्यक्ष** : जिस विषय पर चर्चा हो चुकी उसके बारे में कहना आवश्यक नहीं है और विचारणीय विषय भी वह नहीं है।

**श्री श्रवणलाल** : मैं थोडे शब्दों में अपना विचार रखना चाहूंगा, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा।

जिस दिन यह घटना हुई, जिस प्रकार माननीय सदस्य ने घटना रखी थी, वह घटना वास्तव में सही थी, और उसे जिस ढंग से रखा वह तथ्य रूप में सही थी। जिस नर्स के साथ में घटना हुई, वह पुलिस आफिस के अन्दर जाकर एक दरख्वास्त पेश करना चाहती थी। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी रिपोर्ट न तो दर्ज की और न किसी प्रकार उसकी सुनवाई की गई। उसके बाद में जो डॉक्टर था, उसने इस मामले के लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया था। क्योंकि यह व्यक्ति प्रभावशाली है, यह व्यक्ति प्रमुख है इसलिए पुलिस अधिकारी, जिला तहसील के पुलिस अधिकारी इसके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लेने वाले नहीं हैं ····

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कही हुई बातें हैं, इनको दोहरायें नहीं।

**श्री श्रवणलाल** : उसमें कोई कार्यवाही न करें। यह उन्होंने पुलिस विभाग को दूसरे दिन पेश की लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही इस पर नहीं की गई है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को इस बात की पूरी इन्क्वायरी कराने के लिए कहूंगा। इस सम्बन्ध में जुडिसियल इन्क्वायरी कराई जाय जिससे जो लोगों में भ्रम फैल गया है ····

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज! आर्डर!!

**श्री श्रवणलाल** : कि उच्च पद पर रह कर लोग इस प्रकार की घटनायें करते हैं, उन घटनाओं को देखते हुए उनसे नीचे के पद वाले हैं, जो उनके साथ रहने वाले हैं, उनके अन्दर भी ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है इसलिए ऐसे लोगों को दण्ड मिलना चाहिए।

श्री देवीदत्त गादिया : थाना बिगाडी है, जो थाना डिस्ट्रिक्ट मांडलगढ में है····

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री गोकुलप्रशाद शर्मा : मांडलगढ में ऐसा थाना नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस विधेयक के पारित होने के पहले मैं गंगानगर जिले की समस्याओं के बारे में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी मार्फत मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस बिल सिद्धान्तों के बारे में आप कुछ कह सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस बिल से सम्बन्धित समस्या है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल, इस राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में इतनी बडी नहर है, उस राजस्थान कैनाल में आज जमीन को नीलाम करने के सम्बन्ध में, जमीन के एलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में··

श्री उपाध्यक्ष : इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्डर प्लीज ! इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके लिए नियम बनाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इससे सम्बन्धित नहीं है। इस विषय से··

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में इतनी समस्या सामने है, और राजस्थान सरकार ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें राजस्थान सरकार की यह नीति है कि गंगानगर जिले, की कोई समस्या का हल नहीं किया जाय और राजस्थान कैनाल की भूमि के बारे में वितरण के लिए जो गलत नियम बनाये गये हैं कि भूमिहीनों को सिर्फ पन्द्रह बीघा जमीन दी जायगी और उस जमीन की कीमत भी ज्यादा रखी है, और जमीन का कब्जा सन् 55 के बाद का नहीं माना गया है इसके अलावा वह भूमि आज वेदखल की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल से सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक मिनट में कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इसका आप उपयोग समय पर करें। आर्डर प्लीज ! मेरी बात सुनिये मेरी बात को सुन लीजिये। किसी एक मसले को विधान सभा में उसी सत्र में दुबारा नहीं उठाया जा सकता। जो आपकी तकलीफ, अभाव और अभियोग हैं, जो यदि आज उठा लेते हैं, तो जब आय-व्ययक पर चर्चा होगी उस समय नहीं उठा सकेंगे। और इस वक्त कहें तो वित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

मंत्री उस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। इससे उसका उपयोग है नहीं और यह विधेयक है इसके सिद्धान्तों के बारे में चर्चा हो सकती है। कल बजट प्रस्तुत हो रहा है, उसके बाद में कटौती प्रस्ताव आदि पर चर्चा होगी, उस अवसर पर आप यह बात उठायें ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी ····

श्री उपाध्यक्ष : इससे फायदा नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर जिले की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की अनुमति से आपके भाषण को समाप्त करता हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सीमावर्ती क्षेत्र है····

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसकी उपेक्षा मैं पसन्द नहीं करता हूं। मैं कभी पसन्द नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा रामानन्द जी ने बताया, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार जवाब दे तो दो तीन चीजों का जवाब दो, एक, क्या उस नर्स का डाक्टरी मुआयना हुआ है? दूसरे जो रिपोर्ट पेश की है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है? और डिबेट के बीच में माननीय उपमंत्री, राज्य मंत्री ने जवाब देने की कोशिश की है कि उसने हलफनामा दिया है, तो क्या वह रिपोर्ट सही साबित हुई, और जब शिकायत की थी उसके खिलाफ तो क्या चालान हुआ है और 182 में उस पर कार्यवाही हुई है राज्य सरकार इस बारे में कहे।

श्री कल्याणमल : उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री विजयसिंह : बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी मसला है, कल्याण मल जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहली बार बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी बार है। पहली बार बोले थे, मैं ध्यान रखता हूं, आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पहली बार बोले थे। यह दूसरी बार है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उपस्थित नहीं थे, जब बोल गये।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, नर्स के सम्बन्ध में चर्चा बहुत जोर से चल रही है। ठीक है, कोई औरत के प्रति गलत व्यवहार करे तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही मैं निवेदन करूं कि यह भी कहा गया है कि ढाई हजार रुपये लेकर उसने आपस में राजीनामा कर लिया है। हो सकता है, किसी तरह, किसी राजनीतिक विचार से या और किसी विवशता से पैसा लिया हो। लेकिन पैसा लेकर आदमियों

(श्री कल्याणमल)
को गलत बदनाम करें तो इसके सम्बन्ध में पूरे तौर से जानकारी करनी चाहिए, पूरे तौर से जांच होनी चाहिए ताकि सही नतीजा निकल सके।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : ठीक है, जांच होनी चाहिए । जांच के पक्ष में हैं। हम यह नहीं चाहते कि सही साबित हो गलत साबित हो जाय । लेकिन जांच होनी चाहिए ।

**श्री मथुरादास माथुर** (वित मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक को लेकर इस सदन में जो चर्चा हुई है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपने अपने इलाकों के प्रश्न उठाये हैं उनके बारे में राज्य सरकार तुरन्त जवाब नहीं दे सकती, मगर जो जनरल सवाल और मुद्दे उठाये हैं, जो तीन-चार हैं, मैं उनका जवाब दूंगा ।

पहला सवाल है बाढ का । राजस्थान में जो गत साल बाढ आई थी, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वहां की सड़कों, वहां के सिंचाई के बांधों, और वहां के राहत कार्यों के लिए चर्चा की, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, कि उन्होंने राज्य सरकार ने जो इस सिलसिले में कदम उठाये हैं उनकी सराहना की । मैं यह विश्वास• • •

(6 म. प.)

दिलाना चाहता हूं कि जहां तक बाढ का सवाल है, चाहे वह किसी जिले में आये, चाहे भरतपुर जिले का प्रश्न हो, चाहे पाली का हो, ईश्वर करे और जिलों में बाढ न आये, लेकिन कहीं अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार उसके लिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी ही खराब हो, सार्वजनिक काम समझ कर उसके लिए जितनी धनराशि की जरूरत आयेगी वह देगी । सडकों के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पन्द्रह लाख पहले और पांच लाख अब, कुल बीस लाख भरतपुर और पाली में बाढ में आने वाले इलाकों के लिए दिये थे। हो सकता है कि अलवर जिले में बाढ उस पैमाने पर नहीं आई हो हो सकता है कि अलवर में बाढ का उतना असर नहीं हो, लेकिन अलवर जिले में कुछ सडकें बाढ से टूटी हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती, इसलिए सडकों की मरम्मत के लिए, या टूटी सडकों को ठीक करने के लिए, कार्यवाही की जायगी, यदि वह सडकें भरतपुर में जाती हों तो मेरे ख्याल में इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारी सडकों को, जो बाढ से खराब हुई हैं, ठीक कराने का हम प्रयत्न करेंगे । इसके लिए अभी बीस लाख दिये हैं, और जरूरत, पड जायगी तो उसका राज्य सरकार द्वारा इन्तजाम किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां तक पाली जिले की बाढ़ के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली शहर, बाली शहर दोनों के अन्दर जो नदियों के किनारे, वर्षा से या और वजह से कटाव होने की वजह से शहर के लोगों को खतरा रहता है, उसकी योजना बाढ कंट्रोल के लिए मुकम्मिल करली है और उसको शुरू कर दें जिससे कि नदियों में बाढ़ आये तो वहां के रहने वाले लोगों को खतरा नहीं हो। बाकि

(श्री मथुरादास माथुर)
बास के बांध की मरम्मत का काम शुरू हो गया है और वह काम शीघ्रातिशीघ्र खत्म किया जायगा । इसके अलावा छोटी-मोटी समस्यायें हो सकती हैं, मेरा निवेदन करना है कि, उन समस्याओं की ओर राज्य सरकार, का ध्यान है...

श्री दौलतराम सारण : बालोतरा की ओर ध्यान नहीं दिया ।

श्री मथुरादास माथुर : वह फ्लड में नही है, बालोतरा फ्लड या बाढ में नहीं है । वैसे बालोतरा की तरफ ज्यादा ध्यान है । वहां नदी का कटाव होता है उसका ध्यान है और यह जो योजना है इसके सिलसिले में बाढ़ में आने वाले कस्बों का जिक्र कर रहा हूं।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा, वह बडा गम्भीर प्रश्न है । मेरा ख्याल है, सदन के इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य इस घटना की निन्दा किये बिना नहीं रह सकते । मैं राज्य सरकार की तरफ से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न राज्य सरकार के सामने अभी उठाया गया है, इसलिये इसके बारे में डिटेल्स की बात नहीं की जा सकती, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी जांच-पड़ताल की जायगी, जिससे यह दिमाग में किसी के नहीं रहे कि इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को इस राज्य में किसी तरह पनाह मिल सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां के ट्यूब वैल्स के बारे में जिक्र किया यह ठीक है कि राज्य सरकार ने जालौर जिले में वहां के वाटर पोटेंशियल, अन्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेंशियल की सर्वे करवाई थी, और उसके सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित की है योजना विभाग की ओर से कि वहां पर कई जल कूप खोदे जा सकते हैं और इसलिए वहां बिजली पहुंच जाय तो जो उनमें से पानी निकले उसको जमीन की आबपाशी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है । हम इस योजना को कार्य रुप में परिणत कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । माननीय सदस्य को मालूम है, उपाध्यक्ष जी, मैं आप के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि गये वर्ष में सरकार की आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए इस योजना को बडे पैमाने पर अमल में नहीं ला सके और काम शुरू किया गया और 25 कूए खोदे, जो सक्सेसफुल रहे हैं और इन कुओं में पानी का निशान इतना है कि मेरे ख्याल से, एक एक कुए से कम से कम चार सौ, पांच सौ बीघा जमीन सिंचित की जा सकती है, और बिजली लाने के लिए पालनपुर से बिजली लाने के लिए गुजरात राज्य से चर्चा की है । मैंने निवेदन किया कि प्लान सीलिंग में कमी होने की वजह से योजना पूरी नहीं हो सकी । अब हमारे यहां जो पॉवर जनेरेट हमने की है, उससे काम आगे बढ सके, उससे इस बडी योजना को टेम्प्रेरी पीरियेड के लिए चलाना मुनासिब नहीं होगा । जालौर जिला है, यह बहुत बडा जिला है, और इसमें पानी की पोटेंशियेलिटी है, अन्डर ग्राउन्ड पानी है, जो कि पैरेनियल तरीके से जोधपुर में लाया जा सकता है, तो जो पानी एग्जिस्ट करता है, उसको ध्यान में रखते हुए समय समय

(श्री मथुरादास माथुर)
पर पानी के सोर्सेज का एक्स्प्लॉइट करने की कोशिश करेंगे ।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने डिस्पेंसरी के बारे में कहा कि काफी गांवों में नहीं हैं । मैं इस बारे में बात कर लूंगा, ऐसा इलाका कहीं है कि कई मील तक डिस्पेन्सरी नहीं है तो उसके बारे में विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जितने सवाल उठाये गये हैं · ·

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : बारां की नल योजना 19 लाख की जारी हुई थी उसके बारे में बता दीजिये ।

**श्री रामकिशन** : बारां नहीं रहना चाहिए ।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैंने शुरू में निवेदन कर दिया यह कन्सीडरेशन में है जिले की, कौनसा नाम बताया · ·

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : पेय जल योजना ।

**श्री मथुरादास माथुर** : जल योजना पूरी नहीं हुई । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर सन् 1966-67 में जल योजनायें शुरू हुईं वह जल योजनायें एक साल में खत्म नहीं हो सकतीं, कई जल योजनाओं में दो साल लगते हैं, कई जल-योजनाओं में तीन साल लगते हैं, छोटी योजना हो तो एक साल में हो जाती है । यह योजना पर निर्भर है। तो एक साल में सब योजना पूरी नहीं हो सकतीं । आपको मालूम है कि इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, और बजट के ऊपर बहस के दौरान जब विचार-विमर्श होगा तो मैं आपके सामने इस पर और रोशनी डालूंगा ।

**श्री रामकिशन** : बारां में बाढ आई. उसका क्या हुआ ?

**श्री मुकुटबिहारी लाल** : बारां के अकाल, बाढ सबके बारे में बता दें ।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : अगस्त 1967 में फ्लड आया था और 1957 में भी फ्लड आया था ।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** : अकाल, बाढ, वाटर वर्क्स सबके लिए कह दें बारां के लिए ।

**श्री मथुरादास माथुर** : बारां के माननीय सदस्य · ·

**श्री जयनारायण सारोदिया** : बारह के भाव गये ।

**श्री मथुरादास माथुर** : ने जो कुछ बातें कहीं, व समस्यायें रखीं तो वह कुछ इस तेजी से कहीं, इतने उत्साह से कहीं कि मैं सुन नहीं सका । कुछ इतनी धीमे कह दीं कि मैं समझ नहीं सका · ·

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : आप बातों में लग रहे थे ।

**श्री मथुरादास माथुर** : मेरा निवेदन है कि आपकी दो-तीन बातें हैं, जल-योजना के सिलसिले में, चाहे बाढ के बारे में, चाहे बारां की सडक के बारे में हों—इतने उत्साह और तेजी के साथ में रखते हैं कि मेरे दिमाग में यह असर हुआ है कि कुछ न कुछ काम होना चाहिए ।

**श्री श्रवगलाल** : उपाध्यक्ष महोदय · ·

**श्री मथुरादास माथुर** : मेरा निवेदन है · ·

**श्री श्रवणलाल** : एक बात का जवाब दे दें, आपकी 40 नगरपालिका ऐसी हैं जहां जल-योजना, नल-योजना एल. आई. सी. के पैसे के, लोन के बारे में पडी हुई हैं, उसके बारे में क्या है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं निवेदन कर दूं, कल ग्यारह बजे अगले साल का बजट लेकर आऊंगा, इसलिए मजबूर हूं कि बहुत बातें मैं कहना चाहता हूं वह कह नहीं सकता, इसलिए निवेदन है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कल आपका बण्डल देख लेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय··

**श्री मथुरादास माथुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968 को पारित किया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बज कर 8 मिनिट पर शुक्रवार दिनांक 8 मार्च, 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट (1)

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

**पुलिस वैलफेयर फण्ड के टिकिट**

512. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन)-- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) इस वर्ष झालावाड जिले में पुलिस वैलफेयर फंड के नाम पर कितने रुपयों के टिकिट बेचे गये थे ?

(2) जिले में किन किन पुलिस स्टेशनों या सब-इन्स्पेक्टरों द्वारा कितने कितने टिकट बेचे गये ? प्रत्येक थानेदार ने कितना कितना रुपया इस फंड में जमा कराया ?

(3) उक्त राशि कहां जमा होती है और जमा राशि को कैसे कैसे किसके द्वारा व्यय किया जाता है ?

(4) उक्त राशि कितने सिपाही परिवारों को सहायतार्थ दी गई है ?

(5) उक्त टिकट क्या पाटन मेले के लिये किसी सिनेमा या नृत्य संगीत मंडली के शो प्रदर्शन हेतु दिये गये थे ? यदि हां, तो दर्शकों को कौन सा खेल प्रस्तुत किया गया था ?

(6) क्या आम तौर पर यह टिकिट बस, ट्रक मालिकान को भी दिये गये थे और एक मोटर मालिक को 6-6 पुलिस स्टेशनों से सौ-सौ, पचास-पचास के टिकिट जबरदस्ती दिये गये हैं और उसके इन्कार करने पर बसों, ट्रकों को पुलिस स्टेशनों के सामने खडा करवा दिया गया है ?

**उत्तर**

(1) इस वर्ष झालावाड जिले में पुलिस वैलफेयर फन्ड के नाम पर 34937-00 की धनराशि टिकिट बेचकर प्राप्त की गई है।

(2) जिले में जिन जिन पुलिस स्टेशनों या सब-इन्स्पेक्टरों द्वारा टिकिट बेचे गये हैं तथा प्रत्येक थानेदार द्वारा इस फन्ड में जमा कराई गई धनराशि की सूची संलग्न है।

(3) उक्त राशि बैंक में जमा होती है। जमा राशि को कमेटी के चेयरमैन द्वारा ही कमेटी के निर्णय के अनुसार व्यय की जाती है।

(4) सन् 1967 की जमा हुई धनराशि में से सिपाही परिवारों को सहायता नहीं दी गई। सहायता आवश्यकतानुसार दी जाती है।

(5) जी हां, पाटन मेले में जिला उदयपुर, भीलवाडा, कोटा, टोंक और झालावाड के पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक वेराइटी शो तथा एक मेजिक शो का आयोजन किया गया था इसके अतिरिक्त दुर्गा टाकीज, पाटन में एक सिनेमा "बद्री नाथ की यात्रा" का वह एक सिनेमा महावीर टाकीज अकलेरा में "दिल दिया दर्द लिया" का फिल्म दर्शकों को प्रस्तुत किया गया था।

(6) यह सही नहीं है कि आम तौर पर यह टिकट बस, ट्रक मालिकान को ही दिये गये थे। यह गलत है कि एक मोटर मालिक को छ-छ थानों से 100, 100, व 50-50 के टिकिट जबरदस्ती दिये गये। यह भी गलत है कि ट्रकों व बसों के मालिकों के इन्कार करने पर ट्रकों एवं बसों को पुलिस स्टेशनों के सामने खडा करा दिया गया।

## बेचे गये टिकटों का विवरण

| क्र.सं. | नाम थाना | नाम अधिकारी | बेचे गये टिकिट का ब्यौरा | | | | | टोटल | रकम जो अब तक थानों से प्राप्त हुई | तारीख वसूली रकम | रकम जो थाने से वसूल बाकी हैं | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | कोतवाली झालावाड़ | श्री बृजमोहन लाल पारीक | 250 | 750 | 600 | 400 | 2000 | 1844 | 156 | 12-12-67 | | इसमें 183रु. हिसाब पेटे जमा है। |
| 2. | थाना पाटन | श्री अनवर अली | 500 | 1500 | 800 | 400 | 118 | 3318 | 3318 | 27-11-67 | .. | |
| 3. | थाना भवानी मन्डी | श्री कन्हैयालाल कौशिक | 930 | 430 | 650 | 580 | .. | 2730 | 2360 | 28-11-67 | 370 | |
| 4. | थाना खानपुर | श्री नाथूसिंह | .. | 725 | 550 | 475 | .. | 1750 | 1750 | 14-12-67 | .. | |
| 5. | थाना इकलेरा | श्री कृष्णगोपाल | 500 | 1000 | 800 | 400 | 36 | 2736 | 2736 | 20-11-67 | .. | |
| 6. | थाना एम. थाना | श्री जोधसिंह | 500 | 1000 | 600 | 400 | .. | 2500 | 2240 | 21-11-67 | | |
| | | | | | | | | | 250 | 27-11-67 | | |
| | | | | | | | | | 10 | 30-12-67 | | |
| 7. | थाना सारोल | श्री मदन लाल सोमानी | 150 | 625 | 600 | 445 | 128 | 1948 | 1948 | 18-11-67 | .. | |
| 8. | थाना असनावर | श्री रामगोपाल | 500 | 1000 | 800 | 400 | 222 | 2922 | 2922 | 27-11-67 | .. | |
| 9. | थाना बकानी | श्री वीरेन्द्र सिंह | .. | 650 | 600 | 200 | .. | 1450 | 1450 | 25-11-67 | .. | |
| 10. | थाना मालता | श्री विजयबहादुर सिंह | 400 | 475 | 600 | 200 | 74 | 1749 | 1735 | 20-11-67 | .. | |
| | | | 50 | 25 | 10 | 5 | 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | थाना पिडावा | श्री विजय सिंह | .. | 800 | 400 | 600 | 200 | 2000 | 14 | 12-1-68 | .. | |
| | | | | | | | | | 1250 | 18-11-67 | .. | |
| | | | | | | | | | 500 | 19-12-67 | .. | |
| | | | | | | | | | 250 | 30-12-67 | | |
| 12. | थाना रायपुर | श्री देशराज | .. | 500 | 800 | 600 | .. | 1900 | 1900 | 15-11-67 | .. | |
| 13. | थाना गंगधार | श्री प्रकाश त्यागी | 500 | 1000 | 600 | 800 | .. | 2900 | 2230 | 18-11-67 | 295 | |
| | | | | | | | | | .375 | 9-1-68 | | |
| 14. | थाना डग | श्री बलवान सिंह | 950 | 775 | 800 | 200 | .. | 2725 | 2700 | 18-11-67 | | |
| | | | | | | | | | 25 | 9-1-68 | .. | |
| 15. | थाना श्रावर | श्री रामदास | 50 | 800 | 600 | 505 | .. | 1955 | 1955 | 24-11-67 | | |
| 16. | थाना सूनिल | श्री इब्राहीम अली | .. | 175 | 800 | 200 | .. | 1775 | 1175 | 18-11-67 | .. | |
| | मेले में टिकिट बिके | | 5250 | 12325 | 10600 | 6805 | 778 | 33758 | 34937 | | 821 | |
| | कोटे में टिकिट बेचे | | | | | | | | 227 | | | |
| | | | | | | | | | 200 | | | |
| | | | | | | | | योग .. | 4542)23 | | | |
| | | | | | | | | योग .. | 39906.23 | | | |

हस्ताक्षर

पुलिस अधीक्षक,

मण्डल झालावाड़।

**अधिदर्शकों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति**

513. श्री जयनारायण सांगोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग सन् 1950 के बाद नियुक्त हुए अधिदर्शकों में से कितने स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और कितने अस्थायी पद पर ?

(2) इनमें से कितनों को अब तक स्थायी किया जा चुका है ? जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है उसके क्या कारण है और कब तक करने का विचार है ?

(3) राज्य सरकार के निर्धारित कोटे के अनुसार 25 प्रतिशत अधिदर्शकों की पदोन्नति को ध्यान में रखकर क्या पदोन्नति की गई है ?

(4) जिन अधिदर्शकों का सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक हो चुका है उनकी पदोन्नति के लिय क्या कदम उठाये गये हैं ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

(5) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता पंजिका (सीनियोरिटी लिस्ट) तैयार की गई है। अगर हां, तो अब तक आउट क्यों नहीं हुई ?

(6) क्या ऐसे लोगों की भी पदोन्नति की गई है जिन्हें सरकार द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा प्राप्त नहीं है अथवा डिप्लोमा पास किये हुए नहीं हैं ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

**सांगानेर की जल योजना**

514. श्री सहदेव शर्मा (आमेर)-श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या जल प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला जयपुर में सांगानेर जल योजना का उद्घाटन कार्यक्रम कब और किनके द्वारा सम्पन्न हुआ था ?

(2) इसके सम्पूर्ण करने के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई थी।

(3) क्या जिला परिषद् जयपुर द्वारा इसके लिये सिफारिश की गई थी ?

(4) स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय कर दी गई है ?

(5) इसके पूर्ण होने में कितना समय और लगेगा ?

**उत्तर**

(1) सांगानेर जल योजना का उद्घाटन तो नहीं परन्तु शिलान्यास माननीय मंत्री महोदय श्री हरदेव जोशी के कर कमलों द्वारा दिनांक 1–12–66 को हुवा था।

(2) इसके सम्पूर्ण करने के लिए कुल 4,13,000 धनराशि स्वीकृत हुई है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर जयपुर ने सिफारिश की थी।

(4) स्वीकृत राशि में जनवरी 68 के अन्त तक 22305) रु. व्यय किया जा चुका है।

(5) धन और आवश्यक सामग्री की उपलब्धि के बाद दो वर्ष का समय और लगेगा।

**कोतवाली सवाई माधोपुर में सैनिकों की पिटाई**

515. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26–1–68 ई. को रोनक अली नाम का फौज का सिपाही जो कि छुट्टी पर आया हुआ था, पुलिस थाना सवाई माधोपुर द्वारा उसके घर ईसरदा से कोतवाली सवाई माधोपुर में पुलिस के सिपाहियों के जरिए बुलाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही कि उक्त सिपाही को रात्रि में थाने में बुरी तरह पीटा गया और उसके पे बुक में छुट्टी का इन्द्राज व हैडक्वार्टर से एडवान्स तनख्वाह के 350) रु. का इन्द्राज पे बुक में दिनांक 1–1–68 का होते हुए भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया?

(3) उक्त सिपाही फिर किसने किस कारण आजाद किया?

(4) क्या पुलिस के उच्चाधिकारी एस. पी. ने इस मामले में कोई जांच की? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। स्थिति इस प्रकार पाई जाती है कि जब रौनक अली, भागे हुए फौजी को वारन्ट की तामील में बुलाया जाकर गिरफ्तारी के पूर्व जामा तलाशी ली जारही थी तो उसने हैड कान्सटेबल के थप्पड मारा इस पर दोनों के बीच हाथापाई हुई। उक्त गिरफ्तारी रोनक अली के पास पे बुक नहीं होना बताया जाता है। किन्तु बाद में ये कागजात मिले जो कब्जे पुलिस लिये गये।

(3) उक्त फौजी के खिलाफ थाने में पुलिस हैड कान्सटेबल के साथ मारपीट के आरोप पर एक केस ह. दफा 353।332 ता.हि. दर्ज किया गया था। तत्काल कोई जमानत देने वाला नहीं होने से उसे आजाद नहीं किया जा सका। दूसरे दिन जमानत देने वाला आने पर उसे अदालत द्वारा आजाद किया गया।

(4) सुपरिन्टेन्डेट पुलिस, सवाई माधोपुर ने डिप्टी एस. पी. सवाई माधोपुर को इस घटना के बाबत जांच करने के लिये आदेश दे दिये हैं। इस मामले में हैड कान्स्टेबल को उक्त फौजी के साथ कार्यवाही करने में अनावश्यक जल्दबाजी व असावधानी करने के कारण सस्पेन्ड कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

**गार्डन सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध जांच**

516. **श्री राम किशन** (वैर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीधर बृजवासी, गार्डन सुपरिन्टेन्डेन्ट के [illegible] शैक्षणिक योग्यता का झूठा प्रमाण-पत्र पेश कर राज सेवा में पदोन्नति प्रात करने के अभियोग की जांच की जा रही है?

(2) क्या जयपुर सर्किल गार्डन यूनियन ने उक्त अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं जाली प्रमाण-पत्र पेश करने की कई शिकायतें, अलग अलग समय पर मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक

(श्री रामकिशन)
निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री तथा भ्रष्टाचार निरोध विभाग को प्रस्तुत की हैं? अगर हां, तो इनमें से किसी भी विभाग तथा अधिकारी ने श्री लक्ष्मीधर बृजवासी के संबंध में जांच की है?

उत्तर

(1) जाली हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा चुकी है।

(2) जी हां। जाली हाई स्कूल सर्टिफिकेट की जांच सरकार द्वारा तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई।

राजस्थान होटल कारपोरेशन

517. श्री गंगा सहाय (कठूमर सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान होटल कोरपोरेशन का निर्माण कब और क्यों किया गया?

(2) इसमें कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं?

(3) इन कर्मचारियों पर कितना खर्च प्रतिवर्ष किया जाता है?

(4) कहां कहां पर इस कोरपोरेशन द्वारा संचालित होटल स्थित हैं?

(5) इन होटलों के संचालन से कारपोरेशन को कितनी आय होती है?

(6) क्या इस कोरपोरेशन के संचालन से अभी तक सरकार को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ हुआ है? यदि हुआ है तो कितना?

(7) इस कोरपोरेशन की सेवा में कितने लोग अनुसूचित जाति के हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान होटल कारपोरेशन का निर्माण दिनांक 7 जून, 1965 को हुआ तथा इसने अपना कार्य दिनांक 1-7-65 से प्रारम्भ किया। राजस्थान में होटल की कुछ इकाइयों को मिलाकर, जिससे वे एक ही केन्द्र के प्रशासन के अन्तर्गत रह सकें और उन सब इकाइयों की उन्नति एवं वहां ठहरने वालों को आवास की पूरी सुविधा उचित दरों पर मिल सके आदि बातों को ध्यान में रखते हुए इस कारपोरेशन का निर्माण किया गया।

(2) कुल 119 कर्मचारी कार्य करते हैं।

(3) एक वर्ष का खर्चा 3,28,094 रुपया हुआ है।

(4) जयपुर, सिलिसेड (अलवर) एवं उदयपुर।

(5) इन होटलों के संचालन में निगम को निम्न वर्षों में उनके सामने अंकित आय हुई :—

| | |
|---|---|
| 1965-66 | 4,27,423) रु. |
| 1966-67 | 8,55,077) रु. |
| | 12,82,500) रु. |

(6) निगम से अभी तक कोई आर्थिक लाभ नहीं हुवा।

(7) निगम की सेवा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 12 व व अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या 14 है।

# Page No. 130



### अयाना चौकी के सिपाहियों के साथ मारपीट

518. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के पीपल्दा तहसील में स्थित चौकी अयाना पर दिनांक 19–11–67 को रात्रि में कुछ लोगों ने थानेदार व हैड कान्सटेबिल के कार्य अन्जाम के समय कुछ सिपाहियों के साथ मारपीट की थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कोई तफतीश उच्चाधिकारियों द्वारा की गई ?

(3) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। इस केस का अनुसंधान होम इन्सपेक्टर कोटा कर रहे हैं।

4. इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 30 दिनांक 20–11–67 ह.द. 148।452।332 ता. हि. थाना इटावा का अनुसंधान जारी है।

### राजगढ़ सिद्धमुख सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा

519. श्री रावतराम (छापर–सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ठाकरसिंह चनाराम चमार मौजा किशनपुरा तहसील राजगढ (जिला चूरू) के खेत में से राजगढ सिद्धमुख सडक जो अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत चालू की गई थी, पत्थर की रोडियां यह आश्वासन दे कर निकाली गई थी कि तुम्हें उचित मुआवजा समय पर दे दिया जायगा? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को कितना मुआवजा कब दिया गया? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या खरीफ फसल बोने के पहले उक्त व्यक्ति के खेत से पत्थर की रोडियां उठा ली गई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि रोडियां के कारण उक्त व्यक्ति अपने खेत को जोतने में कामयाब नहीं रहा? यदि हां, तो इस हरजाने के एवज में सरकार कितना मुआवजा सम्बन्धित व्यक्ति को देने का विचार रखती है और अब ये रोडियां कब तक उठा ली जायगी ?

उत्तर

(1) तहसीलदार राजगढ जिला चूरू को मुआवजा भुगतान के लिये चैक भिजवा दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राजस्व विभाग से जो अवार्ड हुवा उसके अनुसार भुगतान का चैक भिजवा दिया है। इसके अतिरिक्त रकम देने की इस विभाग को पावर नहीं है।

### नागौर में टी. बी. क्लिनिक का भवन

520. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(1) नागौर शहर में टी.बी. क्लिनिक का भवन कब तक बनाने का सरकार का विचार है ?

(2) नागौर के टी.बी. क्लिनिक में 1 जनवरी, 67 से 31-12-67 तक कितने रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ किया एवं इस टी. बी. क्लिनिक में राज्य सरकार ने तारीख 1-1-67 से 31-12-67 तक कितने रुपयों की औषधियां, औजार व सामान उपलब्ध कराये ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा उचित धनराशि उपलब्ध होने पर टी.बी. क्लिनिक नागौर के भवन का निर्माण कर दिया जायेगा।

(2) 104 रोगियों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है।

औजार व सामान उपलब्ध कराये सन् 66–67, रु. 1804)

औजार व सामान उपलब्ध कराये सन् 67–68 रु. 2000)

दवाइयां व सामान उपलब्ध कराये सन् 66–67, रु. 6891–31

दवाइयां व सामान उपलब्ध कराये सन् 67–68 रु. 7410.11।

**बीकानेर में लुहारों को बसाने के लिए सहकारी समिति**

521. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर में गाडिया लुहारों को बसाने के लिए कोई सहकारी समिति बनाई गई थी और उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए सोसाइटी की मारफत इनको लोहा दिया जाता था ?

(2) क्या अब भी वह लोहा इनको दिया जाता है या उसके परमिट दूसरों को दे दिए जाते हैं और उनको वंचित रख दिया जाता है ? और ऐसा है, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

1. बीकानेर में गाडोलिया लुहारों की एक गाडोलिया लोहार उत्पादक सहकारी समिति बनाई गई थी और उसको लोहा भी दिया जाता था।

2. अब लोहे पर से नियंत्रण हट गया है—अत: परमिट देने या न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**राजकीय प्रवास भवन के कर्मचारी**

522. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डोन सु.): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्रवास भवन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश नहीं मिलते हैं अथवा उनका उपयोग उन्हें नहीं करने दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा के सत्र के दौरान उनकी साप्ताहिक छुट्टी भी उन्हें नहीं दी जाती और न ही उन्हें इसके लिये कोई ओवरटाइम अलाउन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री श्रवणलाल)

(3) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों से आठ घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय प्रवास भवन के मैनेजर के घर पर ये कर्मचारी उनका घरू काम करते हैं ? यदि हां, तो किस किस कर्मचारी को किस किस कार्य के लिये लगाया हुआ है ?

(5) सरकार उक्त नियम विरुद्ध कार्यों के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। राजकीय प्रवास भवन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश मिलते हैं एवं उनका उपयोग उन्हें करने दिया जाता है।

(2) जी नहीं। विधान सभा सत्र के दौरान उनकी साप्ताहिक छुट्टी भी उन्हें दी जाती है। ओवर टाइम अलाउन्स के बजाय आवश्यकतानुसार उतने ही समय की छुट्टी दे दी जाती है।

(3) जी नहीं। किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाता है।

(4) जी नहीं। मैनेजर, राजकीय प्रवास भवन के घर पर ये कर्मचारी उनका निजी काम नहीं करते ह।

(5) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**नगरपालिकाओं म प्रशासक**

523. **श्री गोरधन सोनी** (मेडता) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी 67 म कितनी नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किए गए थे ?

(2) ऐसे कुल कितने अधिकारी हैं जिन्हें एक से अधिक नगरपालिकाओं में प्रशासकीय कार्य सुपुर्द किया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाए।

(3) क्या ऐसी भी नगरपालिकाएं हैं जहां सक्षम राजकीय अधिकारी उपलब्ध होते हुए भी दूसरे स्थान के अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो ऐसी नगरपालिकाओं की सूची सदन की मेज पर रखी जावे और ऐसी नियुक्ति करने का कारण बताने की कृपा करें।

**उत्तर**

1. जनवरी 67 में 64 नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये थे।

2. जनवरी 67 म ऐसे चार अधिकारी थे जिन्हें एक से अधिक नगरपालिकाओं का प्रशासकीय कार्य सौंपा गया लेकिन अब केवल एक अधिकारी सब-डिवीजनल ऑफिसर, परबतसर है जो कुचामन व मकराना नगरपालिका के प्रशासक हैं। सूची मेज पर रखदी गई ह।

3. जी नहीं।

## सूची

माह जनवरी, 67 में जब नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये थे, उस समय एक ही अधिकारी एक से ज्यादा नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किया गया था यह सूचना निम्न प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| 1. नगरपालिका, सांभर<br>2. नगरपालिका, फुलेरा | सब-डिवीजनल ऑफिसर, सांभर |
| 1. नगरपालिका, लाडनूं<br>2. नगरपालिका, डीडवाना | सब-डिवीजनल ऑफिसर, सांभर |
| 1. नगरपालिका, परबतसर<br>2. नगरपालिका, मकराना<br>3. नगरपालिका, कुचामन | सब-डिवीजनल ऑफिसर, परबतसर |
| 1. नगरपालिका, रामगंज मंडी<br>2. नगरपालिका, भवानी मंडी | सब-डिवीजनल ऑफिसर, रामगंज मंडी |

### बाडमेर क्षेत्र में पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा घुसपैठ

524. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 67 से अब तक महीने में पाकिस्तानी नागरिक भारतीय क्षेत्र में घुसे ? यदि हां, तो कितने कब कब और किस किस क्षेत्र म घुसे और उन्होंने क्या क्या बारदातें की हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 10-7-67 को पाकिस्तानी नागरिक बाडमेर इलाके में घुस आये और एक किसान को और उसकी घोडी को उठाकर ले गये ? यदि हां, तो वह किसान सीमा से कितने गज अन्दर था ?

(3) क्या यह सही है कि ये पाकिस्तानी वहीं से वापिस नहीं लौटे बल्कि और भी अन्दर तक घुस आये ?

(4) ये पाकिस्तानी नागरिक किन वाहनों से [illegible] थे और क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति पकडा गया ?

(5) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की कोई जांच करवाई है, और क्या उनमें कोई ऐसे व्यक्ति दोषी पाये गये जो अपनी सीमा के अन्दर रहने वाले हों ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

1. जी हां। यह सच है कि माह जुलाई से अब तक हर महीने में पाकिस्तानी भारतीय क्षेत्र में घुसे।

| जिला | | जौलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बाडमेर .. | .. | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| जैसलमेर | .. | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 |
| बीकानेर | .. | — | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| गंगानगर | .. | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| योग | .. | 15 | 11 | 8 | 5 | 12 | 14 |

इनमें से 50 केस चोरी के, 4 लूट, 5 अपहरण के, 4 मुठभेड तथा 2 केस हत्या के हैं।

2. जी हां, यह सही है कि दिनांक 10-7-67 को सात पाक नागरिक भारतीय सीमा में ग्राम तिरमोही (गडरा रोड) के पास 1॥ मील अन्दर भारतीय सीमा में आये तथा अर्जुन पुत्र निम्बा निवासी देदुसर हाल भीलों की ढाणी जो अपने खेत में हल चला रहा था, को मय घोडी के अपहरण कर ले गये।

3. जी नहीं। ये पाक नागरिक उक्त वारदात के पश्चात् वापिस पाक लौट गये।

4. ये पाक नागरिक पैदल ही आये थे। तथा हथियारों से लैस थे इनमें से कोई व्यक्ति पकडा नहीं गया।

5. इन मामलों की जांच की गई तो अनुसंधान से ऐसा कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया जो भारतीय सीमा का रहने वाला है।

**नगरपालिका श्री माधोपुर के सदस्यों की जांच**

525. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने सन् 1967 में नगरपालिका श्रीमाधोपुर के कुछ सदस्यों के खिलाफ जांच जिलाधीश से करवाई थी? यदि हां, तो किस किस सदस्य के खिलाफ?

(2) क्या जिलाधीश ने रिपोर्ट (जांच) सरकार के पास भेज दी? यदि हां, तो कब भेजी व क्या रिपोर्ट के अनुसार, ये सदस्य दोषी पाये गये? यदि हां, तो आज तक राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

**निर्धारित संख्या से अधिक पदों का निर्माण**

526. श्री भैरोंसिंह शेखावत: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में 66-67 व 67-68 में सुपरन्यूमरेरी पोस्ट निर्धारित की गई थी ?

(2) निर्धारित संख्या से अधिक और कितने पदों का निर्माण किया गया तथा क्यों, कब से ? इन पदों पर किन किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया ?

(3) किन किन अधिकारियों को नियुक्ति से पूर्व की तारीख से इन पदों पर नियुक्त किये जाने का लाभ दिया गया और क्यों ?

(4) नियुक्ति को पहले की तारीख से प्रभावशाली करने के कारण किस किस अधिकारी को अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते के रूप में कितना कितना रुपया मिला ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिय प्रार्थना की गई )

**स्थगित प्रश्न**

(22-2-68)

**नेहरू फण्ड की रकम**

212. **श्री गोरधन सोनी** (मेडता) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुखदेव आर्य, भूतपूर्व एस. डी. ओ. ने नेहरू फण्ड के लिये काफी रकम इकट्ठी की थी ?

(2) क्या यह सही है कि यह रकम जमा नहीं कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि उस रकम का गबन हो गया ? यदि नहीं, तो उसका क्या आ ?

(4) कितनी रकम एकत्रित की गई थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(4) कुल रकम 4010) रु. एकत्रित की गई ।

**स्थगित प्रश्न**

(29-1-68)

**तहसीलदार किशनगंज के विरुद्ध शिकायत**

174. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार किशनगंज की रिपोर्ट पर बंगाली कालोनी घट्टा घट्टी में रहने वाले 2 बंगाली विस्थापितों के विरुद्ध कुछ माह पूर्व पुलिस में कोई रिपोर्ट अंकित हुई है ? यदि हां, तो किस तारीख को एफ. आई. आर. लिखी गई और उसमें क्या रिपोर्ट अंकित हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस ने एक दो बंगाली विस्थापितों को गिरफ्तार करके बारां सब-जेल में बन्द किया था ? यदि हां, तो किस तारीख को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार किशनगंज ने उक्त बंगाली विस्थापितों को डंडों से बुरी तरह से पीटा था और उसकी

# Page No. 136



शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो तहसीलदार के विरुद्ध क्या शिकायत हुई ?

उत्तर

(1) यह इस संशोधन के साथ सही है कि तहसीलदार किशनगंज की रिपोर्ट पर नहीं बल्कि मन्नालाल चपरासी की रिपोर्ट पर बंगाली कालोनी घट्टा घट्टी में रहने वाले 6 न कि 2 बंगाली विस्थापितों के विरुद्ध दिनांक 27-4-67 को रिपोर्ट थाना नाहरगढ में अंकित हुई थी । इस सूचना में नरेन विश्वास, अनिल विश्वास, औधरि सरकार, विनोद माथन, कुमुद विश्वास और सुनील विश्वास के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गई कि उन्होंने तहसील के मुलाजमान के साथ मारपीट की व सुखलाल मण्डल द्वारा छोड़े हुए गाय बछड़े व बैल जो तहसील कर्मचारियों ने कब्जे में ले लिये थे, को छुडा कर ले गये ।

(2) यह सही नहीं है । अभियोग धारा 332।353 भा. द. सं. का था जो काबिल जमानत है जिसमें अभियुक्त गण को एक एक हजार रुपये की जमानत लेकर जमानत पर दिनांक 6-5-67 को छोडा गया था उनको जुडिशियल हवालात में नहीं रखा गया ।

(3) यह सत्य नहीं है । अपराध के अनुसंधान के वक्त तहसीलदार किशनगंज के द्वारा बंगाली विस्थापितों को डंडों से मारना नहीं पाया गया और न थाने में किसी बंगाली विस्थापित ने इस किस्म की शिकायत तहसीलदार के विरुद्ध की है ।

**स्थगित प्रश्न**

(22-2-68)

**सहकारी बैंक झुंझुनूं में गबन का मामला**

**226. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** :

क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं सहकारी बैंक में करीब दो-तीन लाख रुपयों का गबन जो कुछ वर्ष पूर्व हुआ था उसकी जांच पुलिस विभाग संबंधित विभाग द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो दोनों विभागों की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस जांच-रिपोर्ट में बैंक से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति अपराधी पाए गए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन व्यक्ति गबन के अपराधी सावित हुए और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

**उत्तर**

(1) जी हां । रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ने यह जांच बैंक के अध्यक्ष द्वारा करवायी । इस जांच के बारे में टिप्पणी सदन की मेज पर रखदी गई है । जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में न होने के कारण नहीं रखी गई है ।

पुलिस विभाग द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट सहकारी विभाग में प्राप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(2) पुलिस जांच रिपोर्ट के बारे में सहकारी विभाग द्वारा कोई सूचना पेश करना संभव नहीं है, क्योंकि यह सहकारी विभाग में प्राप्त होने का कोई प्रश्न नहीं ।

(सूची-विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(23-2-68)

मल्हारसिंह बाग, झालावाड़ से आय

245. श्री लक्ष्मण तानोवाल (डग-सु.) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिला कृषि विभाग के अन्तर्गत चलने वाले एक मल्हारसिंह नामक बाग की आमदनी 3-4 वर्ष पूर्व लगभग 3000) रु. से ऊपर थी किन्तु अब सन् 65 में लगभग 4000) रु. का देशी खाद डालने के बाद व 50 बीघा असिंचित भूमि भी इसमें मिला देने पर सरकार को लागत खर्च से ही कम नहीं वरन् गत वर्ष से भी कम आमदनी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गत 63-64 में बाग की आमदनी 5006) रु. तथा 64-65 में रु. 6140) थी। वर्षा की कमी तथा कुछ पेड़ों के सूख जाने से आमदनी घट कर 65-66 में रु. 2088) तथा 66-67 में रु. 2746) हो गयी।

इस बाग के क्षेत्रफल में कोई बढोत्तरी नहीं हुई है।

स्थगित प्रश्न

(28-2-68)

जिला नागौर में सड़क निर्माण में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

374. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं वह बिना जमीन को एक्वायर किये ही बना दी जाती हैं ? यदि हां, तो जिला नागौर में ऐसी कौन कौन सी सड़कें हैं जिनकी जमीन को अभी भी एक्वायर नहीं की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो सड़कें बनाई जाती हैं बाद में जमीन एक्वायर की जाती है और मुआवजे का भुगतान बहुत देरी से होता है ? यदि हां, तो सन् 1952 के बाद जिला नागौर में अब तक बनी सड़कों की जमीनें कब कब एक्वायर की गई, मुआवजा कब दिया गया तथा सड़क बनने के बाद कब कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) साधारणतया ऐसा नहीं होता फिर भी कुछ मामलों में भूमि अवाप्तगी नहीं हो पाई तथा कुछ में कार्यवाही हो रही जिनकी सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) सड़क निर्माण की आवश्यकता को देखते हुये मुआवजा दिये जाने से पूर्व सड़क निर्माण कराया गया है और बाद में मुआवजा भुगतान किया है उन सड़कों की सूची (ब) प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(29-2-68)

सवाई माधोपुर में नजूल की जमीन पर दुकानों का निर्माण

370. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गाड़ी कटला बाजार कस्बा सवाई माधोपुर में गलता जी के बाग वाली नजूल जमीन को कल्याण माली नाम के व्यक्ति ने अपनी बतला कर रमजानी लुहार को बेच दिया ?

(2) क्या यह सही है कि रमजानी लुहार ने इस जमीन को कल्याण माली से खरीदी होना बतला कर नगरपालिका से दुकान की इजाजत मांगी ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका में रमजानी के दरख्वास्त देने से पहले श्री रेलूमल सिंधी की एक दरख्वास्त इसी जमीन को नगरपालिका से खरीदने बाबत कई महीने पहिले से दे रक्खी थी ?

(4) क्या यह सही है कि प्रशासक, नगरपालिका ने बिला टाउन सर्वे के रेकार्ड देखे तथा बिला इस बात की जांच किये कि कल्याण माली जिसने रमजानी को जमीन बेची किस प्रकार इस जमीन का स्वामी हुआ ? रमजानी को बिला नजराना दुकान बनाने की इजाजत दे दी और रेलूमल प्रार्थी को इसका पता तक नहीं लगने दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि यह जमीन लबे सड़क मेन मार्केट पर स्थित होने के कारण बहुत कीमती है ?

(6) क्या यह सही है कि रमजानी रजिस्टर्ड फैब्रीकेटर है और टिन शीट्स का कोटा उसको मिलता रहा है ?

(7) रमजानी को इजाजत कब दी गई और उस समय प्रशासक कौन थे ? और राज्य सरकार इस विषय में अब क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) रमजानी लुहार द्वारा जमीन कल्याण माली से खरीद की गई थी, किन्तु नगरपालिका से दुकान बनाने की इजाजत नहीं मांगी गई। कच्चे मकान से पक्के मकान बनाने की इजाजत मांगी गई।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही नहीं है।

(5) जी नहीं। यह भू-खण्ड लबे सड़क नहीं है।

(6) यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(7) श्री रमजानी को दुकान बनाने की कोई इजाजत नहीं दी गई बल्कि मकान बनाने की इजाजत दी गई थी उस समय श्री रामनारायण सक्सेना एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर प्रशासक का कार्य कर रहे थे और इजाजत दिनांक 29-6-67 को दी गई थी चूंकि मामले में जिलाधीश के यहां अपील निर्णयाधीन है यहां अभी कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(29-2-68)

नीम-का-थाना-पाटन सड़क की मरम्मत

354. श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम-का-थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का थाना-पाटन रोड का चार मील का टुकडा खराब हालत में पडा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो उक्त खराब टूटे हुए सडक के टुकडे की मरम्मत कब तक कराई जावेगी और अब तक मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण है ?

(3) क्या इस नीम-का-थाना-पाटन रोड के 8 मील के टुकड़े पर डामर डलवाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ठेका दिया गया था किन्तु ठेकेदार ने कार्य पूरा नहीं किया है इस वर्ष अर्थाभाव के कारण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

(3) डामर का कार्य तृतीय योजना में स्वीकार नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(29-2-68)

सांड व बैलों की खरीद

360. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितनी कितनी धनराशि के राज्य के बाहर किस किस जगह से कितने कितने सांड व बैल तथा अन्य जानवर खरीदे गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य से बाहर जानवरों की खरीद करने के कारण क्या क्या हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1959-60 से लेकर 1967-68 तक राज्य के बाहर से क्रय किये गये जानवरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विशुद्ध नस्लों के जानवर राज्य में उपलब्ध नहीं होने के कारण नस्ल सुधार हेतु ये जानवर बाहर से क्रय करना जरूरी था, और यही कारण था जिससे इन जानवरों को राज्य के बाहर से खरीदा गया है।

## सूची

राज्य के बाहर से निम्न धनराशि के सांड, गायें, भैंसा सांड, बछड़, बछड़ी एवं बकरे क्रय किये हैं :—

जानवरों का विवरण

| वर्ष | सांड संख्या | सांड कीमत | गायें संख्या | गायें कीमत | भैंसा सांड संख्या | भैंसा सांड कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1960-61 .. | 50 (गीर) | 25,390 | .. | .. | .... | .. |
| 1961-62 .. | 51 (हरियाना) | 37,110 | 26 (गीर) | 21,500 | 5 (मुर्रा) | 5,960 |
| 1962-63 .. | 165 (23 मालवी, 142 हरियाना) | 1,38,770 | 48 (40 गीर, 8 हरियाना) | 41,451 | (28 (") | 27,820 |
| 1963-64 .. | 149 (32 मालवी, 117 हरियाना) | 118,248 | 10 (हरियाना) | 6725 | 11 (") | 10,000 |
| 1964-65 .. | 93 (4 गीर 89 हरियाना) .. | 78,925 | (11 गीर) | 8,800 | 19 (") | 18,050 |
| 1965-66 .. | 61 (11 गीर 60 हरियाना) | 60,350 | 36 (21 हरियाना 15 गीर) | 31,500 | 11 (") | 11,600 |
| 1966-67 .. | 104 (मालवी 99 हरियाना) | 104,522 | .. | .. | 29 (") | 35,750 |
| 1967-68 .. | 22 (हरियाना) .. | 23,907 | .. | .. | 19 (") | 23,700 |
| | कुल योग—705 | 586,585 | 131 | 1,09,976 | 122 | 1,32,880 |

| बछड़े संख्या | बछड़े कीमत | बछड़ी संख्या | बछड़ी कीमत | बकरे संख्या | बकरे कीमत | क्रम स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | 103 (जमनापारी) | 10,000 | ज़िला भरताना ईटावा (यू. पी.) |
| .. | .. | .. | .. | 18 (जमनापारी) | 2,000 | महाराष्ट्र, गुजरात, ईटावा |
| 1 (गीर) | 500 | .. | .. | 19 (,,) | 2,000 | दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा एवं ईटावा |
| 50 (हरियाना) | 33420 | .. | .. | 15 (,,) | 2,387 | मध्य प्रदेश, दिल्ली, रोहतक, हिसार सिरसा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं ईटावा |
| .. | .. | .. | .. | 17 (,,) | 2,000 | गंगधार, उज्जैन, रतलाम, हरियाना, दिल्ली, एवं ईटावा |
| 8 (गीर) | 9,650 | 3 (गीर) | 6,100 | 13 (,,) | 2,000 | महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा, ईटावा |
| 8 (गीर) | 5,025 | 1 (गीर) | 500 | 14 (,,) | 2,190 | महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हिसार, सिरसा, हरियाना, एवं ईटावा |
| .. | .. | .. | .. | 21 (,,) | 5,000 | मध्य प्रदेश, हरियाना, दिल्ली, हिसार, सिरसा एवं ईटावा |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | दिल्ली, रोहतक, हिसार, सिरसा |
| 67 | 48,595 | 4 | 6,600 | 220 | 27,577 | |

बैल राज्य में ही उपलब्ध होने के कारण बाहर से नहीं खरीदे गये ।

**अल्प सूचना प्रश्न**

**श्री गंगा सहाय ( कठूमर सु. ):** क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में तीन लिपिकों के स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित थे ।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 13-2-68 को उक्त पदों के लिये उम्मीदवारों को साक्षात्कार पशुपालन विभाग, जयपुर में हुआ था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों पदों पर गैर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति करली गई है ?

**उत्तर**

1. जी, नहीं ।
2. जी, हां ।
3. जी, नहीं ।

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 193 की सूची)

अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की सूची जो जिलाधीश व उप-खण्ड अधिकारी के पदों पर हैं :--

1. श्री जी. रामचन्द्र, आई. ए. एस., जिलाधीश, चूरू। (अनुसूचित जन-जाति)
2. श्री महेन्द्रसिंह, आई. ए. एस., जिलाधीश, जालौर। (अनुसूचित जाति)
3. श्री चन्द्रप्रकाश, आई. ए. एस., उप-खण्ड अधिकारी, किशनगढ़ बास।(अलवर) (अनसूचित जन जाति)
4. श्री हनुमान प्रसाद, आई. ए. एस., उप-खण्ड अधिकारी, डीडवाना। (अनुसूचित जाति)
5. श्री सी. एल. कंवरिया, आर. ए. एस., उप खण्ड अधिकारी, सांभर। (अनुसूचित जाति)
6. श्री रामचन्द्र जेफ, आर. ए. एस., उप खण्ड अधिकारी, बहरोड। (अनुसूचित जाति)
7. श्री रोशनलाल, आर. ए. एस., उप-खण्ड अधिकारी, करनपुर। (अनुसूचित जाति)
8. श्री कानसिंह रावल, आर. ए. एस., उप-खण्ड अधिकारी, (दक्षिण) बीकानेर। (अनुसूचित जाति)

नोट:--इनके अतिरिक्त:--

1. कुमारी जूमकी सैरिंग, आई. ए. एस., सहायक जिलाधीश प्रशिक्षणार्थ, जयपुर। (अनुसूचित जन-जाति)
2. श्री नन्द किशोर बरवा, आई. ए. एस., राष्ट्रीय आकदेमी मंसूरी में प्रशिक्षण पा रहे हैं। (अनसूचित जाति)

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची)

कनिष्ठ लिपिक से उप-निरीक्षक के पद तदर्थ की गई पदोन्नति, उनकी सूची

| क्रमांक | नाम | सर्विस में आने की तारीख | योग्यता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री शक्ति सिंह .. .. .. | 9-11-49 | दसवीं पास |
| 2. | श्री ओम प्रकाश .. .. .. | 20-11-49 | दसवीं पास |
| 3. | श्री गनपत मल .. .. .. | 21-1-52 | दसवीं पास |
| 4. | श्री दुर्गालाल .. .. .. .. | 20-7-60 | दसवीं पास |
| 5. | श्री विशम्बर दयाल .. .. .. | 24-8-57 | दसवीं पास |
| 6. | श्री गोरधन सिंह .. .. .. | 3-6-56 | दसवीं पास |
| 7. | श्री प्यारे लाल .. .. .. | 6-8-56 | एफ.ए |
| 8. | श्री रामकरण .. .. .. .. | 16-5-58 | दसवीं पास |
| 9. | श्री लक्ष्मण दास .. .. .. | 30-7-52 | दसवीं पास |
| 10. | श्री राम राज .. .. .. .. | 25-8-55 | दसवीं पास |
| 11. | श्री मोहन लाल .. .. .. | 10-11-55 | दसवीं पास |
| 12. | श्री राम देव .. .. .. .. | 9-2-57 | दसवीं पास |
| 13. | श्री शकीलउर रहमान .. .. .. | 17-7-58 | बी. ए. |
| 14. | श्री रघुनन्दन शर्मा .. .. .. | 26-8-65 | मैट्रिक |
| 15. | श्री महेन्द्र सिंह .. .. .. | 30-5-66 | मैट्रिक |

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्र. स. 200 की सूची)

दिनांक 1-1-67 लगायत 1-1-68 तक मण्डल झालावाड़

| क्रमांक | अपराध | रिपोर्ट हुई | अदम व कूआ: झूठो | अदम व कूआ: अबसद | 157 (बी) जा. फौ. | लापता | अदम सबूत | पैण्डिग तफतीश: 3 माह से कम | पैण्डिग तफतीश: 3 माह से ज्यादा | 512 जा. फौ. | चालान | सज़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | डकैती 395, से 39?, 402 | 4 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . |
| 2. | क़त्ल 302, 303 | 25 | . | . | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | . |
| 3. | 304 त. हि. | . . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . |
| 4. | इक़दाम क़त्ल 307, 308 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5. | लूट 392, 394, 397, 398 | 15 | 3 | 3 | . | 2 | . | 4 | 1 | 1 | 4 | . |
| 6. | नक़बज़नी माल 449 से 452, 457 से 460 | 210 | 21 | 21 | . | 130 | . | 19 | 9 | . | 32 | 1 |
| 7. | नक़बज़नी बिना माल 449 449 से 460 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8. | मवेशी चोरी 379 से 380 | 58 | 8 | 8 | . | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | . |
| 9. | तांबे के तार की चोरी | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10. | साइकिल चोरी | 6 | 1 | 1 | . | 3 | . | . | . | . | . | . |
| 11. | जेब कटी | 4 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 1 |
| 12. | मोटर व पुर्जों की चोरी | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 |
| 13. | फ़ायर आर्म्स की चोरी | . . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . |
| 14. | एक्सप्लोजिव की चोरी | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15. | अन्य क़िस्म की चोरी | 120 | 16 | 16 | 11 | 17 | 4 | 12 | 13 | 3 | 37 | 5 |
| 16. | तस्कर गल्ला व्यापार | 69 | 12 | 12 | . | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 40 | 12 |
| | तस्कर अफ़ीम | 29 | | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 25 | 1 |

# Page No. 146



| | | पैन्डिग ट्रायल | | | बरामदगी माल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रिहा/बरी | राजी नामा | 3 माह से कम | 3 माह से ज्यादा | माल जो चोरी | जनता द्वारा | पुलिस द्वारा | योग बरामदगी |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| .. | .. | 1 | 1 | 4133-37 | .. | .. | 1756-37 पी. |
| .. | .. | 7 | 10 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | 2 | 2 | 2972-00 | .. | .. | 1463-00 |
| .. | .. | 7 | 24 | 91857-17 | .. | .. | 34121-01 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | 1 | 8 | 16 | 32776-50 | .. | .. | 27000-00 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 1 | 690-00 | .. | .. | 540-00 |
| .. | .. | 1 | 1 | 478-00 | .. | .. | 305-00 |
| .. | .. | 1 | .. | 20235-00 | .. | .. | 19517-00 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | 12 | 18 | 19246-02 | .. | .. | 12033-57 पी |
| 2 | 2 | 5 | 21 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | 8 | 16 | .. | .. | .. | .. |

पुलिस अधीक्षक,
मण्डल, झालावाड़ ।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची)

मुकदमात तालिका (केटल लिफ्ट एवं खयानत)

| क्र. सं. | मद | सन् | रि-पोर्ट | अदम वकू | अदम पता | अदम सबूत | योग | जेर तफ-तीश | चा-लान | सजा | रिहा बरी | राजी नामा | जेर तज-वीज | चोरी गया माल | बरामद किया माल | प्रतिशत बरामदगी | प्रतिशत सजा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | सरका मवेशी | 1965 | 30 | 10 | 4 | 1 | 15 | .. | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11535.00 | 10025.00 | 71 प्रति. | 66 प्रति. |
| | | 1966 | 46 | 12 | 7 | .. | 19 | .. | 27 | 7 | 1 | 4 | 15 | 36670.00 | 33051.00 | 89 प्रति. | 87-112,, |
| | | 1967 | 59 | .. | .. | .. | 22 | 6 | 31 | 1 | 1 | .. | 29 | 28115.99 | 19850.00 | 60 प्रति. | 66 ,, |
| 2. | खयानत (गबन) | 1965 | 7 | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | .. | 3 | 6092.25 | 2566.00 | . | .. |
| | | 1966 | 8 | 1 | .. | 1 | 2 | 4 | 2 | .. | .. | .. | 2 | 966.00 | 466.05 | .. | .. |
| | | 1967 | 15 | .. | .. | .. | 8 | 6 | 1 | 1 | .. | .. | .. | 2961.94 | 1461.94 | .. | .. |
| | योगः— | | 165 | 23 | 11 | 3 | 67 | 17 | 81 | 17 | 6 | 8 | 50 | .. | .. | .. | .. |

नोटः—बरामदगी तथा सजा के प्रतिशत में चोरी हुए तथा खयानत दोनों प्रकार के प्रकरणों का समावेश कर दिया गया है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्र. सं. 125 की सूची)

सूची

| ग्राम | नाम आसामियान | बीघा | बिस्वा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| बाई बडी | घुडी सिंह वल्द जोर सिंह .. .. .. | 6 | 8 |
| ,, | चूनीलाल वल्द जेठामल .. .. .. | 2 | 11 |
| | मंगल वल्द दुना जाट | | |
| ,, | भूरा वल्द दुलाजाट देवा .. .. .. | 0 | 8 |
| ,, | देवा, भेरा वल्द मकना .. .. .. | 1 | 0 |
| ,, | भूरा वल्द पूर्णा जाट .. .. .. | 6 | 8 |
| ,, | लूणा वल्द अमर सिंह .. .. .. | 3 | 7 |
| ,, | सरजा वल्द मगजी मिना वल्द कालू जाट .. | 2 | 12 |
| ,, | बनर सिंह वल्द प्रेमसिंह .. .. .. | 4 | 19 |
| ,, | राजस्ता रिवाज आम .. .. .. | 7 | 7 |
| | | 3 | 18 |
| ,, | गंगाराम वल्द तारू जाट .. .. .. | 2 | 20 |
| ,, | हीरा वल्द लाभू जाट .. .. .. | 1 | 0 |
| ,, | डालू राम प्रभुराम भोमडी वल्द घनी सूर्यदत्त मदनलाल | | |
| | छोटू बगल मीवारमज सोहन वल्द हरसी .. | 5 | 3 |
| ,, | प्रेम सिंह वल्द कालूराम .. .. .. | 7 | 0 |
| ,, | माला वल्द बना .. .. .. .. | 4 | 18 |
| ,, | रामा वल्द अमरा | | |
| ,, | आबादी .. .. .. .. | 4 | 4 |
| ,, | धनजी कनकजी सोहन वल्द अमरजी .. .. | | 8 |
| ,, | भोमा वल्द जीवन जाट .. .. | 6 | 7 |
| ,, | गोपालदास वल्द तुलसी दास .. .. | 2 | 0 |
| बन्धडाऊ | जयराम वल्द पूर्ण राम जाट .. .. .. | 0 | 10 |
| ,, | देवसी वल्द गोरधन .. .. .. | 2 | 3 |
| ,, | चूना वल्द खीवाराम जाट .. .. .. | 10 | 15 |
| ,, | केसरा वल्द सासरमा गणापत वल्द मोहनलाल | 5-1 | 12 |
| ,, | सीसराम तुल्सा वल्द गणेश नाई .. | 1 | 5 |
| ,, | गोपाल वल्द राजूराम .. .. .. | 5 | 2 |
| ,, | पेमा वल्द पूर्ण जाट .. .. .. | 7 | 4 |
| ,, | चेला वल्द पूर्ण चमार .. .. .. | 7 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बन्धडाऊ | जैसा वल्द पूर्ण चमार ,, | 7 | 12 |
| | रेखाराम वल्द कीसन जाट | 2 | 0 |
| ,, | आराजी राज | 2 | 5 |
| ,, | ,, | 2 | 5 |
| ,, | डमरू सुरजा चुना किसना वल्द जेसा नाई | 6 | 10 |
| ,, | मोरा वल्द कालू चमार | 2 | 8 |
| ,, | सरकार आबादी | 6 | 17 |
| ,, | जैसा राम वल्द अमरा | 4 | 8 |
| ,, | शेरा वल्द डावा जाट | 1 | 0 |
| बन्धडाऊ उतरादा | रामेश्वर वल्द पैरा | 3 | 12 |
| ,, | आपू वल्द मेरा राम | 4 | 12 |
| ,, | मालाराम किसनाराम वल्द गुलाब | 7 | 15 |
| ,, | माडू वल्द हेताराम | 4 | 6 |
| ,, | मोरा राम वल्द हुकमा राम | 2 | 8 |
| ,, | मालीया वल्द सीताराम | 5 | 18 |
| ,, | आराजी राज | 15 | 2 |
| ,, | जैठा वल्द श्योजी | 0 | 19 |
| ,, | हीरा वल्द हरजी नाई | 1 | 1 |
| ,, | मालू मोखा वल्द घेरा जाट | 3 | 8 |
| ,, | चतेरू वल्द मोतीलाल | 6 | 0 |
| ,, | भूरा वल्द पूसाराम | 0 | 4 |
| ,, | हेरन सुगना वल्द रामेश्वर | 0 | 6 |
| ,, | गोचर भूमी | 0 | 5 |
| ,, | राम वल्द हडुला | 4 | 4 |
| भादासर मि. | आराजी राज | 2 | 2 |
| ,, | कालू वल्द पूर्ण | 4 | 17 |
| ,, | भजना वल्द सरदारा | 5 | 17 |
| ,, | सिवा वल्द खेराराम ,, | 3 | 8 |
| ,, | भवाना वल्द सरदारा | 3 | 0 |
| भादासर उतरादा | मकबूजा सरकार गैर कानूनी आबादी | 8 | 7 |
| ,, | पैमला तखुराम | 8 | 5 |
| ,, | कालूराम वल्द हरखा | 4 | 15 |
| ,, | सुरजा वल्द केसरा जाट | 10 | 0 |
| ,, | मकबूजा की सरकार | 1 | 16 |

परिशिष्ट 7

(मांग संख्या 18 व 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव)

**मांग संख्या 18**

**श्री रामनारायण** (मंडावा) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बिसाऊ (झुंझुनूं) भूमि जल मण्डल द्वारा कोई कार्य नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भूमिजल मण्डल द्वारा भूमि तल जल निकालने के सम्बन्ध में उदासीनता की चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 39**

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): 3. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सर्वेक्षण की योजनाओं पर होने वाले व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : 4. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अलवर जिले में निर्मित ट्यूब वैलों का उपयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : 5. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण की सड़कों के निर्माण में पूरा पैसा नहीं लगाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा भूमि सुधार के काम की अनियमितताओं सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

**श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : 7. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भूमि जल मण्डल द्वारा पूर्व में खरीदी गई मशीनों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 18**

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : 8. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भूमि जल मण्डल द्वारा पाली जिले में काम न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**श्री दुर्गालाल बाड़दार** (हवामहल, जयपुर): 9. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 39**

10. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया

जाय (भूमि जल मण्डल के द्वारा मशीनों के क्रय में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 18**

**श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : 11. मांग सख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

**श्री शंकरलाल** ( जैतारण ) : 12. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के भूगर्भ जल की खोज हेतु सर्वेक्षण न कराने की चर्चा के लिये)।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : 13. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा में भूमि जल मण्डल द्वारा कुओं की बोरिंग की सुव्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 39**

14. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील में भूमि सर्वेक्षण योजना द्वारा पानी के सम्बन्ध में सर्वे न करने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 18**

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर) : 15. मांग सख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भूमि जल मण्डल में अव्यवस्था के कारण होने वाले फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

16. मांग सख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

**श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : 17. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भूमि जल मण्डल अपने निर्धारित लक्ष्य में असफल रहने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 39**

18. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पूर्व में खरीदी गई मशीनों का पूर्णतया उपयोग न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : 19. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भूमि जल मण्डल की गतिविधियों के विस्तार के बावजूद कोटा क्षेत्र में मशीनों की सुव्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): 20. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कृषि अनुसंधान में व्यय कर उचित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी

की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मशीनों के सुचारु रूप से न चलाये जाने पर चर्चा के लिये ) ।

**श्री जयनारायण साल्लोदिया** (निवाई) : 22. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (मशीनों की खरीद तथा भारी अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

## शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 7 मार्च, 1968)

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 7 | तारांकत प नोत्तर | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| 2 | अन्तिम से 10 | श्री शंक ा ल | श्री शंकरलाल |
| 10 | ,, 2 | । | वडा |
| 13 | 9 | श्री भ ोर सिंह मेहता | श्री मनोहर सिंह मेहता |
| 20 | 2 | आपन | आपने |
| 22 | अन्तिम से 17 व 7 | श्री फेहसिंह | श्री फतेह सिंह |
| 27 | ,, 14 | श्र घुना विश्नोई | श्री रघुनाथ विश्नोई |
| 28 | 1 | श्री अमृतलाल याव | श्री अमृतलाल यादव |
| 32 | 4 व 13 | श्री अयक्ष | श्री अध्यक्ष |
| 33 | 12 | श्री विजयसिंह : (मकराना) | श्री विजय सिंह (मकराना): |
| 34 | 5 | श्री दुर्गालाल बाडदार : | श्री दुर्गालाल बाढदार |
| ,, | 14 | जाय | जाय। |
| ,, | अन्तिम से 8 | श्र अध्यक्ष | श्री अध्यक्ष |
| ,, | ,, 5 | श्र ैरों ि ह | श्री भैरोंसिंह |
| ,, | ,, 3 | श्री अमीनुद्दीन अहमद: | श्री अमीनुद्दीन अहमद (मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण): |
| 36 | ,, 16 | 1बर्ष, 1961 | 1 वर्ष 1961 |
| 36 | ,, 11 व 10 | पैसे | रुपये |
| 37 | 13 | कये | किये |
| 39 | अन्तिम से 5 | श्री भ वानदास शास्त्री | श्री भगवानदास शास्त्री |
| 40 | 1 | श्र खेत सिंह | श्री खेत सिंह |
| 41 | 1 | श्री वजय सिंह रावत | श्री विजय सिंह रावत |
| ,, | 14 | काय | कार्य |
| ,, | अन्तिम | ह | है |
| 44 | 11 | : जी हां | (1) जी हां |
| 46 | अन्तिम से 12 | श्री खेत ि ह | श्री खेत सिंह |
| ,, | ,, 6 व 2 | अस | अर्स |
| 47 | अन्तिम से 13 | Inspite | "Inspite |
| ,, | ,, 9 | cashier | "cashier |
| ,, | ,, 10 | ornaor | ornanor |
| 48 | 1 | मेजर श्री फतहसिंह | मेजर श्री फतेह सिंह |
| ,, | 5 | न | ने |
| ,, | अन्तिम से 4 | श्र सतीशचन्द्र अग्रवाल | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल |
| 49 | 12 | श्री मोहनलाल सुखाडिया: | श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 51 | 10 | श्री नैरोंसि | श्री भैरोंसिंह |
| ,, | 16 | श्री रा किशन | श्री रामकिशन |
| 52 | अन्तिम से 5 | श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, | आर्डर प्लीज, |
| 54 | 12 | डाउब्ट | डाउट |
| 56 | अन्तिम | गल्त | गलती |
| 57 | 3 | इम्पोरटेन्ट | इम्पॉर्टेन्ट |
| 58 | अन्तिम से 9 | श्री माहनलाल सुखाड़िया | श्री मोहन लाल सुखाड़िया |
| 59 | 6 | श्री मो न लाल सुखाड़िया | श्री मोहन लाल सुखाड़िया |
| ,, | 8 | श्री मदनसि दाता | श्री मदन सिंह दांता |
| 60 | 16 | श्री अघ्य | श्री अध्यक्ष |
| ,, | अन्तिम | श्री विजय सिंह | श्री विजय सिंह रावत |
| 61 | 3 | श्री विजय सिंह | श्री विजय सिंह रावत |
| ,, | 5 | सदय | सदस्य |
| ,, | अन्तिम से 2 | श्री जयनरायण सोलेदिया | श्री जयनारायण सालोदिया |
| 63 | शीर्षक | रांकित प्रश्नोत्तर | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| 64 | 15 | श्री रघुनाथ विशोई | श्री रघुनाथ विश्नोई |
| 65 | 2 | श्री सतशचन्द्र अग्रवाल | श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल |
| ,, | अन्तिम से 5 | श्री रामा।।यण चौधरी | श्री रामनारायण चौधरी |
| ,, | ,, 3 | कर्ताओं | कर्ताओं |
| 71 | 9 | श्री र्मा गौरी पूनियां | श्रीमती गौरी पूनियां |
| ,, | अन्तिम से 7 | की | को |
| 73 | शीर्षक | 1900 | 1968 |
| 74 | अन्तिम से 5 | विभा ा से आ े | विभाग से आये |
| ,, | ,, 4 | नि ु विक्तयां | नियुक्तियां |
| 78 | 4 | ाटोली | घाटोली |
| 80 | 14 | सेलेक्शन | सिलेक्शन |
| 84 | 2, अन्तिम से 2, 4 6, 9 व 15 | जैर | जेर |
| 85 | 19 | प्लाई | सप्लाई |
| 86 | 11 | नहीं यह, | नहीं, यह |
| ,, | अन्तिम से 13 | तनगढ़ | रतनगढ़ |
| 87 | 1 | िडी | रिडी |
| ,, | अन्तिम से 9 | ास | पास |
| 88 | 14 | श्री प्रेमसिं सिंघवी | श्री प्रेमसिंह सिंघवी |
| 89 | 5 | कि मुण्डारा | मुण्डारा |
| 94 | 8 | पौलीटैक्निक | पोलीटैक्निक |
| ,, | 9 | वेहद | बेहद |
| 95 | अन्तिम से 5 | श्री उ ा ाक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| ,, | ,, 4 | श्री रा ाद अग्रवाल | श्री रामानन्द अग्रवाल |
| 98 | ,, 14 | हौम | हम |
| 100 | 4 | प्रोसोक्यूशन | प्रोसीक्यूशन |
| 106 | 1 | दोब | दोष |

# Page No. 155



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 113 | अन्तिम से 4 | खोलेते | खोलते |
| 116 | 1 | अत्याधिक | अत्यधिक |
| ,, | अन्तिम से 11 | शडो | शेडो |
| 116 | 12 | ह | है |
| ,, | 14 | टखन | टखने |
| ,, | 17 | अनतिक | अनैतिक |
| 125 | 21 | उन्होंन | उन्होंने |
| 126 | 9 | चाहिए | चाहिये |
| 127 | अन्तिम से 14 | स्थागन | स्थगन |
| 128 | 1 | श्री मद सिंह | श्री मदन सिंह |
| ,, | अन्तिम से 5 | मन्त्रोजीं | मन्त्री जी |
| 129 | 15 | घुग्घू को के | घुग्घू के |
| ,, | अन्तिम से 14 | क्यों | केयो |
| ,, | अन्तिम से 7 | बारे में निकल | में निकल |
| 130 | 1 | एक माननी । सदस्य | एक माननीय सदस्य |
| ,, | 13 | देवओ | देवाओ |
| ,, | अन्तिम से 5 | भागो | भागे |
| ,, | ,, | आपारो | आपरी |
| 133 | अन्तिम | ह | है |
| 135 | 5 | श्री दा ा ो र लाल व्यास | श्री दामोदरलाल व्यास |
| 142 | 8 | स | साथ |
| 143 | 16 | श्री उ ाध्यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| ,, | 17 | श्री मदन हि | श्री मदनसिंह |
| ,, | अन्तिम से 6 | श्री दामदरलाल व्यास | श्री दामोदरलाल व्यास |
| 144 | 6 | न | ने |
| 149 | अन्तिम से 11 | लिय | लिये |
| 150 | 1 | म | में |
| 152 | 1 | श्री उपायक्ष | श्री उपा य ा |
| ,, | अन्तिम से 4 | जाना | जानना |
| 154 | 2 | म | मैं |
| ,, | 18 | श्री उ ायक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| 162 | 1 | श्री सभपत | श्री सभापति |
| 168 | 13 | श्री हराभाई | श्री हीराभाई |
| 172 | अन्तिम से 14 | श्री गोकुल प्रसाद श ा | श्री गोकुलप्रसाद शर्मा |
| ,, | अन्तिम से 8 | कई नाननीय स स स | कई माननीय सदस्य |
| 175 | 4 | श्री देवीदत्त गाडया | श्री देवीदत्त गाडिया |
| ,, | 12 | श्री देवदत्त गाडिया | श्री देवीदत्त गाडिया |
| ,, | 19 | श्री देवीदत्त गाडि ा | श्री देवीदत्त गाडिया |
| 177 | शीर्ष | (श्र गोकुलप्रसाद शर्मा) | (श्री गोकुलप्रसाद शर्मा) |
| 178 | अन्तिम से 16 | श्री नाथू र म | श्री नाथूराम |
| 190 | 2 | श्री रामकिशन | श्री रामकिशन : |
| 201 | 10 | श्री उ ा ध्क्ष | श्री उपाध्यक्ष |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 201 | अन्तिम से 13 | श्री रामचद्रार्य | श्री रामचन्द्र आर्य |
| ,, | अन्तिम से 9 | श्री उपा यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| ,, | अन्तिम से 4 | वाल | वाले |
| 202 | 14 | श्री मथ ादास ा ा ुर | श्री मथुरादास माथुर |
| ,, | अन्तिम से 10 | से | में |
| 206 | 2 | श्री ा म ा श ा | श्री रामकिशन |
| ,, | 9 | श्री उ ा यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| 207 | शीर्षक | (सं. 2) 7 मार्च | (सं. 2)–7 मार्च |
| ,, | अन्तिम से 2 | श्री मोह लाल सुखाडिया | श्री मोहनलाल सुखाडिया |
| 208 | 10 | श्री मोह लाल सुखाडिया | श्री मोहनलाल सुखाडिया |
| 214 | 11 | किया था, कि हमें जैसा | किया था, जैसा |
| 217 | अन्तिम से 3 | श्रीमती स मत्रा | श्रीमती सुमित्रा |
| 225 | शीर्षक | वि.नियोज | विनियोग |
| ,, | 4 | मेरा | मेरा |
| ,, | 13 | श्री देवीदत्त गाडा | श्री देवीदत्त गाडिया |
| 228 | 15 | म | में |
| 230 | शीर्षक | विमश | विमर्श |
| ,, | 1 | ह | है |
| ,, | 15 | ह | है |
| 231 | अन्तिम से 8 | श्री हीराभई | श्री हीराभाई |
| 232 | अन्तिम से 6 | श्री म हलाल मोदी | श्री मोहनलाल मोदी |
| 235 | 16 | इस.बल सिद्धान्तों | इस बिल के सिद्धान्तों |
| 236 | शीर्षक | विमश | विमर्श |
| 237 | अन्तिम से 13 | ह | है |
| ,, | ,, | क | के |
| 238 | ,, 2 | विवश्ता | विवशता |
| 240 | 4 | लखा | लाख |
| ,, | अन्तिम से 2 | क | के |
| 251 | 1 | सवाई ाधेपुर | सवाई माधोपुर |
| 252 | अन्तिम से 5 | हुवा | हुआ |
| 254 | 11 | करेंग | करेंगे |
| ,, | 9 | ह | है |
| 255 | 1 | म | में |
| 257 | 2 | ह | है |
| ,, | 2 | महीन | महीने |
| ,, | 9 | कस | केस |
| ,, | 9 | क ह | के हैं |
| 258 | अन्तिम | आ ? | हुआ ? |
| ,, | अन्तिम से 8 | न | ने |
| ,, | अन्तिम | बरी | बुरी |
| 261 | अन्तिम से 9 | बनान | बनाने |
| 263 | 2 | बछड | बछडा |
| 266 | 11 | अधि ारी | अधिकारी |